संपादकीय

पंचायती राज नवजीवन की ओर

गत 19/20 दिसम्बर, 1978 को राजधानी में पंचायती राज के बारे में अशोक मेहता कमेटी की सिफारिशों पर विचार करने के लिए अखिल भारतीय पंचायत परिषद् का सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन में भाग लेने वाले अधिकांश प्रतिनिधियों ने अशोक मेहता कमेटी की दो मुख्य सिफारिशों (तीन के बजाए द्विस्तरीय प्रणाली और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में राजनीतिक दलों को भाग लेना) से असहमति व्यक्त की। साथ ही अधिकांश प्रतिनिधियों का विचार था कि ग्राम पंचायतों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था हो, सरपंच पदेन पंचायत समिति का सदस्य हो तथा पंचायतों में कमजोर वर्ग तथा महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था हो। जिला परिषदों के चुनावों के बारे में कहा गया कि इनके लिए अप्रत्यक्ष चुनावों की व्यवस्था ही उचित रहेगी क्योंकि प्रत्यक्ष चुनाव मंहगे पड़ेंगे। अत: इनके चुनाव ग्राम पंचायतों के सरपंचों द्वारा और यथासमय होने चाहिएं। सम्मेलन में चुनाव आयोग के इस कथन का भी उल्लेख किया गया कि पंचायतों से लेकर लोक सभा तक के चुनाव साथ-साथ कराए जाएं और मांग की गई कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के लिए भी चुनाव आयोग गठित किए जाएं। हाल ही में अ० भा० पंचायत परिषद् के प्रतिनिधि मण्डल को सम्बोधित करते हुए प्रधान मन्त्री श्री मोरार जी देसाई ने भी पंचायतीराज की त्रिस्तरीय प्रणाली का समर्थन किया और कहा कि पंचायतों के चुनावों में राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और ये कम खर्चीले होने चाहिएं।

सम्मेलन में सभी प्रतिनिधियों का यह आग्रह था कि पंचायतों को समुचित अधिकार दिए जाएं और भारत के संविधान में पंचायती राज को समुचित स्थान दिया जाए। ग्राम-विकास की योजनाएं पंचायत स्तर पर बनाई जाएं और उन्हें राज्य तथा केन्द्र द्वारा बनाई गई योजनाओं से सम्बद्ध किया जाए।

देश के अनेक राज्यों में पंचायती राज की अनेक प्रणालियां कायम हैं। सम्मेलन में इस स्थिति पर भी विचार किया गया और यह निर्णय किया गया कि सभी राज्यों की पंचायती राज-पद्धति में एकरूपता हो और यह तभी सम्भव है जबकि संविधान में संशोधन हो और केन्द्र द्वारा अधिनियम बनाया जाए। जहां तक पंचायती राज-संस्थाओं की वित्तीय स्थिति का सम्बन्ध है, देश में सभी राज्यों में उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। अत: जरूरी है कि उन्हें वित्त के साधन-स्त्रोत उपलब्ध किए जाएं। प्रतिनिधियों ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि पंचायती राज-संस्थाओं को अनिश्चित काल के लिए मुअत्तिल न किया जाए।

पंचायती राज संस्थाओं का सहकारी समितियों, स्वयं सेवी संगठनों तथा ग्रामीण बैंकों के साथ कैसा तालमेल हो इस सम्बन्ध में भी सम्मेलन में विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया कि पंचायती राज-संस्थाओं की वित्तीय स्थिति सुधारने में सहकारी समितियां अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती हैं। इसी तरह ग्रामीण बैंक भी पंचायतों के विकास कार्य में योग दे सकते हैं। पंचायतों को अपने विकास कार्यों को लागू करने के लिए निष्ठावान कार्यकर्त्ताओं की आवश्यकता पड़ती है। इस समस्या के समाधान के लिए स्वयं सेवी संगठन आगे आ सकते हैं। अत: इन सभी संगठनों का आपसी तालमेल बड़ा जरूरी है। सम्मेलन में इस बात की भी चर्चा की गई कि चुने हुए पंचों तथा सरपंचों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। इससे पंचायती राज संस्थाओं का कार्य सुचारु रूप से चल सकेगा।

देश में पंचायती राज की स्थापना इसलिए की गई थी कि ग्रामवासियों को ग्राम विकास कार्य में शामिल किया जा सके, उनके सहयोग से ग्रामविकास की योजनाओं को कार्यान्वित किया जा सके और उनके रूढ़िग्रस्त दिल-दिमागों में परिवर्तन लाया जा सके। परन्तु पंचायतीराज को लागू करने के जो तरीके काम में लाए गए उनसे पंचायती राज संस्थाएं पार्टीबंदी और लड़ाई-झगड़ों का अखाड़ा बन कर रह गई। बाद में बलवन्त राय मेहता कमेटी की सिफारिशों के आधार पर पंचायती राज में जो त्रिस्तरीय प्रणाली लागू की गई वह भी इसलिए कुछ कारगर सिद्ध न हुई क्योंकि पंचायती राज को देश के संविधान में समुचित स्थान प्राप्त नहीं था और विधायकों तथा संसद् सदस्यों का पंचायती राज संस्थाओं को समुचित अधिकार उपलब्ध कराने के प्रति उपेक्षा भाव था। दूसरे, पिछले शासन में ग्राम-विकास कार्यों के प्रति इतनी रुचि नहीं ली गई जितनी कि अब ली जा रही है। ग्राम-विकास कार्यों में ग्रामीणों का समुचित सहभाग तभी प्राप्त हो सकता है जबकि पंचायतें सक्रिय हों। इसी उद्देश्य को ध्यान में रख कर अशोक मेहता समिति की स्थापना की गई और अब उसकी सिफारिशें हमारे आगे हैं। इन सिफारिशों के बारे में अखिल भारतीय पंचायत परिषद् के गत सम्मेलन में जो निर्णय लिए गए हैं, उन्हें यदि लागू किया गया तो अवश्य ही पंचायती राज में नवजीवन आएगा और ग्रामीण विकास के कार्य म ग्रामीणों को सहभागी बनाया जा सकेगा। ※

मजदूर मंजिल

कुरुक्षेत्र

वर्ष 24 फाल्गुन 1900 अंक 4

'कुरुक्षेत्र' के लिए मौलिक लेख, कहानी, एकांकी, कविता, संस्मरण, हास्य-व्यंग्य चित्र, फोटो आदि भेजिए। भाषा सरल हो और रचना का आकार 'कुरुक्षेत्र' के दो-ढाई पृष्ठ से अधिक न हो।

●

अस्वीकृत रचनाओं की वापसी के लिए टिकट लगा व पता लिखा लिफाफा साथ आना आवश्यक है।

●

'कुरुक्षेत्र' की एजेन्सी लेने, ग्राहक बनने, पता बदलने या अंक न मिलने की शिकायत, बिजनेस मैनेजर, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 से कीजिए।

●

सम्पादकीय पत्र-व्यवहार : सम्पादक कुरुक्षेत्र (हिन्दी), कृषि और सिंचाई मन्त्रालय, 467, कृषि भवन, नई दिल्ली के पते पर करें।

●

दूरभाष : 382406

एक प्रति 50 पैसे — वार्षिक चंदा 5.00 रु०

सम्पादक : महेन्द्र पाल सिंह

उपसम्पादक : कु० शशि चावला
मोहन चन्द्र मन्टन

आवरण पृष्ठ : आर० सारंगन

इस अंक में :

	पृष्ठ संख्या
बच्चे राष्ट्र के गौरव	2
हमारी अर्थ-व्यवस्था का लेखा-जोखा **अशोक मेहता**	3
भूमि सुधारों को अमल में लाने की समस्या **डा० पी० सी० जोशी**	5
ऊसर भूमि का सुधार कीजिए **गंगा शरण सैनी**	10
नया वर्ष सबको सुखमय हो (कविता) **सूर्य दत्त दुबे**	12
नगरों पर निर्भर गाँवों की अर्थ व्यवस्था **भगवान् सहाय त्रिवेदी**	13
विरह गीत (कविता) **जहीर कुरेशी**	14
जनसंख्या वृद्धि की रोकथाम के लिए परिवार नियोजन	15
सहकारी समितियाँ : एक विश्लेषण **बलराज मेहता**	17
गाँवों के विकास में ग्रामीण विद्युतीकरण का योग **बी० के० वर्मा**	19
चका-चौंध का अंधेरा (कविता) **राम प्रकाश राही**	20
बीड़ी उद्योग में रोजगार के अवसर **सतीश कुमार जैन**	21
बरगद की छाया (कविता) **राजेन्द्र शर्मा**	22
बढ़ते पांव-उठते गाँव **शशि चावला**	23
जीवन गीत (कविता) **केदार नाथ कोमल**	24
सम्पूर्ण ग्रामीण विकास कार्यक्रम से ही समस्याओं का हल **मोहन लाल ककड़**	25
पहला सुख निरोगी काया:	26
जय जनतन्त्र: जय सहकार (रूपक) **डा० योगेन्द्रनाथ शर्मा, 'अरुण'**	27
साहित्य समीक्षा	31

बच्चे राष्ट्र के गौरव

राष्ट्रपति का रेडियो भाषण

अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के अवसर पर राष्ट्र के नाम प्रसारित अपने संदेश में राष्ट्रपति, श्री नीलम संजीव रेड्डी ने कहा कि :

आपसे बात करते हुए, भारत और विश्व के बच्चों से बोलते हुए और आपको अपनी शुभकामनाएं देते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। नया वर्ष आरम्भ हो रहा है । इस नए वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ और इसकी सहायक विशिष्ट एजेंसियां, राष्ट्रीय सरकारें और स्वयंसेवी एजेंसियां, मानवता के सामने इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या है उस ओर ध्यान देंगी। यह समस्या है—विश्व के बच्चों के कल्याण और उनके भावी देखभाल की, विशेषकर, अविकसित देशों के बच्चों की। इन देशों में गरीबी और कुपोषण के साथ-साथ निरक्षरता, अज्ञान और अंधविश्वास विश्व के भावी नागरिकों के एक बहुत बड़े भाग के लिए गंभीर खतरा बने हुए हैं। आज के बच्चे कल के नागरिक हैं।

पुरानी पीढ़ी के हमारे जैसे व्यक्तियों को न केवल विश्व बाल वर्ष में ही विशेष जिम्मेदारी है बल्कि आने वाले वर्षों में भी जिम्मेदारी है। हमें अपने बच्चों पर गर्व होना चाहिए चाहे उनका सामाजिक दर्जा, वर्ण, धर्म, जाति कुछ भी क्यों न हो। छोटी आयु से ही हमें बच्चों में सहृदयता, सहनशीलता और मानवजाति की एकता की भावना पैदा करनी चाहिए, तभी हम एक नए विश्व में प्रवेश कर सकेंगे जिसमें मौजूदा तनाव कम होंगे और मानव जाति सूझबूझ और सहिष्णुता के मार्ग पर चल सकेगी, भावी पीढ़ी शांति और संतोष के साथ रह सकेगी और सभी का कल्याण होगा।

हमारे संविधान में बच्चों के कल्याण, शिक्षा, और अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता पर बल दिया गया है । संविधान में बच्चों का शोषण रोकने, उन्हें हर प्रकार के अवसर और सुविधाएं दिए जाने की बात कही गई है ताकि वे इस महान देश के नागरिक बन सकें । अगस्त 1974 में बच्चों के लिए घोषित राष्ट्रीय नीति, हमारे देश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है । इस नीति में सभी पक्षों में बच्चों के कल्याण के लिए हमारे दृढ़ निश्चय की घोषणा की गई है । प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय शिशु मंडल, एक ऐसा व्यापक अधिकार वाला मंच है जहां बच्चों से संबंधित समस्याओं और उन्हें समाज का उपयोगी सदस्य बनाने के लिए नीति बनाने, कार्यक्रमों की समीक्षा और उनमें समन्वय स्थापित करने के बारे में विचार-विमर्श किया जाता है।

नया साल आरम्भ हो रहा है और हमारी आशा है कि यह मानवजाति के इतिहास में एक नए युग का आरम्भ भी होगा। हमें यह सोचना है कि हम अपने बच्चों के लिए किस प्रकार का भविष्य बनाना चाहते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जो अद्भुत प्रगति हुई है उससे विश्व के लोग एक दूसरे के पास आ गए हैं, ज्ञान का क्षेत्र बढ़ा दिया है और उन मार्गों का संकेत किया है जिन पर चलकर मानवजाति शांति, समृद्धि और संतोष से इस विश्व में रह सकेगी । साथ ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने उन खतरनाक प्रवृत्तियों की ओर भी संकेत कर दिया है जो न केवल मानवजाति का विनाश कर सकती हैं बल्कि उस महान शिक्षा और उपदेश को भी खत्म कर सकती हैं जो विश्व के महान मनीषियों ने हमें दिए हैं और जिन्हें हम हर कीमत पर बनाए रखना चाहते हैं।

बच्चों के कल्याण के लिए कार्यक्रमों में खर्च किए गए धन या प्रयास का फल लम्बी अवधि के बाद मिलता है परन्तु यदि इस प्रकार के कार्यक्रम अच्छी तरह से तैयार किए जाते हैं और उन पर अमल किया जाता है, तो हम एक नए विश्व की रचना कर सकते हैं, जिसमें लोग डर, द्वेष या ऐसी किसी अन्य भावना से काम नहीं करेंगे बल्कि शताब्दियों से मानवता के महान धार्मिक नेताओं द्वारा अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए दिए गए सिद्धान्तों पर चलेंगे हमारे प्राचीन देश ने, विश्व को कई महान नेता दिए हैं। इस अवसर पर हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के संबंध में बनाए गए विभिन्न कार्यक्रमों को समर्थन देते हैं तो हम अपनी प्राचीन परम्पराओं को ही निभा रहे हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के लिए कार्रवाई की राष्ट्रीय योजना के कई पहलू हैं जैसे बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य, शिक्षा, बाल-कल्याण, निस्सहाय और अपंग बच्चों की सहायता और इस प्रकार के वातावरण के निर्माण के लिए कानून बनाना शामिल है जिसमें बच्चे अपना विकास कर सकें और राष्ट्र की सेवा कर सकें। स्वस्थ और सुखी बच्चे राष्ट्र के लिए गौरव की बात हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के लिए हमने यही नारा चुना है। मुझे पूरी आशा है कि यह केवल नारा ही नहीं होगा बल्कि सारे देश और जहां तक संभव होगा, विश्व में गूंजेगा, ताकि इस प्रशंसनीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति प्रेरित होगा और हर संभव प्रयास करेगा।

हमारे सामने कार्य कठिन है। परन्तु यदि लोग पूरी निष्ठा से इस कार्य में लग जाएं और किसी प्रकार के इनाम या सम्मान की चिन्ता किए बिना मानवजाति के कल्याण में लग जाएं तो हर समस्या का हल निकल सकता है। इसलिए मैं इस महान देश के सभी नागरिकों और समानभाव रखने वाले विश्व के सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि वे इस महान प्रयास में जुट जाएं जिससे मानवता का भविष्य और मानवजाति की प्रसन्नता जुड़ी हुई है। इस अवसर पर आइए हम इस महान कार्य में अपने को समर्पित कर दें।

मैं आप सबको नए वर्ष की बधाई देता हूं।

हमारी अर्थ-व्यवस्था का लेखा-जोखा

अशोक मेहता

पहुंचाने में तो कुछ समय लगेगा, परन्तु प्रश्न यह है कि क्या यह नीति उचित है और क्या प्रत्याशित सामाजिक एवं आर्थिक परिणाम प्राप्त करने के लिए क्रियान्वयन के नए उपकरण उपयुक्त हैं। इन दोनों ही दृष्टिकोणों से जनता सरकार के रिकार्ड पर विचार करना आवश्यक है।

सुधरा कार्य-निष्पादन और सुधरी विकास नीति दोनों ही में जनता सरकार ने प्रशंसनीय रिकार्ड स्थापित किया है। फिर भी, विकास और परिवर्तन के नए उपकरण तैयार करने में उसकी सफलता सन्दिग्ध है, जिसका नतीजा यह होगा कि जनता की मौलिक आवश्यकताओं के अधिक अनुकूल होते हुए भी नई नीति दुराशा मात्र ही रहेगी।

खाद्यान्नों का बाहुल्य

जहां तक आर्थिक कार्य-निष्पादन का सम्बन्ध है, कृषि के क्षेत्र में सबसे अधिक काम हुआ है। 1977-78 में 26 लाख हेक्टेयर से भी अधिक अतिरिक्त भूमि में सिंचाई की गई, एक वर्ष के अंदर सिंचाई का यह विश्व रिकार्ड है।

इसके अलावा, सरकार ने देश के अंदर तथा पड़ौसी देशों के साथ कुछ नदी जल संबंधी विवादों को सुलझाने में भी सफलता पाई है, इस से सिंचाई के लिए छठी योजना (प्रारूप) का लक्ष्य 170 लाख हेक्टेयर है, जिसका वार्षिक औसत 30 लाख हेक्टेयर से कुछ अधिक बैठता है। पहले वर्ष की सफलता से यह आशा बंधती है कि लक्ष्य पूरा हो जाएगा।

पहले 16 महीनों में सरकार ने 3,50,000 नलकूपों को बिजली दी। योजनावधि में 20,00,000 नलकूपों को बिजली देने के लिए गति तेज करनी होगी। नलकूपों के विद्युतीकरण कार्यक्रम में मुख्य बाधा बिजली की कमी से पड़ती है।

बिजली की कमी दूर करने के लिए जनता सरकार ने प्रशंसनीय कार्य किया है। 1977-78 में 14.5 प्रतिशत अधिक बिजली तैयार हुई, जिससे पिछले दशक में वार्षिक वृद्धि की जो औसत दर थी वह बढ़कर दुगुनी हो गई। बिजली की मांग और पूर्ति का अंतर, जो पिछले वर्ष 15 प्रतिशत था, इस वर्ष घटकर 9 प्रतिशत रह गया।

विद्युत् उत्पादन का और भी विस्तार किया जा रहा है। 1977-78 में 2,000 मेगावाट क्षमता के अतिरिक्त विद्युत् संयंत्र लगाए गए और आशा की जाती है कि 1978-79 के लिए निर्धारित 3,800 मेगावाट का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। पांचवीं योजना में वार्षिक उत्पादन 1400 मेगावाट था, उसकी तुलना में यह काफी अधिक रहेगा। विद्युत्-उत्पादन से संबंधित उद्योगों में जो नई और सुधरी गतिविधि दिखाई देती है वह इस बात का प्रमाण है कि नई प्रेरणा काम कर रही है।

1977-78 में रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल में 27 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इस वर्ष नाइट्रोजन वाले उर्वरकों का उत्पादन तो बहुत थोड़ा—केवल 5 प्रतिशत—बढ़ा, परन्तु फास्फेट वाले उर्वरकों के उत्पादन में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस वर्ष उर्वरकों की खपत में 9 लाख टन की वृद्धि हुई। एक वर्ष में इतनी अधिक वृद्धि यह जताती है कि उर्वरकों का इस्तेमाल बढ़ रहा है और अब कुछ छोटे और सीमांत किसान भी उर्वरक इस्तेमाल करने लगे हैं, जो एक शुभ लक्षण है।

उपर्युक्त प्रयत्नों के फलस्वरूप खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़कर 12 करोड़ 60 लाख टन हो गया। खाद्यान्नों की बहुलता के कारण उनके लाने ले जाने पर लगे प्रतिबंध हटा दिए गए, उपभोक्ताओं को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न देने का आश्वासन दिया गया तथा कुछ खाद्यान्न निर्यात भी किया जाने लगा। अब ऐसा मालूम पड़ता है कि हम चिरस्थायी अभाव की स्थिति से बहुलता की ओर बढ़ रहे हैं।

खाद्य-स्थिति सुधर जाने से सरकार ने "काम के बदले अनाज" देने का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। 150 करोड़ रुपए मूल्य का 12 लाख टन अनाज उपलब्ध किया गया है, जिससे 45 करोड़ मनुष्य-दिन काम हो सकेगा। कमजोर वर्गों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने के लिए विकास का यह नया दरवाजा खोला गया है।

औद्योगिक उत्पादन का रिकार्ड मिश्रित चित्र प्रस्तुत करता है : 9 उद्योगों में उत्पादन बढ़ा और 6 में घटा। इन 15 उद्योगों में कुल औद्योगिक उत्पादन का 60 प्रतिशत उत्पादन होता है। 1977-78 में वार्षिक वृद्धि दर भी कम रही।

सार्वजनिक एवं निजी निगम निवेशों में पर्याप्त वृद्धि हुई, ये निवेश 8,400 करोड़ से 15.5 प्रतिशत बढ़कर 10,600 करोड़ रुपए के हो गए। पूंजीगत माल का उत्पादन भी 10 प्रतिशत बढ़ा। 1966 से 1976 तक इसमें 5 प्रतिशत वार्षिक से अधिक वृद्धि नहीं हो रही थी।

औद्योगिक कार्यों तथा निवेशों में वृद्धि के कारण आयात 20 प्रतिशत बढ़ गया, परन्तु दुर्भाग्य से निर्यात नहीं बढ़ा। वस्तुतः निर्यात कुछ घटा ही है।

नए कार्यक्रमों का प्रभाव

अर्थ-व्यवस्था के सुप्रबंध का विशुद्ध प्रभाव यह हुआ है कि थोक मूल्य अधिकांशतः स्थिर हो गए हैं; पर खुदरा मूल्यों में उतार-चढ़ाव होता रहा है। स्थिर मूल्य और अपनी पसंद की अधिकांश उपभोक्ता वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धि हमारी जनता के लिए एक नया

अनुभव है। यह अनुभव स्वभावतः केवल उन्हीं को होता है जिनके पास बाजार की अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए साधन हैं। इससे हमारा ध्यान जनता सरकार द्वारा सोचे गए विकास नीति में परिवर्तन की ओर जाता है।

मसौदा योजना में ग्राम-विकास और श्रम प्रधान उत्पादन पर जोर दिया गया है। कुछ मामलों में अच्छे परिणाम निकले हैं, उदाहरणार्थ, नई वस्त्र नीति के कारण, जिसमें हथकरघों पर विशेष जोर दिया गया है, हथकरघा-सहकारियों की संख्या में 50 प्रतिशत वृद्धि हुई है—सहकारिता के क्षेत्र में हथकरघों की संख्या 8,10,000 से बढ़कर 12,31,000 हो गई है। जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना से विकेन्द्रित औद्योगिक उत्पादन का मार्ग खुल गया है, परिणाम मिलने में समय जरूर लगेगा।

एक और विशाल रोचक कार्यक्रम, जो जनता सरकार ने हाथ में लिया है, प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम है। इन नए कार्यक्रमों को जन-जन तक पहुंचने में कितनी सफलता मिलती है यह इस बात पर निर्भर है कि इनका संचालन कैसे होता है।

यह एक खुला प्रश्न है कि केन्द्र में और 22 में से 13 राज्यों में जनता सरकारें योजनावधि में ग्राम विकास पर 30,000 करोड़ रुपए समाजवादी ढंग से व्यय करने में कितनी समर्थ हैं तथा रोजगार बढ़ाने, आमदनी बढ़ाने और जनता के निर्धनतम वर्ग की ज्ञान-वृद्धि करने में कितनी सफल होती हैं।

योजना आयोग के अनुसार, जो लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं, देश में होने वाली कुल खपत में उनका भाग केवल 19 प्रतिशत है और जो उस रेखा से ऊपर हैं, उनका भाग 81 प्रतिशत है, अर्थात् देश में जितनी वस्तुएं बिकती हैं आधी जनता उनका लगभग पांचवां भाग खरीदती है और आधी 4/5 भाग से भी अधिक खरीदती है।

नई विकास नीति का यह सिद्धांत है कि गरीब ग्रामीणों के श्रम से कृषि वस्तुओं तथा अन्य वस्तुओं—अन्न, दूध, मछली, अंडों, वस्तु आदि—का उत्पादन बढ़ेगा जिससे उनकी आमदनी बढ़ जाएगी और आमदनी बढ़ने से इन वस्तुओं की खपत बढ़ जाएगी। ऐसे अंतर्ग्रथित उत्पादन खपत चक्र की सफलता समुचित वितरण व्यवस्था पर निर्भर है।

ऐसा एक कार्यक्रम "आपरेशन फ्लड" (दूध की बाढ़) है। इसके अनुसार सहकारी दुग्ध उद्योग कार्यक्रम का दस गुना विस्तार किया जाएगा। इस समय 10 लाख परिवार इस कार्य में लगे हुए हैं और 100 करोड़ रुपए प्रति वर्ष कमा रहे हैं। नया कार्यक्रम "आपरेशन फ्लड"—II (दूध की बाढ़—2) एक करोड़ देहाती परिवारों तक पहुंचेगा और आगामी 5 वर्षों में 500 से 1000 करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त आमदनी कराएगा।

जनता शासित राज्यों में एक नया कार्यक्रम—अन्त्योदय—शुरू किया जा रहा है। उस के बीस प्रतिशत ग्रामीण जनता तक पहुंचने की आशा है। इसके अंतर्गत 2 करोड़ से भी अधिक ऐसे परिवार आएंगे, जिनकी कुल परिसम्पत्ति 1000 रुपए से अथवा देश की समस्त ग्रामीण परिसम्पत्ति के एक प्रतिशत से भी कम है। इस कार्यक्रम के अनुसार विशेष सहायता द्वारा ऊंचा उठाने के लिए प्रत्येक ग्राम में प्रति वर्ष पांच निर्धनतम परिवार चुने जाएंगे। विकास के लिए अनेक प्रकार की वितरण व्यवस्था की आवश्यकता होती है और वह केवल क्षेत्रीय आधार पर ही की जा सकती है, व्यक्तिगत आधार पर नहीं। आशा की जाती है कि अनुभव से इस नए आंदोलन के कर्णधारों को क्षेत्रीय विकास की ओर जाने की प्रेरणा मिलेगी।

मसौदा योजना में खेती, जंगलात, मत्स्य-पालन, पशुपालन आदि से संबंधित ऐसी अनेक योजनाएं बनाई गई हैं जिनसे गरीब ग्रामीणों को रोजगार भी मिल सकता है और आमदनी भी हो सकती है। शिक्षा स्वास्थ्य आदि की न्यूनतम आवश्यतकताओं की पूर्ति के लिए भी योजना में 4,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

यह तर्क दिया गया है कि मौलिक आवश्यकता संबंधी रणनीति की यह खास शर्त है कि जो भी काम किया जाए उसकी योजना बनाने और उसे क्रियान्वित करने में उन लोगों को भाग लेने का अवसर दिया जाए जिनका उससे संबंध है। सफलता गरीबों को उद्यत करने पर निर्भर रहेगी तथा स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक नियंत्रण में अधिक प्रशासनिक समन्वय रखना पड़ेगा। इस में प्रभावी सूक्ष्म आयोजन और पर्याप्त देखभाल भी शामिल है।

यह सब पंचायती राज संस्थाओं की नई व्यवस्था पर निर्भर है। पंचायती राज संस्था समिति की रिपोर्ट में 400 जिला परिषदें स्थापित करने की आवश्यकता बताई गई है, जिनके लिए राज्य सरकारें प्रतिवर्ष अपने राजस्व में ऐसे 3,000 करोड़ रुपए देंगी। वित्त आयोग के निर्णय के अनुसार केन्द्र द्वारा राज्यों को प्रतिवर्ष 2,000 रुपए हस्तान्तरित करने से इस काम में सुविधा होगी। इसके अलावा, वित्तीय सस्थाओं द्वारा ग्रामीण विकास के लिए दिए जाने वाले ऋण भी मिलेंगे। इनकी रकम इस समय 2,300 करोड़ रुपए से बढ़कर 1982 तक 8,000 करोड़ रुपए हो जाने की आशा है।

इस प्रकार 1982 तक प्रत्येक जिला परिषद् के पास 20 से 30 करोड़ रुपए वार्षिक व्यय के लिए हो जाएंगे। जिला परिषद् के अधीन मंडल पंचायतें होंगी, जिनकी संख्या समस्त देश में लगभग 10,000 होगी और प्रत्येक मंडल पंचायत लोकतांत्रिक ढंग से प्रति वर्ष 2,00,000 रुपए व्यय कर सकेगी। इस प्रकार देश में 6 लाख से भी अधिक स्त्री-पुरुष लोकतांत्रिक शासन में शामिल हो जाएंगे। पंचायती राज संस्था समिति ने अपनी रिपोर्ट में विकास की संशोधित रणनीति के लिए संचालन-विधि भी बताई है, बशर्ते कि उस पर अमल हो।

अब जनता पार्टी को अपने संवर्गों को विकास कार्यों में जुटाने की आवश्यकता है। सहकारिता आंदोलन को ही ले लीजिए : इसके 7 करोड़ सदस्य हैं और इसका कुल वार्षिक लेन-देन 15,000 करोड़ रुपए का है, परन्तु अभी तक यह ग्रामों के निर्धनतम व्यक्तियों तक पहुंचने और उन्हें विकास की धारा में शामिल करने में असफल रहा है।

इस कमी को कैसे पूरा किया जाए? लोकतांत्रिक विकेन्द्रित संस्थाओं में काम करने के लिए लाखों ग्रामीणों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है, और ग्रामीणों में भी विशेष रूप से कमजोर वर्गों के नौजवानों को। जनता पार्टी इन बड़े क्षेत्रों में कुछ भी करने में असफल रही है, आर्थिक प्रबंध के सीमित क्षेत्र में नहीं।

यदि अन्य पार्टियां इन बातों पर ध्यान दें तो जनता पार्टी भी हार कर अंत में क्रियाशील हो जाएगी और जनता में नई आशा तथा विश्वास का संचार होगा।

भूमि सुधारों को अमल में ल

डा. पी. सी. जोशी

प्रशासन को ग्राम विकास के अनुरूप बनाने पर भारत सरकार और ऐसकैप की एक गोल मेज़ सभा (10 से 18 अगस्त 1978) में अपना एक पत्र पेश करते हुए दिल्ली के आर्थिक विकास संस्थान के प्राध्यापक महोदय ने कहा था, "जितनी अधिक चीजों में तब्दीली होती है, उतनी ही वे वैसी ही बनी रहती ह" यह निन्दाशील प्रतिक्रिया सुनाई पड़ती है जब कभी भारत में भूमि सुधार के बारे में नए वादे किए जाते हैं। जब कभी कोई समिति भूमि सुधारों को अमल में लाने के बारे में नए सिरे से समीक्षा करने के लिए नियुक्त की जाती है, तो समझदार लोगों के मुंह से बरबस यही निकल पड़ता है "सक्षम तो काम करके दिखाते हैं पर जिनमें क्षमता ही नहीं है, वे समितियां और आयोगों की नियुक्ति करते हैं।"

लोगों की उपर्युक्त निन्दाशील प्रतिक्रिया की जड़ें दरअसल उनके पिछले अनुभव से पैदा हुई हैं। राष्ट्रीय नीति का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जिसमें कि कथनी और करनी में इतना भारी अन्तर हो जितना कि भूमि सुधार नीति में। इसके अलावा, यह बात भी बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत जैसे देश में जहां की 70 प्रतिशत आबादी खेती बाड़ी का धंधा करती हो, और जिस आबादी के दूसरे धंधे में जाने की अभी गुंजाइश भी नहीं है, वहां आर्थिक ढांचे में भूमि का महत्व बराबर ज्यों का त्यों बना रहना स्वाभाविक है। भारत में एक ओर तो भूमि और पूंजी की कमी है और दूसरी ओर जन शक्ति बेकार पड़ी है। इन हालतों में अभी समय लगेगा जब कि हमारा देश एक ऐसा ढांचा तैयार कर सके जिसमें इन दोनों का ताल मेल बैठाया जा सके।

इसके अलावा, राष्ट्रीय विकास की पूरी नीति में आर्थिक पुनर्निमाण का इतना महत्व-पूर्ण स्थान है कि यदि भूमि सुधार के काम पूरी निष्ठा के साथ न किए जाएं तो उनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और यह प्रभाव केवल आर्थिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहता बल्कि स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा तथा संस्कृति पर भी पड़ता है। जातिगत असमानता, अस्पृश्यता, और थोड़े से लोगों का अधिकांश लोगों पर राजनीतिक प्रभुत्व और असमान दोषपूर्ण आर्थिक प्रणाली पर अब तक कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि भूमि सुधार के प्रति एक विशिष्ट वर्ग का रुख अब तक भी ढुलमुल तथा दुविधापूर्ण है।

हाल के वर्षों में भारत में अर्थशास्त्रियों और समाजशास्त्रियों के अनेक अध्ययनों के फलस्वरूप भूमि संबंधी पुनर्निर्माण के अपूर्ण कार्य की ओर ध्यान दिलाया गया है। हम यहां, जिन लोगों ने एशियाई देशों की ग्रामीण सामाजिक स्थिति की जांच की है उन विशेषज्ञों की सिफारिशों के निष्कर्ष नीचे दे रहे हैं :—

पहली सिफारिश है नवीनतम कृषि सर्वेक्षण (1977) की जिसे एशियाई विकास बैंक की ओर से प्रसिद्ध सामाजिक वैज्ञानिकों ने तैयार किया था। भारत से संबंधित इस सर्वेक्षण में नीचे जो निष्कर्ष दिए गए हैं उनसे पता चलता है कि भारत की भूमि संबंधी अनिर्णीत समस्या कितनी गंभीर हैं।

(क) गांवों की गरीबी का उत्पादन साधनों, विशेष रूप से भूमि से बहुत गहरा संबंध है। भूमि के क्षेत्र में उत्पादक साधनों को नियंत्रित करने वाला एक प्रमुख कारण जोतों का वितरण है। खेती बाड़ी की जोतों का वितरण अधिकांश विकासशील देशों में बहुत ही विषम है यानी किसी के पास बेतहाशा जोत है तो किसी के पास गुजारे लायक भी नहीं है।

"भारत में 1970 में कुल भूमि में 31 प्रतिशत भूमि की खेती केवल 4 प्रतिशत किसानों के पास थी और 51 प्रतिशत खेती बाड़ी करने वाली यूनिट 8 प्रतिशत खेत को जोतती थीं।"

(ख) खेतों के आकार के वितरण के आंकड़ों का सबसे महत्वपूर्ण पहलू शायद वितरण की श्रेणी नहीं है बल्कि अधिकांश खेत तो बहुत ही छोटे हैं। भारत में जितनी भी जोते हैं उनमें से 50 प्रतिशत से भी अधिक खेतों का क्षेत्रफल लगभग एक हैक्टर या इससे भी कम है। इसके अलावा, इस श्रेणी के किसानों का प्रतिशत पिछले दशक में और भी ज्यादा बढ़ गया है। इतना ही नहीं, उन मजदूरों की संख्या भी जिनके पास खेत बिल्कुल हैं ही नहीं, बढ़ गई है।

(ग) किसी देश के विशेष क्षेत्रों में लगान की दर बहुत ज्यादा है।

(घ) भूमि पर नियंत्रण और उत्पादक साधनों के बीच बहुत गहरा संबंध मालूम होता है। जितने बड़े और सम्पन्न किसान हैं उन्हें उतनी ही अधिक तकनीकी सहायता और सलाह-मश्वरा सरकारी एजेंसियां देती हैं और ऋण देने के बारे में उनको उतनी ही ज्यादा रियायतें मिलती हैं।

(च) "भारत में 1960 के भूमि सुधार कार्यक्रमों को भलीभांति क्रियान्वित नहीं किया गया। यही कारण है कि 1960 के बाद वाले आरंभिक वर्षों में जोतों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। भारत के 16 राज्यों में 1958 और 1971 के बीच भूमि सीमा कानूनों को लागू किया गया लेकिन केवल 9 लाख 90 हजार हैक्टर भूमि ही सन् 1971 तक फालतू घोषित की जा सकी यानी यह भूमि कुल फसल वाली भूमि का 0.7 प्रतिशत था। 4 लाख 90 हजार हैक्टर से कुछ कम भूमि गरीब किसानों और भूमि हीन मजदूरों में बांटी गई।"

(छ) पिछले दशक में जो परिणाम मिले हैं उनसे हमें कुछ सबक मिले, जो अगर नए नहीं हैं तो कम से कम उनसे कुछ सीख

यद्यपि सीमित
यः असफल रहे
, लाने के लिए न तो
था और न प्रशासनिक
रगर संस्थागत सहायता के
, जो लोग इन सुधारों मे
त्वत होने के अधिकारी थे, उन्होंने
कले ही अमल करने का खतरा मोल लिया
यह दरअसल कठिन काम है क्योंकि छोट-
छोटे किसानों को ऋण, सहायता, विपणन
व्यावसायिक आयात तथा सरकार की
स्थानीय परिषदों में राजनीतिक प्रभाव
आदि सभी कामों में बड़े-बड़े जमीदारों पर
निर्भर रहना पड़ता है ।"

विश्व श्रम संगठन द्वारा अध्ययन

विश्व रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत "ग्रामीण एशिया में गरीबी और भूमिहीनता (1977)" पर विश्व श्रम संगठन द्वारा जांच पड़ताल की गई । उन्होंने बिहार और तमिलनाडु की स्थितियों का अध्ययन कर पता लगाया कि गरीबी को बरकरार रखने और भूमि सुधारों के लागू न होने के पीछे असमान कृषि संरचना का हाथ है ।

इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष नीचे दिए गए है :—

(क) उदाहरण के लिए, 1954-55 में आबादी में सबसे गरीब वर्ग यानी 50 प्रतिशत के पास केवल 3.41 प्रतिशत भूमि थी । यह प्रतिशत 1960-61 में गिरकर 3.24 हो गया और 1971-72 में बढ़कर 3.92 हो गया । इससे गरीबी के स्तर पर कुछ विशेष प्रभाव नहीं पड़ा ।

(ख) भूमि सुधार के बावजूद, भूमि के स्वामित्व का वितरण बिहार में अब भी बहुत ज्यादा असमान है । इस असमानता के कारण, बिहार सरकार ने गांव के गरीबों की सहायता के लिए कई कार्यक्रम बनाए पर इनका लाभ नगण्य रहा । कोसी नदी प्रायोजना के प्रभाव पर किए जाने वाला अध्ययन इसका प्रमाण है । इन अध्ययनों से सिद्ध हुआ कि इस क्षेत्र में किसानों में विषमता बढ़ ही रही है और किसान लोग भूमि के असमान वितरण को इसका जिम्मेदार ठहराते हैं । सरकार जो कई नई योजनाएं तैयार करती है उनसे उत्पादन में वृद्धि तो होती है पर वह भी केवल बड़े किसानों और जमीदारों के यहां, क्योंकि उन्हीं लोगों को ऋण और साधन आसानी से मिलते हैं । इस तरह के विकासों से ग्रामीण क्षेत्रों में आमदनियों में और भी अधिक असमानता बढ़ी है । संभवतः इसी कारण बिहार में हाल के वर्षों में इतना असन्तोष फैला है ।

तमिलनाडु के गांवों की स्थिति के विश्लेषण से यह भी पता चलता है कि भूमि की समस्या और गरीबी की समस्या के बीच कुछ संबंध हैं । तमिलनाडु पर किए गए अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित हैं :—

विकास मुख्य रूप से एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जो कि समाज के मूल ढांचे को, उसकी सम्पत्ति तथा आर्थिक शक्ति के वितरण को चित्रित करती है । इस दृष्टि से 1950 और 1960 के बाद वाले वर्षों में विकास की नीतियों में कोई खास अन्तर नहीं आया क्योंकि इस दौरान करीब-करीब वही बुनियादी सामाजिक ढांचा था जो कि अर्थव्यवस्था में साधनों के स्वामित्व और वितरण में दिखाई पड़ता था ।

कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मुख्य साधन स्पष्टतः भूमि है । तमिलनाडु के गांवों में स्वामित्व प्रणालियों की जांच से ग्राम आदमियों की गरीबी के आधार का पता चलता है । 1971-72 के एन० एस० एस० की नवीनतम सूचना के अनुसार तमिलनाडु के गांवों के 17 प्रतिशत लोगों के पास तो जमीन बिल्कुल है ही नहीं और यह प्रतिशत भारत के राज्यों में सब से अधिक है । लगभग 60 प्रतिशत लोगों के पास तो एक एकड़ से भी कम जमीन है और ऐसे लोगों की जमीन कुल जमीन के 5 प्रतिशत से भी कम है । यह प्रणाली पिछले दो दशकों में करीब करीब ऐसी ही रही है । 1960 के बाद यद्यपि भूमि-सीमा के बारे में सुधारवादी कानून बने पर भूमि के स्वामित्व में करीब-करीब कोई परिवर्तन नहीं आया । यह स्पष्ट है कि गांवों में गरीबी का गहरा संबंध इस तथ्य से है कि आबादी के अधिकांश लोगों का साधनों पर अधिकार नहीं है और उनकी रोजी रोटी इस बात पर निर्भर करती है कि जिन लोगों के पास साधन हैं वे कैसे उनका उपयोग करते हैं विश्व कृषि संगठन में यह बताया गया है कि जिन लोगों के पास भारी मात्रा में साधन हैं वे उन साधनों का बेहतरीन उपयोग नहीं कर पाते ।

दूसरा पहलू यह है कि साधनों के इतने असमान वितरण के फलस्वरूप आमदनियों और आर्थिक दशा में भी असमानता होती है और फिर इसका परिणाम यह होता है कि उत्पादनों और तकनीकियों का चुनाव थोड़े से लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार होता है न कि अधिकांश लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप । इन स्थितियों में एक वर्ग विशेष का विकास हो सकता है और वह काफी प्रभावकारी भी हो सकता है परन्तु इस प्रणाली का दोष यह है कि साधन प्रायः थोड़े से लोगों की आवश्यकता को पूरा करते है और इन थोड़े से लोगों का ही साधनों पर स्वामित्व और नियन्त्रण होता है ।

अनेक एशियाई देशों के अध्ययन के बाद अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट में ग्राम गरीबी की समस्या पर दो वैकल्पिक बातें बताई गई हैं । एक में तो गरीबी का हल भूमि के स्वामित्व की मौजूदा प्रणाली को नजर अन्दाज करते हुए बताया गया है और दूसर हल भूमि की स्वामित्व प्रणाली के पुनर्निर्माण द्वारा सुझाया गया है । इसमें कहा गया है —

"कुछ एशियाई देशों में गांवों के गरीबों की आय बुरी तरह गिर रही है और लोगों का स्तर गरीबी के मान्य स्तर से भी नीचा है । इस बात के भी संकेत मिले हैं कि विकास के कारण सापेक्ष असमानता बढ़ी है । इन परिणामों के आधार पर कई प्रेक्षकों की राय है कि अगर अब गरीब लोगों के लिए साधन ज्यादा जुटाए जाएं तभी उनकी भौतिक समृद्धि संभव है । इसके साथ यह भी अनुभव किया गया है कि इस प्रकार के वितरण से गांवों के गरीबों की दशा तो सुधरेगी परन्तु इसमें बहुत लम्बा समय लगेगा और यह बात विशेषरूप से उन स्थितियों में लागू होती है जहां आबादी बढ़ने की दर बहुत ऊंची है ।

कुछ और लोगों की राय है कि कृषि सुधार के द्वारा भूमि सम्पदा का पुर्नवितरण होना चाहिए और केवल इसी तरह के उपायों से गांव के गरीबों के और गरीब बनने की प्रक्रिया काफी जल्दी रुक सकेगी। परन्तु सफलता स्थानीय स्थितियों, प्राप्य भूमि, विकास की दर पर निर्भर करेगी लेकिन अध्ययन से इस बात की पुष्टि होती है कि ग्रामीण एशिया के अधिकांश भागों में नीतियों में जोरदार परिवर्तन कर के ही वर्तमान रुख में तब्दीली लाई जा सकती है।

भूमि सुधार नीति

एशिया के कृषि सर्वेक्षण ने कृषि विकास के लिए अपनाई जाने वाली नीति में भूमि सुधारों को अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इसमें इसकी कुछ मुख्य बातें ये हैं :—

1. उच्चतम स्तर पर राजनीतिक बचनबद्धता
2. प्रशासनिक सन्नद्धता जिसमें अधिनियमों के तकनीकी डिजाइनों में सुधार, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, कार्यान्वियन के संगठनात्मक तंत्र में कारगर सुधार शामिल हैं।
3. लाभ प्राप्त करने वालों के लिए आवश्यक सहायक सेवाओं को मुहैया करना।
4. लाभ प्राप्त करने वालों का संगठन।

ये दो अध्ययन अन्तर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर समाज वैज्ञानिकों तथा योजना निर्माताओं के विचारों का रुख बताते हैं। पुराने अनुभवों के संदर्भ में और नई सामाजिक राजनीतिक मजबूरियों को दृष्टि में रखकर भूमि सुधारों की आवश्यकता का महत्व और भी बढ़ गया है और भूमि सुधार के लिए कार्य कुशल प्रशासनिक प्रणाली की आवश्यकता है।

आरम्भ में ही यह बात कह दी जाए कि भारत और दूसरे एशियाई देशों में भूमि सुधार की सफलता की जिम्मेदारी प्रायः प्रशासनिक कमजोरी कह कर टाल दी जाती है, जो कि न तो युक्तिसंगत है और न अनुभव सिद्ध है। इससे पहले कि प्रशासनिक प्रणाली कुछ कारगर परिणाम दिखाए, भूमि सुधार के लिए अधिकतम राजनीतिक समर्थन प्राप्त होना चाहिए और इसके विरोध को कारगर ढंग से दबाना चाहिए। दूसरे शब्दों में सैद्धान्तिक और राजनीतिक रूप से भूमि सुधार की वैधता को स्वीकारा जाना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि गॉव और शहरों में सभी वर्गों में भूमि सम्पदा के ढांचे में परिवर्तन के विषय नैतिक और युक्तिसंगत चेतना और जागरूकता का प्रसार हो। इसमें अनुसंधान संगठन, विशेषज्ञ समितियों तथा आयोग के कार्यों का महत्व है। राजनीतिक मंचों, संसदों, विधान सभाओं, प्रशासनिक संगठन और पत्रों में विस्तृत प्रसार प्रचार द्वारा मूल प्रश्नों के बारे में लोगों को स्पष्टतः बताया जाय ताकि बौद्धिक रूप से सुधार के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हो जाए।

यह बात ध्यान देने योग्य है कि राजनीतिज्ञ प्रशासक तथा योजना निर्माता भूमि सुधारों के मनोवैज्ञानिक, आर्थिक/ सामाजिक, राजनीतिक फलितार्थों का पूरा-पूरा मूल्यांकन कम ही कर पाते हैं। एशियाई देशों में भूमि का बहुत महत्व है। इन देशों में भू-सम्पदा का संबंध शक्तिशाली हितों, सम्बन्धों, भावनाओं, पूर्वाग्रहों तथा मूल्यों से जुड़ा हुआ है। इन में भारी मनोवैज्ञानिक शक्ति है जिस से करोड़ों लोगों को मोड़ा जा सकता है। यही कारण है कि भूमि की पुरानी प्रणाली की जगह नई प्रणाली लाने में बहुत कठिनाई है। यदि परिवर्तन को कम उग्र बनाना है और उत्पात और गड़बड़ी को कम होने देना है तो नीति को अधिक कल्पनाशील बनाना चाहिए और नीति को अमल में लाने वाला विशिष्ट वर्ग संकल्पवान होना चाहिए। इस वर्ग को एक विस्तृत शिक्षात्मक आन्दोलन चलाना होगा और नीति को क्रियान्वित करने से पहले सभी राजनीतिक दलों को साथ लेकर चलना होगा।

अनुकूल वातावरण

जहां भूमिसुधार क्रान्तिकारी आन्दोलनों से हुए हैं वहां उनकी सफलता का कारण वहां के जोरदार राजनीतिक और सैद्धांतिक आन्दोलन हैं जिनके कारण वहां के लोगों के सम्पत्ति के विषय में पुराने विचार बदले। लेकिन भारत में इन सुधारों के लिए शिक्षात्मक आन्दोलनों व राजनीतिक प्रचार की आवश्यकता है। यदि भूमि सुधार उपर से लादे जाएं और उनके लिए राजनीतिक और नैतिक आधार व वातावरण न तैयार किया जाए तो संभव है कि ऐसे सुधारों की प्रतिकूल अभूतपूर्व प्रतिक्रिया हो। यह भी संभव है कि खुद ऐसे लोग जिनके लाभ के लिए ये सुधार लागू हों, वे ही निहित स्वार्थों के हाथों में खेलकर विरोध कर बैठें।

इस शोध पत्र में हम भारत के भूमि सुधारों के प्रथम और द्वितीय चरण के बीच के अन्तर को स्पष्ट करना चाहेंगे। पहले चरण में मुख्य उद्देश्य तो जमींदारी और जागीरदारी का उन्मूलन करना था या ऐसे ही सामंती और अर्धसामंती अधिकारों का उन्मूलन करना था। इस चरण में जमींदारों के उस बेकार और परोपजीवी वर्ग को उखाड़ फेंकना था जो उत्पादन प्रणाली से आर्थिक रूप से बिल्कुल अलग था और नैतिक रूप से उसकी जड़ें ही नहीं थी क्योंकि वह उपनिवेशवादियों के साथ था। लेकिन दूसरे चरण में, आक्रमण का लक्ष्य और बड़ा था। इस का लक्ष्य था, बचे खुचे वे लोग जो जमीनों के मालिक थे और बड़े किसानों के रूप में उभर आए थे। भूमि सुधार में दूसरा हमला न केवल बिना कमाई गई आय के विरुद्ध था बल्कि उस पद्धति के विरुद्ध था जिसमें भूमि को निजी सम्पत्ति माना जाता है और खेती को व्यवसाय या उद्यम मानकर धन कमाया जाता है। इसलिए कुछ लोगों की सम्पत्ति पर अधिकार की भावना को इससे चोट पहुंचती है और वे इसका विरोध करते हैं।

जो जमीदार खुद खेती नहीं करते उन्होंने पूरी जयदाद उपनिवेशवादी मालिकों से या शोषण से नहीं पाई। अविकसित राष्ट्रों में जमीन को न केवल समाज में मान-मर्यादा या शक्ति का प्रतीक मानते हैं बल्कि यह पूंजी के विनिमय का सबसे अधिक सुरक्षित रूप है। ऐसे भी लोग हैं जो पैसा बचाकर या शहरों में कमा कर और पैसा जुटाकर गांव में जमीन खरीदते हैं। भूमि सुधार की आम धारणा के अन्तर्गत इस तरह से प्राप्त की गई भूमि नहीं आती और इन दो भिन्न-भिन्न प्रकार की स्थितियों में विरोधाभास नजर आता है क्योंकि सुरक्षा और समाज में स्थान की परम्परागत भावना भूमि के स्वामित्व से जुड़ी हुई है और इसे समाज का बहुत बड़ा वर्ग मानता है। (इस संदर्भ में यह महत्वपूर्ण बात है कि नए चीन का कृषि सुधार कानून भी जो कि क्रांतिकारी कानून है, भूमि के मालकों और किसानों को एक ही वर्ग में नहीं रखता। बल्कि, इसके विपरीत,

इनकी अनेक उपश्रेणियां बनाई गई हैं ताकि भूमि-सुधार के विरोध को प्रभावहीन किया जा सके और भूमि सुधार के प्रत्येक चरण में एक सीमित उपश्रेणी पर आक्रमण को केन्द्रित किया जा सके ।)

एक महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन में बहुत बड़ी संख्या में भूमिहीन किसानों की सम्पदा के लिए सशक्त वृत्ति (लालसा) का लाभ उठाकर भूमि-सुधार को सफल बनाया गया । भारत में भूमिहीन किसानों से इस प्रकार की भूमि की भूख का लाभ नहीं उठाया जा सका और भूमि के मालिक अमीर किसानों की सम्पदा की वृत्ति को खत्म नहीं किया जा सका । यह तो आसान काम है कि किसानों का एक भारी वर्ग भूमि के निठल्ले अल्पसंख्यकों के विरुद्ध उठ खड़ा हो और भूमि सुधार सफलता से अमल में लाए जा सकें लेकिन उस हालत में सफलता मिलनी मुश्किल है जहां यह मालूम पड़े कि किसान ही किसानों के विरुद्ध खड़े किए जाएं और जोखिम लाने वालों के मुकाबले सिफारशों की हिमायत की जाए ।

इस पृष्ठ भूमि में सैद्धान्तिक स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण समस्या भूमि सुधार में ताल मेल बैठाने की है क्योंकि इस में सम्पत्ति पर अधिकार को छुड़वाने की बात है और दूसरी ओर सम्पत्ति के अधिकार का मौलिक सिद्धान्त है । ऊपर बताया जा चुका है कि पहले चरण में सुधार क्यों अपेक्षाकृत आसान था । जिन जगहों में भूमि की मिल्कियत अर्द्ध-सामन्ती रूप में है और सामन्ती रूप खत्म हो रहा है, वहां इस समस्या का समाधान पहले सैद्धान्तिक और राजनीतिक स्तर पर ढूंढा जाना चाहिए ताकि प्रशासनिक कार्यवाही के लिए उपयुक्त आधार मिल जाए ।

यह ध्यान देने योग्य बात है कि दूसरे चरण में राजनीतिक विशिष्ट वर्ग चाहे वह शासक वर्ग से संबंधित हो या वह विरोधी दल का हो, दोनों ने ही भूमि सुधार में और परिवर्तन करने के उत्तरदायित्व को टाला है । यह इस बात से स्पष्ट है कि नेहरू जी के बाद वाले युग में लगान में सुधार, भूमि-सुधार, भूमि सीमा और कृषि सहकारिता जैसे विषयों पर शायद ही कभी बहुत गंभीरता से विचार विमर्श किया गया हो । ग्रामीण क्षेत्रों में इस क्षेत्र में राजनीतिक नेतृत्व या कार्यकर्ता तैयार करने के प्रयत्न भी कम ही किए गए ।

दोहरी नीति

उत्तर प्रदेश और पंजाब के खेतों का दौरा करते समय पिछले दिनों लेखक यह देखकर दंग रह गया कि दिल्ली, लखनऊ और चंडीगढ़ में भूमि-सीमा और सहकारी खेती के बारे में बड़ी जोरदार गरमागरम चर्चाएं चल रही थीं, जबकि गांवों में इन विषयों पर कहीं कोई चर्चा नहीं थी । सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता चुप्पी साधे हुए थे । उन्हें डर था कि कहीं वे गांव के सशक्त वर्ग के कोपभाजन न बन जाएं । यहां तक भी कहा जाता है कि राजनीतिक दल भी इन सशक्त वर्गों से सांठ गांठ रखते हैं और उनका समर्थन नहीं खोना चाहते । गरीबों के वोट लेने के लिए वे बातें तो करेंगे पर उनकी कथनी और करनी में अन्तर होता है । मेरी राय में यह विश्लेषण बहुत हद तक अनेक एशियाई देशों के बारे में सही है जहां कि प्रशासन और राजनीति पर अब भी पुराने किस्म के भूमिपतियों का प्रभुत्व है । भारत के विषय में भी यह बहुत थोड़ी हद तक लागू होता है ।

भारत में राजनीतिक और प्रशासनिक लोगों का बहुत बड़ा वर्ग व्यावसायिक बन रहा है और भू-स्वामियों के वर्गों के विशेष रूप से उच्च और मध्यम स्तरों पर, सीधे प्रभाव से अलग थलग हो रहा है । अगर इन लोगों ने भूमिसुधारों में कोई कारगर काम नहीं किया तो उसका कारण यह है कि उन लोगों की सम्पत्ति, उद्यम और न्याय आदि के विषय में भी वैसी ही धारणाएं हैं जैसी कि नए भूस्वामियों की जो कि परम्परागत भूस्वामियों का स्थान ले रहे हैं । भूमिसुधार में गति लाने के लिए न केवल प्रशासनिक प्रक्रिया में सुधार लाना है और एक राजनीतिक वर्ग के स्थान पर दूसरे वर्ग को लाना है बल्कि इस चुनौती का मुकाबला तो सैद्धान्तिक रूप से किया जाना चाहिए । आमतौर से लोगों में सम्पत्ति के विषय में जो दृष्टिकोण है, विशेषरूप से जमीन के बारे में जो धारणा है, उसे भारत में एक नए समाज के निर्माण के संदर्भ में बदलना है । इसे राजनीतिक रूप से हल करना है और उसमें अधिकतम लोगों का समर्थन लेना है ।

सम्पत्ति के विषय में जब एक नया दृष्टिकोण पेश किया जाए तो हमें उसका समर्थन आधुनिक सामाजिक और आर्थिक विचारों तथा संबंधित भारतीय परम्पराओं से प्राप्त करना होगा । दूसरे शब्दों में हमें सैद्धान्तिक रूप से भूमि सुधार के प्रश्न पर भारत के विशिष्ट वर्ग का फिर एकीकरण करना होगा । राजनीतिज्ञों और प्रशासकों को इस नए परिप्रेक्ष्य का दायित्ववाहक बनना होगा, तभी वे सुधारों को कार्यान्वित करने की आशा कर सकते हैं ।

भारत में हमारे समाज वैज्ञानिकों का इस दिशा में योगदान लगभग नगण्य है जबकि पाश्चात्य देशों में उदार आर्थिक विचारक जैसे एडमस्मिथ, जानस्टुअर्ट मिल, कार्लमार्क्स जैसे समाजवादी विचारकों ने महत्वपूर्ण योगदान किया है । भारत में अर्थशास्त्रियों ने अपना ध्यान अधिकांशरूप से "उत्पादन कार्यों" या फालतू जमीन के अनुमानित आंकड़े तैयार करने पर केन्द्रित किया । इन कामों का भी अपना महत्व है । परन्तु एक नई कृषि व्यवस्था तैयार करने के लिए दार्शनिक आधार की अपेक्षा है ।

राजनीतिक क्षेत्र में भी सिद्धान्तों की असफलता रही है । राजनीतिज्ञ यह सोचते हैं कि जो कुछ करेगा, राज्य करेगा, आम आदमी की शक्ति और सर्जनात्मक सूझबूझ के बारे में वे कुछ नहीं सोचते । यों तो गांधी-वादियों की कमी नहीं है पर जहां तक मेरा ख्याल है कोई भी ऐसा गांधीवादी नहीं है जिसने गांधी जी के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में सम्पत्ति के प्रश्न पर गम्भीरता से सोचा हो । इसी भारत के विभिन्न मार्क्सवादी जो कि क्रान्तिकारी हल में विश्वास करते हैं, उन्होंने कोई इस विषय पर भारत के अनुकूल क्रान्तिकारी दर्शन नहीं दिया ।

बेनामी लेनदेन

पिछले अनुभव से पता चलता है कि भूमि संबंधी नीति को केवल व्यावहारिक और प्रशासनिक प्रश्न के रूप में देखा गया न कि दार्शनिक और नैतिक रूप में । इसके बहुत बुरे परिणाम मिले हैं । चीन, वियतनाम और क्यूबा में समाज के जिस तरह के लोग इस काम में जुटे हैं वैसा यहां नहीं हो पाया । लोगों में वैसी नैतिकता की भावना नहीं रही जैसी कि महात्मा गांधी के देश में आशा की जानी चाहिए थी । इसमें राजनीतिक नेतृत्व की असफलता रही । आदमी में सम्पत्ति के प्रति एक ऐसी उद्दाम आकांक्षा है कि अगर आदमी में धन संग्रह करने की भूख पर लगाम

[illegible] रहे तो इसके [illegible] भूमि [illegible] होते हैं और आदमी [illegible] हुए व्यवसायवाद के इस युग में सम्पत्ति के प्रति लालच के कारण अनैतिक आचरण कर बैठता है। इसी लालच के कारण कानून की चपेट से बचने के लिए भूमि के मालिकों ने बड़ी चालाकी से काम किया और न केवल भूमि पर स्वामित्व के अधिकार को बचाने के लिए बल्कि उस पर अपना नियंत्रण जारी रखने के लिए हथकंडे अपनाए। इससे बुरी बात और क्या हो सकती है कि अनेक राजनीतिज्ञों और प्रशासकों ने स्वयं भी भूमि के हथियाने में मदद की। किसी-किसी राज्य में तो स्वयं इन लोगों ने जमीनें हथियाईं। इस संबंध में हरचरण सिंह समिति की रिपोर्ट ने जमीन के हथियाने संबंधी नए कई कारनामों को उजागर किया है।

जब उक्त समिति की रिपोर्ट 26 जून, 1973 को प्रकाशित हुई तो पंजाब में राजनीतिक तूफान उठ खड़ा हुआ। इसके दो कारण थे। एक तो उक्त मामले में विस्थापितों की भूमि को बेचने में अधिकार और ईमानदारी का दुरुपयोग हुआ। ये जमीनें दी गई कुछ रिश्तेदारों, कुछ खास कृपापात्र पट्टेदारों, भूले भटके कभी किसी कृपापात्र भूमिहीन या हरिजन को। इस भूमि सुधार में पंजाब के विशिष्ट वर्ग ने लाभ उठाया। यहां तक कि इनमें उच्च राजनीतिक स्तर के व्यक्ति कानून बनाने वाले या सार्वजनिक रायों के बनाने वाले लोग और वह जमीन जोकि इन लोगों ने हथियाई, बड़े सस्ते दामों पर ली गई और पैसा भी प्रायः सरकारी एजेन्सियों से ही लिया गया।

भूमि की लूट

अधिकांश देशों में कृषि में पूंजीवाद का उदय जमीनों को कुछ लोगों द्वारा हथियाने के परिणामस्वरूप हुआ। इंगलैण्ड के साहित्य में भी इस प्रकार उल्लेख मिलता है। दूसरी बात यह है कि राजनीतिक प्रणाली में जो भूमि का राजनीतिक विशिष्ट वर्ग और राज्यों की एजेन्सियों द्वारा भूमिका अदा की जानी थी। उस पर काम नहीं हुआ। कहां तो इस से भूमि सुधार को अमल में लाने की आशा की जाती है और कहां वे इससे उल्टा काम कर दिखाते हैं। भूमि के मालिकों के पास धन भी है और शक्ति भी, जिससे सत्ता उनकी तरफ झुकी होती है। तीसरी बात है कि राज्य की शक्ति आर्थिक जीवन में हस्तक्षेप करती है जिससे एक ओर तो वह वर्ग है जो भूमि के लिए दांत गड़ाए रहता है और दूसरी ओर वह वर्ग है जो धरती के लिए भूखा है। अमीर किसानों का एक ऐसा वर्ग तैयार हो गया है जो जमीन हथियाता है, जिसका राज्य सरकारों पर प्रभुत्व है, जिसका क्षेत्रीय व स्थानीय प्रशासन पर दबदबा है और जो भूमि सुधार में बहुत बड़ी अड़चन बन गया है।

परम्परागत जीवन पद्धति को खतरा

भूमि को जबरदस्ती हथियाने से परम्परागत आर्थिक पद्धति बिखर गई है और गांव में शोषक और शोषित दो वर्ग बन गए हैं। इससे गरीब किसान समुदाय को खतरा पैदा हो गया है।

आर्थिक विकास में निजी लाभ और निजी सम्पत्ति के तर्क को मान्यता मिलने से उस के लिए खुली छूट मिल गई है। अगर आर्थिक क्रांति में निजी लाभ और निजी सम्पत्ति को प्रमुखता दी जाती है तो फिर निहित स्वार्थ जोर शोर से काम करने लगते हैं जिससे थोड़े से हाथों में पूंजी इक्ठ्ठी होने लगती है। विशेष रूप से 'सम्पदा के लिए लालच जल्दी ही सत्ता के लिए लालच का रूप ले लेता है क्योंकि किसी सम्पदा तक पहुंचने के लिए सत्ता का माध्यम चाहिए।

पिछले अनुभव से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जब राष्ट्रीय हित में भूमि को राष्ट्रीय सम्पदा के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता की चर्चा चली तो किस तरह भूमि निजी सम्पत्ति है" के सिद्धांत ने जोर पकड़ा और इस तरह विशाल जन समुदाय के "जीविका के अधिकार" और कुछ अल्पसंख्यक सुविधा प्राप्त लोगों के "सम्पत्ति पर अधिकार"—इन दोनों में टकराव हुआ।

भूमि सुधार के पहले चरण में तो इस विरोधाभास के एक पहलू को विभिन्न राज्यों ने कुछ हद तक हल कर लिया था। उन्होंने मुख्यतः अर्धसामन्ती जमींदारों के एक वर्ग के भूमि अधिकारों को खत्म कर दिया था। परन्तु दूसरा चरण कठिन है। इस चरण में एक नए वर्ग का सामना किया जाना है। यह वर्ग व्यवसायोन्मुखी है, धनवान है और राजनीतिक शक्ति सम्पन्न है जब कि गरीब किसान के पास इनमें से कुछ भी नहीं है।

इस पृष्ठ भूमि में आर्थिक और राजनीतिक प्रणाली म भूमि संबंधी नीति की संतुलनहीनता को ठीक करना होगा। यह संतुलनहीनता नवोदित समृद्ध लोगों के शक्तिशाली दबाव के कारण पैदा हुई है। इस संतुलनहीनता को तभी दूर किया जा सकता है, जब आर्थिक प्रणाली के साधनों पर गांव के समृद्ध लोगों का नियंत्रण खत्म किया जा सके और इस नियंत्रण को दबाने के लिए सशक्त प्रतिरोधी दबाव तैयार किया जाए। इसके लिए आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन की आवश्यकता है। इसके लिए तीन चुनौतियों का सामना किया जाना है :—

(1) सबसे पहले भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल, सम्पत्ति के विषय में एक वैकल्पिक सिद्धांत हो। इस सिद्धांत के अनुसार भूमि का आर्थिक साधन के रूप में पूरा-पूरा इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिसमें आधुनिक विज्ञान और तकनीकी का भरपूर उपयोग हो। दूसरी ओर, इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि मेहनत करने वाले किसान आर्थिक उन्नति में साझीदार हों और उन्हें उसका लाभ भी मिले। पहले छोटे किसानों को या तो उस लाभ से वंचित रखा जाता था या आर्थिक उन्नति के वे शिकार होते थे।

(2) विभिन्न राज्यों में अलग-अलग प्रकार की स्थितियां हैं। इन विषम परिस्थितियों के संदर्भ में सम्पत्ति के नए सिद्धांत को कृषि कार्यक्रमों में स्थान दिया जाए। अधिक से अधिक किसान इस कार्यक्रम में भाग लें और राज्य की ओर से की जाने वाली कार्यवाही के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हो।

(3) राजनीतिज्ञों और प्रशासकों में जो लोग दूरदर्शी और प्रगतिशील हैं उन्हें राजनीतिक प्रणाली की खराबियों को दूर करने का जोरदार प्रयत्न करना चाहिए और नए थोड़े से लोगों के हितों की साधना को छोड़ कर आम लोगों के विकास का साधन बने।

प्रशासनिक प्रणाली को बदलने से भूमि-सुधार कार्यान्वियन में एक नए अध्याय का सूत्रपात हो सकता है बशर्ते कि इस बात को ध्यान में रखा जाए कि राजनीतिक प्रणाली की शक्ति के आधार गांव के अमीर न होकर गांव के गरीब हो जाएं और गांव के गरीब लोग भी शक्ति संतुलन को इस तरह बदलने में सक्रिय हों। भूमिसुधार शक्ति संतुलन में आमूल परिवर्तन का कारण भी है और परिणाम भी। इस दिशा में भूमिसुधार कार्यक्रम तयार करने और उनके कार्यान्वियन में, केन्द्रों में गांव के गरीबों के हित के लिए भूमि आयोगों और राज्यों में ग्राम्यस्तर समितियों को, जिनमें कि गांव के गरीबों का काफी प्रतिनिधित्व है, निश्चित भूमिका अदा करनी होगी।

अनुवादकर्ता : ब्रजलाल उनियाल

ऊसर भूमि का सुधार कीजिए

※ गंगा शरण सैनी

देश की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, जिसके कारण कृषि योग्य भूमि पर उस का दबाव निरन्तर बढ़ता जा रहा है। विगत कुछ वर्षों से कृषि उत्पादन में जो वृद्धि हुई है, उसमें कृषि क्षेत्र में लागू विकासोन्मुखी योजनाओं का विशेष तथा सराहनीय योगदान रहा है। इन योजनाओं में मुख्यतः अधिक उपज देने वाली किस्में, सिंचाई, खाद एवं उर्वरक इत्यादि के अन्तर्गत क्षेत्रफल में वृद्धि रही है। हमारी भूमि का कृषि योग्य क्षेत्रफल सीमित है और हमें कृषि उत्पादन को और बढ़ाने के लिए इसी क्षेत्रफल का अधिक से अधिक उपयोग करना है। इसके साथ ही ऐसा क्षेत्र जिसमें बारानी या ऊसर होने के कारण खेती नहीं हो सकती थी, कृषि योग्य बनाना है। ऊसर भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए भारतीय कृषि वैज्ञानिकों ने एक सरल व सुलभ तकनीक खोज निकाली है, जिसका प्रयोग करके कृषि उपज में आश्चर्यजनक वृद्धि की जा सकती है।

भारत में 70 लाख हैक्टेयर भूमि लवणीय है, इस क्षेत्र में से अधिकांश भूमि ऐसी है, जो क्षारीय तरह की लवणीय है। क्षारीय भूमि में सोडियम की अधिकता होती है। ऊसर भूमि उत्तर भारत में हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से पाई जाती है। इनके अलावा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आन्ध्रप्रदेश, तमिलनाडु, केरल आदि प्रदेशों में भी ऊसर भूमि पाई जाती है जो समुद्रीय जल के फैलाव के कारण ऊसर हो जाती है।

कारण

ऊसर भूमि के निर्माण में अनेक कारण हैं, उनमें शुष्क और अर्ध-शुष्क जलवायु, उप-भूमिगत जल का ऊंचा स्तर, खराब, जलनिकास, लवणयुक्त जल द्वारा सिंचाई, भूमि के ऊपर समुद्रीय जल का बहाव, आदि प्रमुख हैं।

मृदा सुधारक

ऊसर भूमि के सुधार के लिए कार्बनिक और अकार्बनिक मृदा सुधारकों का प्रयोग किया गया है, जिनमें जिप्सम, गंधक, शीरा, कैल्शियम क्लोराइड, गंधक का अम्ल, राक फास्फेट, गोबर की खाद, हरी खाद, सत्यानाशी के पौधे, फास्फो-जिप्सम आदि प्रमुख हैं। विगत कुछ वर्षों से पाइराइट्स का प्रयोग ऊसर भूमि के सुधारने के लिए किया जा रहा है, जिसकी लोकप्रियता दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। पाइराइट्स से उन क्षारीय/ऊसर भूमियों को सुगमता से सुधारा जा सकता है, जिनमें सोडियम के साथ कैल्शियम कार्बोनेट की अधिकता होती है। इस लेख में पाइराइट्स के सम्बन्ध में विशेष जानकारी दी जा रही है ताकि किसान अपनी ऊसर भूमि को सुधारने के लिए पाइराइट्स नामक भूमि-सुधारक का प्रयोग कर सकें और अपनी कृषि उपज में वृद्धि कर सकें।

पाइराइट्स

पाइराइट्स एक खनिज तत्त्व है, जो बिहार के रोहतास जिले के अमझोर नामक स्थान में पाया जाता है। इसके अलावा, राजस्थान के सीकर जिले की सलेदीपुरा ग्राम, नीमका थाना उपखण्ड में भी यह उपलब्ध है। पाइराइट्स में गंधक और लोहा होता है, इनके अलावा, मैगनीशियम कैल्शियम, अलूमिना, सिलिका, कार्बन, जिंक, तांबा और मैगनीज भी मिलते हैं। पाइराइट्स का प्रयोग गंधक का अम्ल और उर्वरक निर्माण के लिए भी किया जाता है।

1972 में पाइराइट्स फास्फेट्स एण्ड कैमिकल्स लि० ने निदेशक, केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल से अनुरोध किया था कि क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में पाइराइट्स की उपयोगिता की जांच की जाए। फलतः 1972–73 की खरीफ और रबी फसलों में पाइराइट्स और जिप्सम की गुणकारिता का तुलनात्मक अध्ययन किया गया। इसके अलावा, कृषि महाविद्यालय, हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी (उत्तर प्रदेश), राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा (समस्तीपुर), तिरहुत डिवीजन बिहार, भारतीय उर्वरक निगम, पटना, बिहार, चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्राद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर, उत्तर प्रदेश, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश एवं स्टेट फार्म कारपोरेशन आफ इण्डिया, लालगंज फार्म रायबरेली में पाइराइट्स के प्रयोग पर परीक्षण और शोध कार्य किये गए हैं और किये जा रहे हैं।

इन शोध और परीक्षणों के अलावा, काफी ऊसर भूमि पाइराइट्स के द्वारा सुधारी गई है, जिसमें प्रमुख हैं—स्टेट फार्म कारपोरेशन का लालगंज फार्म, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्राद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर और नरेन्द्रदेव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद। इनके अलावा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 1977 में 100 टन पाइराइट्स विभिन्न किसानों को अपनी ऊसर भूमि सुधारने के लिए वितरित किया था, इस वर्ष भी सरकार द्वारा पाइराइट्स वितरित किया जा रहा है।

ऊसर भूमि के सुधार के लिए घुलनशील लवणों को बंजर क्षेत्र से भारी सिंचाई द्वारा नीचे पहुंचाना होता है। क्षारीय मृदाओं में कैल्शियम कले कणों से चिपक जाता है, जिसके कारण भूमि की सतह खराब हो जाती है और जिससे भूमि की जल शोषण क्षमता कम हो जाती है, तथा जल अपवाह (रन आफ) अधिक होता है। ऊसर भूमि से कैल्शियम और सोडियम

[illegible] है। कुछ क्षेत्रों में सतह [illegible] हो जाता है। अब हम पाइराइट्स द्वारा ऊसर भूमि सुधार के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे।

ऊसर भूमि को सुधारने के लिए पाइराइट्स की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है, यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है। पाइराइट्स की उचित मात्रा ज्ञात करने के लिए मृदा-जांच अनिवार्य है। वैसे ऊसर भूमि सुधार के लिए पाइराइट्स की मात्रा भूमि के पी० एच० और उसकी किस्म पर निर्भर करती है। किसानों की सुविधा के लिए नीचे एक सारणी दी गई है, जिसकी सहायता से पाइराइट्स का प्रयोग करके अपनी भूमि को सुधार सकते हैं :—

पी० एच०	पाइराइट्स की मात्रा प्रति है० (टनों में)		
	रेतीली	दोमट	क्ले दोमट
8.6	1.0	2.0	3.0
8.8	2.0	3.0	3.5
9.0	2.5	4.0	5.0
9.2	3.0	5.0	7.5
9.4	4.0	7.0	10.0
9.6	5.5	9.0	12.0
10.0	8.5	13.0	15.0
10.2	10.0	14.5	16.0

उपचार विधि :

पाइराइट्स से पूरा लाभ लेने के लिए खेत का आकार छोटा होना अनिवार्य है। यदि खेत का आकार बड़ा हो, तो उसे छोटे भागों में विभक्त कर लें। जून के प्रथम सप्ताह में खेत की जुताई करें। उसके उपरान्त खेत के चारों ओर 60 सें० मी० ऊंची डौली बनाएं। जुताई के उपरान्त भूमि को समतल करें। फिर मृदा-जांच के अनुसार पाइराइट्स की मात्रा को समान रूप से खेत में बिखेर दें, फिर हल चलाएं, ताकि पाइराइट्स भूमि में भली-भांति मिल जाए। इसके बाद खेत में 25–30 सें० मी० ऊंचाई तक उत्तम गुणवाला पानी भर दें। खेत में पानी डालने से रासायनिक क्रिया होती है। पानी डालने से गंधक का अम्ल बनता है। भूमि में पाइराइट्स डालने के पश्चात् लगभग 7–10 दिन में उसका पूर्णतया आक्सीकरण हो जाता है। गंधक का अम्ल भूमि के कैल्शियम कार्बोनेट से प्रतिक्रिया करके कैल्शियम सल्फेट बनता है और सोडियम, और अन्य लवणों को गुणरहित कर देता है। निर्मित कैल्शियम सल्फेट सोडियम क्ले से प्रतिक्रिया करके उसे कैल्शियम क्ले में परिवर्तित कर देता है, जिसके द्वारा ऊसर भूमि का सुधार होता है।

सावधानियां :

पाइराइट्स के प्रयोग में कुछ सावधानियों की आवश्यकता होती है, जिनका उल्लेख नीचे किया गया है :

- पाइराइट्स का प्रयोग करने से पूर्व खेत के चारों ओर मजबूत डौलियों का निर्माण अवश्य करें। उसके उपरान्त खेत की जुताई करके समतल करें।
- प्रथम वर्ष अम्ल प्रदान करने वाले उर्वरकों का प्रयोग करें। अम्ल प्रदान करने वाले उर्वरकों में अमोनियम सल्फेट का प्रमुख स्थान है।
- गोबर की खाद और 12 टन धान की पुआल प्रति है० की दर से प्रयोग करें, ऐसा करने से अधिक उपज होती है।
- सामान्य भूमि की तुलना में अधिक मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें।
- जिंक सल्फेट का प्रयोग अवश्य करें।

धान की रोपाई से पूर्व "पडलिंग" न करें जैसाकि सामान्य भूमि में धान उगाने के लिए पडलिंग की जाती हैं।

- धान की रोपाई के लिए 30 दिन पुरानी पौद का प्रयोग करें।
- धान की रोपाई कम दूरी पर करें।
- यदि पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो, तो गेहूं की कटाई के उपरान्त "ढैंचा" उगाए।
- अधिक और हल्की सिंचाई करें।

केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान द्वारा विभिन्न फसलों की विभिन्न किस्मों की लवण सहनशीलता पर अध्ययन किया गया है। विभिन्न फसलों की विभिन्न किस्में जो उपयुक्त पाई गई हैं उन्हें निम्न सारिणी में दर्शाया गया है :

फसल	किस्म	विशेष विवरण
चावल	आई० आर० 8 आई० आर० 8—68 जया	देर से पकने वाली किस्में।
	पूसा 2—21 सी० एस० आर० 4	जल्दी पकने वाली किस्म।
गेहूं	एच० डी० 1982 एच० डी० 1553 एच० डी० 2009 डब्ल्यू० एच० 157 डब्ल्यू० एच० 711	
जौ	के० 198 डी० एल० 36 डी० एल० 70 डी० एल० 105 डी० एल० 153 बी० एच० एस० 24	

ऊर्वरक

परीक्षणों द्वारा पता चला है कि उसर भूमि में "ढैंचा" उगाना चाहिए, ऐसा करने से जिप्सम द्वारा भूमि सुधार अधिक प्रभाव होता है। इस के अलावा, भूमि में जीवांश पदार्थ और नाइट्रोजन की मात्रा में भी वृद्धि होती है। क्षारीय भूमि की पारगम्यता (परमीएबिलिटी) में सुधार होता है। दूसरी ओर ढैंचे की फसल 80 कि० ग्राम नाइट्रोजन प्रति है० की दर से भूमि को उपहार स्वरूप प्रदान करती है।

ऊसर भूमि को सुधारने के उपरान्त उसमें उर्वरकों के प्रयोग की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। ऐसी भूमियों में आमतौर से नाइट्रोजन और जिंक की कमी होती है। परीक्षणों से पता चला है कि इस प्रकार की मृदाओं में सामान्य मृदाओं की तुलना में 20 से 25 प्रतिशत तक अधिक उर्वरक डालने चाहिएं। नाइट्रोजनधारी उर्वरक का पर्णीय छिड़काव और भूमि में डालने का तुलनात्मक अध्ययन किया गया, जिस से पता चला है कि 20 कि० ग्राम यूरिया को प्रति है० 2 बार में पर्णीय छिड़काव के रूप में प्रयोग करने से 60 कि० ग्राम यूरिया प्रति है० भूमि में डालने से समान उत्पादन मिला। इस परीक्षण से यह सिद्ध होता है कि यूरिया को भूमि में डाल कर उसका पर्णीय छिड़काव उत्तम रहता है, क्योंकि इस में कम मात्रा में यूरिया की आवश्यकता होती है। परीक्षणों से यह पता चला है कि ऊसर-क्षारीय मृदाओं में यूरिया या कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट (किसान खाद) के बजाय अमोनियम सल्फेट से अच्छे परिणाम निकले हैं।

ऊसर भूमि में जिंक नामक तत्व की कमी पाई जाती है, अतः उनमें "जिंक सल्फेट" का प्रयोग अवश्य करें।

ऊसर मृदा सुधार के लिए कई राज्यों द्वारा जिप्सम/पाइराइट्स की खरीद पर छूट दी जा रही है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा पंजाब में यह कार्य विशेष रूप से किया जा रहा है। राज्य-सरकारों को चाहिए कि वे अच्छे जल के लिए नल-कूप खोदें, ताकि ऊसर भूमि सुधारने के लिए अच्छा जल सुगमता से मिल सके। साथ ही किसानों को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा आसान किस्तों पर ऋण भी मिलना चाहिए, ताकि वे अपनी ऊसर भूमि का सुधार कर सकें।

यदि उपरोक्त विधि से ऊसर भूमि का सुधार किया जाए, तो उस भूमि से न केवल हमारे देश की खाद्य समस्या में सुधार होगा बल्कि छोटे एवं मध्यम वर्गीय किसानों और ग्रामीणों को आजीविका भी मिलेगी, जिससे उनका जीवन स्तर ऊंचा होगा। इस स्वप्न को साकार करने के लिए हमारे किसान भाइयों का सहयोग नितान्त आवश्यक है।

गंगा शरण सैनी,
अतिरिक्त सहायक निदेशक,
केन्द्रीय जल आयोग,
फरीदाबाद

"नया वर्ष सबको सुखमय हो" ✻ सूर्यदत्त दुबे

नया वर्ष सबको सुखमय हो।
नई किरण फूटे प्राची से,
नव प्रभात मुदमंगल मय हो॥
हटें फूट के घिरते बादल।
मिटे स्वार्थपरता का दलदल।
जात-पांत के बंधन टूटें।
खिले सुखद चिर आशा शतदल॥
नई चेतना जगे, हृदय में
राष्ट्र प्रेम का भाव उदय हो।
नया वर्ष सबको सुखमय हो॥
ले मजदूर कुदालें कर में।
जुटें राष्ट्र-निर्माण समर में।
श्रम की गंगा बहे निरंतर।
नव विधियां आएं घर-घर में॥
भूख मिटे, बेकारी भागे,
सबल राष्ट्र का अरुणोदय हो।
नया वर्ष सबको सुखमय हो॥
कृषक ग्राम को स्वर्ग बनाएं।
विकसित कृषि-साधन अपनाएं।
उन्नत बीज, खाद, पानी से,
खेतों में सोना उपजाएं॥
मिटे निरक्षरता सदियों की,
नव-विकास-पथ ज्योतिर्मय हो।
नया वर्ष सब को सुखमय हो॥

—30, हौजरानी
नई दिल्ली-110017

नगरों पर निर्भर गांवों की अर्थ व्यवस्था

भगवान् सहाय त्रिवेदी

एक जमाना था जब गांव तो आत्मनिर्भर थे ही, नगर भी अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए गांवों के मोहताज रहते थे। अनाज, ईंधन, मोटा कपड़ा, घी, तेल और इसी तरह की और सैकड़ों वस्तुएं गांवों से शहरों में आती थीं। गांव अन्नदाता कहे जाते थे। कविगण गांव की तुलना स्वर्ग से करते हुए कहते थे--अहा! ग्राम्य जीवन भी क्या है! क्यों न इसे सबका मन चाहे!

पर लगता है अर्थ-चक्र घूमते घूमते ऐसी विपरीत स्थिति में पहुंच गया है जहां गांव शहरों के मुखापेक्षी होते जा रहे हैं, उनकी स्वनियोजित अर्थ व्यवस्था के दुष्चक्र में फंसते जा रहे हैं। इस नई अर्थ व्यवस्था के कारण गांव की आत्मा भी समाप्त होती जा रही है और गांववासियों के मान मूल्य तेजी से बदलते जा रहे हैं। समझ में नहीं आता इसे प्रगति कहा जाए या दुर्गति।

वास्तव में ग्राम्य जीवन की अपने आप में पूर्णता ही वह स्वर्गिक सुख था जिसे देखकर पं० श्रीधर पाठक ने भी स्वर्ग की संज्ञा दी। गांव आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से अपने आप में पूर्ण इकाई था। गांव की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन गांव में ही उपलब्ध थे। मोची, चमार, बढ़ई, कुम्हार, नाई, ब्राह्मण, महाजन ये सब मिलकर ही गांव के जीवन को पूर्णता प्रदान करते थे। वर्ग भेद व वर्ण भेद होते हुए भी गांव में ये सब जातियां एक कुटुम्ब की तरह रहती थीं क्योंकि एक वर्ग दूसरे की सामाजिक व आर्थिक आवश्यकता के पूरक थे। चमार किसान के लिए चड़स आदि बनाता था, बढ़ई उसके खेती के औजार तैयार करता था। कुम्हार बर्तनों की जरूरत पूरी करता था और छप्पर के लिए खपरेल तैयार करता था, नाई और ब्राह्मण सामाजिक आवश्यकता थे। किसान बदले में इन्हें फसल पर बन्धा हुआ अनाज दे दिया करता था। यद्यपि अनाज का भाव बहुत सस्ता था फिर भी इस व्यवस्था से सबको संतोष था।

विशृंखल आर्थिक व्यवस्था

सामाजिक चेतना और आर्थिक दबाव के कारण गांव की वह इकाई अपने आपमें शिथिल होने लगी। गांव के संगठित और संयुक्त समाज में ढीलापन आने लगा और आजादी के बाद तो जैसे गांव के ये आपसी सम्बन्ध एक झटके के साथ झनझना कर टूट गए। गांव की सारी आर्थिक व्यवस्था विशृंखल हो गई। पुराना ढांचा आर्थिक दबाव के बोझ से चरमराकर भूमिसात हो गया। सेवाओं के बदले में अनाज की जगह मजदूरी पैसों में दी जाने लगी। पैसों की कीमत दिन प्रतिदिन गिरती जा रही थी। इसलिए आवश्यक सेवाओं की व्यवस्था करने वाले वर्ग में भी असन्तोष की भावना फैलने लगी और सेवाओं के बदले में उनकी मांग बढ़ने लगी। आजादी के बाद के वर्षों में गांवों का शहरों के साथ सम्बन्ध और भी बढ़ गया है। आवागमन के साधनों की वृद्धि ने इस सम्बन्ध को और भी मजबूत बना दिया है। जीवन यापन की वस्तुएं अधिकतर अब शहरों से गांवों की ओर जाने लगी हैं और यांत्रिक सुविधाओं के कारण जो सेवाएं पहले गांवों में उपलब्ध थीं वे शहरों में अब अधिक सस्ती मिलने लगी हैं। इस कारण भी गांवों का झुकाव शहरों की ओर अधिक हो गया है। इस सम्पर्क ने गांवों में एक भीषण समस्या को जन्म दिया है। गांव के कारीगर, कुम्हार, चमार और लुहार बेकार होने लगे हैं। कुओं पर पम्पिंग सैट और बिजली की मोटरों की स्थापना ने चड़सों का बहिष्कार कर दिया है। ट्रेक्टर और लोहे के हल व खेती के अन्य औजारों के प्रचार से खाती का रोजगार भी कम हुआ है।

खेती की ओर झुकाव

इस बेरोजगारी के फलस्वरूप जो जातियां अन्य पैतृक धन्धों में लगी हुई थीं वे विवश होकर अब खेती की ओर झुकने लगी हैं। यद्यपि पहले भी इनमें से अधिकांश खेती करते थे किन्तु वे पूरी तरह खेती पर निर्भर नहीं थे या अवकाश के समय पैतृक व्यवस्था द्वारा उन्हें अतिरिक्त धन्धा भी मिल जाता था। किन्तु अब उन्हें पूरी तरह खेती पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इसका असर यह हुआ है कि भूमि पर भार अधिक बढ़ता जा रहा है और भूमि की मांग बढ़ रही है। राजस्थान में 1957 में जहां प्रति व्यक्ति 5.29 एकड़ भूमि उपलब्ध थी वहां 1967 में यह घटकर केवल 3.62 एकड़ रह गई है। इसी प्रकार प्रति व्यक्ति शुद्ध बोया गया क्षेत्र 1957 में 2.54 एकड़ था तो अब यह केवल 1.30 एकड़ ही उपलब्ध है। भूमि के अभाव में भूमिहीन श्रमिकों की संख्या निरन्तर बढ़ रही है। उधर पैतृक व्यवसाय से नई पीढ़ी दूर होती जा रही है। अब खाती का लड़का गांव में लकड़ी का काम नहीं सीखता क्योंकि वह देखता है अब उसके पैतृक धन्धे में उतना दम ही नहीं रहा है कि वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। तेली की घानी इसलिए बन्द हो गई है कि शहर के बाजार से मिल का निकला साफ-सुथरा तेल आसानी से और सस्ता मिल जाता है। महात्मा गांधी के स्वदेशी आन्दोलन ने अवश्य गांवों की इन समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया था। खादी के साथ साथ ग्रामोद्योगों को भी थोड़ा बहुत आश्रय मिलने लगा था, पर अब तो वह सहारा ही टूट गया। अब तो मिलों का बना कपड़ा ही नहीं नायलान और टेरीलीन भी

स्वदेशी ही हैं। टाटा और लीवर ब्रदर्स के साबुन के सामने नीम के देशी साबुन की पूछ कहां खादी का अर्थशास्त्र भी अब केवल राजनितिज्ञों की दिमागी कसरत का अखाड़ा मात्र रह गया है।

तब प्रश्न यह है कि आज के गांव क्या केवल खेत और खेती के सहारे ही अपनी दिनों दिन बढ़ती आबादी को सन्तुष्ट रख सकेंगे? क्या उनकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति शहरों से की जा सकती है और क्या शहरों और ग्रामीण जीवन के बीच साधनों की उपलब्धि के बीच इतनी चौड़ी खाई अधिक दिन तक बनाए रखना भारतीय समाज की सुदृढ़ता और संगठन के लिए खतरे से खाली नहीं होगा?

अर्थ व्यवस्था शहरों में केन्द्रित

क्या इन प्रश्नों का उत्तर हमें आज की हमारी अर्थ व्यवस्था में मिल सकता है? क्या हमारी योजनाओं में जो अरबों रुपया खेती के नाम पर गांवों में वितरित किया गया है उसका लाभ गांव वालों को मिला है? वास्तव में आज की सारी अर्थ व्यवस्था भी शहरों और बड़े कारखानों को केन्द्र बनाकर उनके चारों ओर ही घूमती है। खेती की मद में जो रुपया लगाया गया है वह बड़े बड़े खाद के कारखानों, कीटनाशक औषधियों के निर्माताओं और ट्रैक्टर और बिजली की मोटरों के निर्माताओं की जेब में पहुंचा है। यद्यपि उपज वृद्धि के नाम पर किसान को भी थोड़ा बहुत सीधा लाभ हुआ है किन्तु दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के रूप में वह पैसा फिर बटोर कर शहरों के बड़े व्यापारियों या चीनी और तेल के बड़े कारखानों वालों के पास आ पहुंचा है।

इस प्रकार आज का गांव वर्तमान शहरी अर्थव्यवस्था के दुष्चक्र में फंसा हुआ है। उसे इस दुःख से निकालने के लिए यह आवश्यक है कि हमारी योजनाएं और विकास कार्यक्रम गांवों की ओर उन्मुख हों। एक गांव को या गांव नहीं तो एक तहसील या पंचायत समिति या तालुका को केन्द्र बनाकर उसे सही अर्थों में स्वावलम्बी बनाने के प्रयत्न किए जाएं। उद्योग धन्धे खोलने के लिए स्थानीय साधन सामग्री और श्रम का ही उपयोग करने पर अधिक ध्यान दिया जाए ताकि गांव का सुषुप्त एवं म्रियमाण जीवन फिर से चेतन हो सके और गांव का शिक्षित अर्द्ध शिक्षित युवक शहरों की ओर लपकने की प्रकृति छोड़ें। उसे अपने गांव के पास ही यदि रोजगार मिल जाएगा तो वह शहरों की चिकाचौंध से उतना अधिक आकर्षित न होगा और न उसमें बेकार रहने के कारण जो निराशा की भावना पैदा हो गई है वही उभर सकेगी। ✱

भगवान् सहाय त्रिवेदी,
2019, मिस्त्री खाना रोड,
जयपुर

विरह गीत

गाते नहीं गीत जो फागुन मास के
कैसे गमके हैं ये फूल पलास के।

हवा विहंस कर
कहां गुलाली बातें करती है?
परछाईं-सी
आगे-पीछे पानी भरती है।

मौन खड़े हैं गायक जंगल बांस के
कैसे गमके हैं ये फूल पलास के।

अमराई भी
यादों के बिरबे सरसाती है।
नई नई कोंपल लगाती है
जैसे खाती है।

कोयल भी गाती है पद सन्यास के
कैसे गमके हैं ये फूल पलास के!

भौजाई की चुहल
हृदय को ताना लगती है।
रात-रात भर
आंख किसी सौतन-सी जगती है।

घट रीते हैं पिय-मिलन की आस के
कैसे गमके हैं ये फूल पलास के।

जहीर कुरेशी

जनसंख्या वृद्धि की रोकथाम के लिए परिवार नियोजन

ईसा काल में इस पृथ्वी पर केवल 25 करोड़ व्यक्ति रहते थे। 1600 वर्ष पश्चात् विश्व की जनसंख्या 25 करोड़ से बढ़कर 50 करोड़ हो गई। बीसवीं शताब्दी में विश्व की जनसंख्या कितनी तेजी से बढ़ रही है, इस बात का पता निम्नलिखित आंकड़ों से चलता है। 1650 ई० में 54.5 करोड़, 1750 ई० में 72.6 करोड़, 1800 ई० में 117.1 करोड़, 1900 ई० में 160.8 करोड़, 1933 ई० में 205.7 करोड़, 1947 ई० में 232.6 करोड़, 1966 ई० में 320.0 करोड़ तथा 1974 ई० में 360.0 करोड़।

उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि 324 वर्षों में विश्व की जनसंख्या में 6.6 गुनी वृद्धि हुई है। यदि जनसंख्या में वृद्धि इसी तरह होती रही तो सात सौ वर्षों में प्रत्येक मनुष्य के लिए केवल एक वर्ग फुट जमीन मिल सकेगी। (इस जमीन में रेगिस्तान टुण्ड्रा प्रदेश तथा छोटे-बड़े सभी पर्वत सम्मिलित हैं) और यदि आज यह सोचकर कि जनसंख्या का और अधिक भार पृथ्वी पर न पड़ें, इसके लिए मनुष्यों को दूसरे ग्रहों में बसाया जाए तो हमें प्रति मिनट 100 मनुष्यों को यानों के द्वारा दूसरे ग्रहों में भेजना होगा।

बुद्ध के समय भारत की जनसंख्या केवल 2 करोड़ थी। सन् 1921 में 24.9 करोड़ हो गई और आज 60 करोड़ हैं। यदि यह इसी प्रकार बढ़ती गई तो अगले 25 वर्षों में लगभग 1.5 अरब हो जाएगी। अब आप विचार करें क्या इस टिड्डी दल को भारत-भूमि भोजन, वस्त्र, आवास आदि दे सकेगी, जबकि अभी नहीं दे पा रही है? सन् 1951 में ही जनगणना के अध्यक्ष श्री गोपाल स्वामी ने घोषणा की थी कि सन् 1969 का वर्ष प्रलय का वर्ष होगा क्योंकि देश बढ़ी हुई जनसंख्या के लिए पर्याप्त खाद्य-सामग्री का उत्पादन नहीं कर पाएगा।

यद्यपि श्री गोपाल स्वामी की भविष्यवाणी सरकार के प्रयत्नों के कारण अभी गलत सिद्ध हो गई है किन्तु यदि जनसंख्या वृद्धि को न रोका गया तो यह भविष्य में कभी न कभी सही सिद्ध हो सकती है।

उपाय : जनसंख्या वृद्धि रोकने का एकमात्र उपाय है—जन्म दर कम करना अर्थात् संयम या कृत्रिम साधनों का प्रयोग करके कम बच्चों को जन्म देना।

आज बच्चों के मरने की सम्भावना बहुत कम हो गई है और हो सकता है भविष्य में बिल्कुल ही न रहे। फिर भी जब तक यह सम्भावना है तब तक यदि कोई दम्पति दो बच्चे भी पैदा कर ले तो उसके इस कार्य को अधिक अनुचित नहीं ठहराया जा सकता। किन्तु यदि कोई दम्पति दो से अधिक बच्चे पैदा करता है तो वह समाज तथा राष्ट्र के प्रति अन्याय करता है, उसका यह अपराध अक्षम्य है।

जब तक हम मृत्यु को प्रकृति के हाथों में सौंपे थे तब तक अधिक बच्चे पैदा करना अपराध नहीं था। पर जब आज हमने मृत्यु को प्रकृति के हाथों से छीनकर अपने हाथों में ले लिया है, प्रकृति के जन्म-मृत्यु के संतुलन को समाप्त कर दिया है तब जन्म-मृत्यु के संतुलन को बनाए रखने के लिए अधिक बच्चे पैदा करने पर प्रतिबन्ध होना परमावश्यक है।

इस समस्या को सुलझाने के लिए बहुत प्रयत्न किए जा रहे हैं। नाना प्रकार के उपकरणों तथा औषधियों का उपयोग किया जा रहा है। परन्तु अभी तक सर्वथा सफल तथा निरापद उपाय नहीं ज्ञात हो सका है। आजकल अधिकतम प्रयोग में लाए जाने वाले साधन 'लूप' का प्रयोग तथा औषधियों के प्रयोग तथा हार्मोनयुक्त औषधियों का उपयोग है। इन साधनों तथा औषधियों के प्रयोग की प्रक्रियाएं अति कठिन हैं तथा इनके प्रयोग से अन्य प्रकार के उपद्रवों के उत्पन्न होने की भी सम्भावना बनी रहती है। ये उपद्रव नई समस्याएं उत्पन्न करते हैं। इसके अतिरिक्त, करोड़ों रुपयों का व्यय जो कि उपकरणों तथा औषधियों का विदेशों से मंगवाने में किया जा रहा है, हमारे अपने निर्धन देश के लिए एक विचारणीय प्रश्न है। इसके साथ-साथ ये सब उपाय समस्या का आंशिक समाधान हैं। आवश्यकता इस बात की है कि परिवार नियोजन को सफल बनाने के लिए ऐसा प्रोग्राम बनाया जाए जोकि सर्वथा सफल तथा स्थायी हो। जो भी औषधि अथवा उपकरण प्रयोग किया जाए वह सरल, निरापद, सस्ता तथा सर्वसुलभ होना चाहिए।

हमारे देश की अधिकतम जनसंख्या गांवों में बसी हुई है। निर्धन तथा धार्मिक विचारों से प्रभावित है। परिवार नियोजन सम्बन्धी प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि प्रोग्राम को इस रूप में डाला जाए कि वह सब की समझ में आ सके तथा सबके लिए ग्राह्य हो।

आयुर्वेद इसी देश का विज्ञान है। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में तथा रक्त के एक-एक कण में आयुर्वेद के सिद्धान्तों का समावेश है। आयुर्वेद शास्त्र में निर्दिष्ट स्वास्थ्य नियमों का युक्तियुक्त पालन करने से प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण होता है।

प्रायः समझा जाता है कि आयुर्वेद में परिवार नियोजन सम्बन्धी विषय का वर्णन नहीं है, क्योंकि उस समय जबकि आयुर्वेद शास्त्र लिखा गया था जनसंख्या वृद्धि की समस्या उपस्थित नहीं थी। यह एक भ्रान्तिमात्र है। आयुर्वेद में दोनों प्रकार के उपायों (सन्तानोत्पत्ति तथा सन्तति-निरोध) का वर्णन है। संसार में दोनों ही प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं। कोई सन्तान न होने के कारण दुःखी है और कोई अधिक सन्तति के कारण। दोनों ही प्रकार के दुःखों की चिकित्सा आवश्यक है।

आयुर्वेद में निर्दिष्ट निरोध सन्तति सम्बन्धी उपायों का वर्गीकरण दो प्रधान भागों में किया जा सकता है। (1) संयमादि नियमों

के पालन द्वारा सन्तति निरोध (2) औषधियों के प्रयोग द्वारा गर्भ निरोध।

1. संयम नियमों का पालन

आयुर्वेद में ब्रह्मचर्य के युक्तियुक्त पालन को बहुत महत्व दिया गया है। गृहस्थावस्था में भी ब्रह्मचर्य पालन आवश्यक है। सन्तान की इच्छा होने पर ही गृहस्थ के पालन को श्रेयस्कर माना गया है। इस सीमा तक संयम धारण अति कठिन है। (ऋतुकाल) के पश्चात् समागम करने में गर्भधारण की सम्भावना कम रहती है। आयुर्वेदानुसार दो सन्तानों की आयु में 6 वर्ष का अन्तर आवश्यक है। यथा सम्भव संयम, ऋतुकाल में समागम तथा दो सन्तानों की आयु में 6 वर्ष का अन्तर—इन नियमों का पालन करने से परिवार नियोजन में पर्याप्त सहायता मिल सकती है।

2. औषधियों के प्रयोग से गर्भ निरोध

आयुर्वेदिक ग्रन्थों में बहुत ही सरल तथा निरापद गर्भ निवारण औषधियों का वर्णन है। कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं:

(1) पिप्पली, विडंग तथा ढाक के फूलों का समपरिमाण में चूर्ण बनाकर ऋतुकाल में तीन दिन तक दूध के साथ सेवन। (भाव प्रकाश संहिता)।

(2) लालीन पद्म तथा गैरिक का समपरिमाण में चूर्ण का शीतल जल के साथ सेवन। (योगरत्नाकर)।

(3) पलाश बीज चूर्ण का ऋतुकाल में तीन दिन तक जल के साथ सेवन।

बाह्य स्थानिक प्रयोग के लिए बहुत से योगों का वर्णन है। ये सब औषधियां बहुत सरल, निरापद तथा सस्ती हैं। आयुर्वेदिक ग्रन्थों में गर्भनाशक औषधियों का भी उल्लेख है। इन औषधियों का भी अल्पमात्रा में उपयोग गर्भ निवारण के लिए किया जा सकता है।

पुरुषों के लिए भी बहुत सी ऐसी औषधियों तथा आहार द्रव्यों का वर्णन है, जिनके सेवन से सन्तानोत्पत्ति कम होती है तथा पुंसत्व शक्ति का ह्रास होता है। अभी तक जितनी भी औषधियां प्रयोग में लाई जा रही हैं उन सबका प्रयोग स्त्रियों में ही होता है। पुरुषों के लिए सन्तति निरोध सम्बन्धी औषधियों का आविष्कार परिवार नियोजन क्षेत्र में एक नया कदम होगा।

परिवार नियोजन को सफल तथा स्थायी बनाने के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि प्रथम उपाय अर्थात् नियमों के पालन के प्रचार पर अधिक बल दिया जाए। संयम के लिए शिक्षा बालकों को प्रारम्भ से ही स्कूल तथा कालेजों में अनिवार्यतः दी जानी चाहिए। गृहस्थों के लिए भी संयम की शिक्षा रेडियो, फिल्म तथा टेलीविजन आदि प्रचार साधनों द्वारा दी जानी अत्यन्त आवश्यक है। औषधियों द्वारा सन्तति-निरोध एक प्रकार का आकस्मिक तथा आंशिक उपाय है। ऊपर लिखित आयुर्वेदिक औषधियों के प्रयोग द्वारा परिवार नियोजन सरलता से किया जा सकता है।

वैज्ञानिकों के लिए भी आयुर्वेद में पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। आयुर्वेदिक पुस्तकों में लिखे हुए योगों तथा औषधियों का वैज्ञानिक पद्धति से परीक्षण किया जाना भी आवश्यक है। सम्भवतः भारत में वैज्ञानिक निरन्तर जनसंख्या वृद्धि से चिन्तित संसार को नवीन वस्तु प्रदान कर सकें। ✻

अंग्रेजी तथा हिन्दी का कितना-कितना महत्व? ✻ आचार्य विनोबा भावे

यदि मैंने हिन्दी का सहारा न लिया होता तो कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से केरल तक के गांव-गांव में जाकर मैं भूदान-ग्रामदान का क्रांतिपूर्ण सन्देश जनता तक न पहुंचा सकता। यदि मैं मराठी भाषा का सहारा लेता तो महाराष्ट्र से बाहर और कहीं काम न बनता। इसी तरह अंग्रेजी भाषा लेकर चलता तो कुछ प्रान्तों में तो काम चलता, परन्तु गांव-गांव जाकर क्रांति की बात अंग्रेजी द्वारा नहीं हो सकती थी। इसलिए मैं कहता हूं कि हिन्दी भाषा का मुझ पर बहुत बड़ा उपकार है, इसने मेरी बहुत बड़ी सेवा की है।

प्रत्येक प्रांतीय भाषा का अपना-अपना स्थान है और इन भाषाओं के माध्यम से जनता में जागृति और राज्य-निष्ठा की जो भावना पैदा होती है, वह इनका विशेष गुण है। इसी तरह अंग्रेजी भाषा का भी अपना स्थान है, क्योंकि इसके माध्यम से हम काफी अंश में विदेशों से सम्बन्ध रख सकते हैं। मैंने काफी अंश का प्रयोग इसलिए किया है कि अब भी दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां अंग्रेजी नहीं चलती।

मैंने अनेक बार कहा है कि जिस प्रकार मनुष्य को देखने के लिए दो आंखों की आवश्यकता होती है, उसी तरह राष्ट्र के लिए भी दो भाषाओं, प्रांतीय भाषा और राष्ट्र-भाषा की आवश्यकता होती है। इसलिए हम लोगों ने दो भाषाओं का ज्ञान अनिवार्य माना है। भगवान शंकर का एक तीसरा नेत्र था जिसे ज्ञान-नेत्र कहते हैं। इसी तरह हम लोगों को भी तीसरे नेत्र की जरूरत अनुभव हो तो संस्कृत भाषा का भी अध्ययन लाभकारी सिद्ध होगा और उस समय अंग्रेजी भाषा चश्मे के रूप में काम आएगी। चश्मे की जरूरत सबको नहीं पड़ती है। हां, कभी-कभी कुछ लोगों को उसकी जरूरत पड़ती है। बस, इतना ही अंग्रेजी का स्थान है। इससे अधिक नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं कि हिन्दी का प्रचार अच्छी तरह व्यापक रूप में होना चाहिए। परन्तु यह किसी के ऊपर लादी नहीं जा सकती, और लादने की आवश्यकता भी नहीं है। पर मेरा कहना तो यह है कि सब लोग इसे प्रेम से स्वीकार करेंगे ही। मुझे विश्वास है कि हिन्दी का प्रचार-प्रसार जितना बढ़ेगा, उतना ही लोग इसे स्वीकार करेंगे। ✻

सहकारी समितियां

एक विश्लेषण

बलराज मेहता

सहकारी अनाज मण्डी

सरकारी नीति और योजना में सहकारिता पर हमेशा विशेष ध्यान दिया जाता है। सामाजिक और आर्थिक सुधार तथा विकास की सरकारी योजनाओं में, जिनमें, ग्राम-विकास और लघु-उद्योग पर बल दिया गया, सहकारिता को प्रमुख स्थान मिला है। सहकारी समितियों की संख्या में भी काफी बढ़ोत्तरी हुई है। इस समय 3 लाख से भी अधिक सहकारी समितियां हैं, जिनके सदस्यों की संख्या 70 लाख है। ये समितियां समाज के महत्वपूर्ण आर्थिक कार्यों—थोक और खुदरा व्यापार से लेकर ऋण और सेवा सुविधाओं तक —शहरों और गांवों में, जिम्मेदारी के साथ निभा रही हैं। अनेक वस्तुओं जैसे चीनी, कपड़े और उर्वरक का सीधा उत्पादन भी सहकारिता के क्षेत्र में होने लगा है। इनके अलावा, आवास सहकारी समितियां भी हैं, जिन्होंने शहरों में घर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान किया है।

अत: विकास, प्राथमिकताओं में जिनमें आजकल विकेन्द्रित आर्थिक क्रियाओं पर अधिक बल दिया जा रहा है, उत्पादन और वितरण के क्षेत्रों में सहकारी समितियों को महत्वपूर्ण विकास एजेंसी के रूप में देखना बड़ा स्वाभाविक है। यह अक्सर कहा जाता है कि व्यापक रूप से फैले हुए सरकारी वितरण तन्त्र के लिए प्रस्तावित योजना और ग्राम विकास और कल्याण योजनाओं तथा कार्यक्रमों में लालची महाजनों के चंगुल से गांव के गरीब लोगों को छुटकारा दिलाने और बिचौलियों तथा व्यापारियों द्वारा उनके परिश्रम का अवशोषण होने से बचाने में सहकारी समितियों को महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी जाएगी।

आजकल इतने शोर-शराबे के साथ जो बात कही जा रही है, वह नई नहीं है। इसी प्रकार की बातें पहले भी कही जाती थीं। वास्तविकता तो यह है कि हमारी सभी योजनाओं में सहकारिता पर बड़ी-बड़ी परियोजनाएं और प्रायोजनाएं भरी पड़ी हैं। लेकिन दुःख यही है कि ये व्यावहारिकता की दृष्टि से असफल रहीं।

असफल निष्पादन

पहली पंचवर्षीय योजना में सहकारी ग्राम-व्यवस्था का बड़ा आकर्षक चित्र प्रस्तुत किया गया था। यह सोचा गया था कि पूरे गांव की समस्त भूमि को सहकारिता के अन्तर्गत लाया जाएगा, भले ही जोतों के व्यक्तिगत स्वामित्व को बना रहने दिया जाए। लेकिन यह कार्यरूप में नहीं लाया जा सका। इसके विपरीत, पिछले 25 वर्षों में भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व को सुदृढ़ किया गया और तथाकथित व्यक्तिगत खेती के नाम पर पट्टेधारियों को भूमि से बेदखल करके बड़े पैमाने पर उन्हें कृषि श्रमिक बना दिया गया।

दूसरी योजना ज्यादा यथार्थपूर्ण थी और उसमें सहकारी ग्राम व्यवस्था का विचार छोड़ दिया गया। लेकिन उसमें यथासम्भव व्यापक पैमाने पर स्वैच्छिक सहकारी कार्यकलापों पर जोर दिया गया। सामान्यत: पिछले दो दशकों में सहकारी आन्दोलन में जो भी प्रगति हुई, वह दूसरी योजना में की गई सिफारिशों के आधार पर ही हुई है। जो विचार मोटे तौर पर दूसरी योजना में रखे गए थे, उन्हीं को बाद में तीसरी और चौथी योजनाओं में परिस्कृत और विस्तृत किया गया। चौथी योजना में कृषि क्षेत्र में सेवा सहकारिता और विपणन अथवा वितरण क्षेत्र में उपभोक्ता संहकारिता पर विशेष बल दिया गया।

सहकारी आन्दोलन को बढ़ावा देने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं में इतना अधिक महत्व देने और संस्था तथा प्रशासन का अवस्थापन तैयार करने के बावजूद हमारे देश में इस आन्दोलन की प्रगति उतनी अच्छी नहीं हुई। कहने का यह मतलब नहीं कि देश में अच्छी सहकारी समितियां हैं ही नहीं। अच्छी समितियां भी हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन यदि सहकारिता के नक्शे पर सरसरी निगाह भी डालें तो स्पष्ट हो जाएगा कि अभी इसकी जड़ें नहीं जमी हैं तथा इन समितियों को, जिनके लिए बनाया गया था, उन वर्गों के लोगों को इनसे लाभ नहीं मिला है। अभी जिस सहकारी आन्दोलन का विकास हुआ है, उसमें अधिकतर गांवों और शहरों के कमजोर वर्ग के लोगों का, जिनके पास अपने आर्थिक साधन नहीं हैं, कोई स्थान नहीं है।

लाभ किसे मिला है

यह विशेषता सहकारिता के सभी विविध रूपों में मौजूद है। उदाहरण के लिए उत्पादन सहकारिता को ही लें जिसमें चीनी के कारखाने हैं, जिन्हें सहकारिता की सफलता का प्रमाण बताया जाता है। इसके लाभ उठाने वाले सामान्यतः गन्ने के बड़े फार्मों के मालिक हैं, कृषि-मजदूर नहीं। हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था में अन्य निजी कारखानों की तरह बाजार की प्रतिस्पर्धात्मक स्थितियों का सामना इन सहकारी कारखानों को भी करना ही पड़ता है। ऋण सहकारिता के मामले में, जिनका पिछले दो दशकों में काफी विकास हुआ है, जिनके पास (सिक्यो-रिटी) प्रतिभूति के लिए अपनी कोई सम्पत्ति नहीं है, वे अपनी कर्ज सम्बन्धी जरूरतों के लिए इन समितियों से कोई सहायता नहीं ले सकते। वास्तविकता यह है कि बड़े किसान सहकारी ऋण समितियों से कर्ज लेकर इसी रकम को कृषि मजदूरों और बटाईदारों को भारी ब्याज पर दे देते हैं। उपभोक्ता सहकारी समितियों के मामले में भी शहरों में उनके मुख्य ग्राहक बेरोजगार और गन्दे गलबे वाले क्षेत्रों में रहने वाले गरीब नहीं होते, बल्कि मध्य और उच्च वर्ग के लोग होते हैं। आवास सहकारी समितियां तो पूर्णतः नगरों में रहने वाले मध्य और उच्च वर्गों के लिए हैं।

अतः प्रबन्धक अथवा तकनीकविद् के दृष्टिकोण की मुख्य कमी इस संगठन के शीर्ष और मध्य स्तरों पर स्पष्ट देखी जा सकती है। अनेक गोष्ठियों में यह तर्क दिया जाता है कि सहकारिता की बाधाएं मुख्य रूप से प्रबन्ध की कमी, तकनीकी विशेषज्ञों का अभाव और सहकारी समितियों के कार्यकर्ताओं में वाणिज्य-कौशल की कमी है। यहां तक सुझाव दिया गया है कि नई कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्रबन्ध तकनीक के विदेशी विशेषज्ञों की मदद ली जानी चाहिए। इस बात पर कितनी गहराई से सोचा जा रहा है, यह इस बात से प्रकट होता है कि 1975 में राष्ट्रीय सहकारिता संघ सम्मेलन में यह प्रस्ताव रखा गया था कि सहकारिता द्वारा चलाई जाने वाली दूकानों के लिए ले-आउट, फिक्सचर और अन्य साज-सजावट पर सलाह देने के लिए किसी शिल्पी को नियुक्त करना चाहिए।

इस प्रकार के सुझावों और उपायों का मतलब साफ-साफ यह बतलाता है कि सह-कारिता आन्दोलन किस प्रकार का है और यह किन-किन लोगों के हितों की रक्षा कर रहा है।

एक तरह की दलील यह भी दी जाती है कि सहकारी आन्दोलन को सरकारी समर्थन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिला। लेकिन सरकारी सहयोग अधिक होने का मतलब यह भी होगा कि विभागीय नियन्त्रण और हस्तक्षेप बढ़ जाएगा। लेकिन यदि सहकारिता आन्दोलन की जड़ें मजबूत करनी हैं, तो इसे आवश्यक रूप से स्वैच्छिक रहने देना होगा। इन विचार-धाराओं द्वारा सहकारिता की कमियों को दूर करने के लिए जो उपाय सुझाए जा रहे हैं उनमें उन लोगों की बुनियादी सामाजिक-आर्थिक समस्याओं को नजर-अन्दाज किया गया है, जिन लोगों के बीच सहकारिता का गठन और विकास करके उसे कार्यशील बनाना है।

सहकारिता आन्दोलन में निश्चित रूप से परिवर्तन लाना होगा और अब तक जो निहित स्वार्थों के कारण इसकी प्राथ-मिकताओं में तोड़-मरोड़ होता रहा, उसे ठीक करना होगा। तभी ये सहकारी समितियां वास्तव में उन लोगों को लाभ दे सकेंगी, जिनके लिए इनका गठन होता है और वे लोग भी तभी इसमें भागीदार हो सकेंगे। इस अर्थव्यवस्था में सम्पत्ति के वितरण में परिवर्तन और सम्पत्ति तथा सामाजिक सम्बन्ध में सुधार करना आवश्यक होगा। यही वह बिन्दु है, जहां राजनीतिक और सरकारी प्राधि-कारी अपनी भूमिका ज्यादा प्रभावपूर्ण ढंग से निभा सकते हैं। केवल सरकारी समर्थन के रूप में सहकारी समितियों को अधिक से अधिक वित्तीय सहायता देने से तो निहित स्वार्थों की बन जाएंगी, जिन्होंने सहकारिता पर एकाधिकार कर रखा है।

मूलभूत सामाजिक-आर्थिक सुधारों को शुरू करते समय सहकारिता आन्दोलन को सहायता और दृष्टिकोण के सम्बन्ध में विशेष रूप से चुनाव करना पड़ेगा। उन सहकारी समितियों को ही सरकारी समर्थन और सहयोग मिलना चाहिए जिनमें कमजोर वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व उचित अनुपात में हो ताकि उनके हितों की रक्षा की जा सके। ✱

अनुवादक : श्रीमती मनोरमा नारायण

"कुरुक्षेत्र के बारे में पाठक की राय"

यद्यपि सौभाग्य से कुरुक्षेत्र मेरे हाथ में आज पहली बार आया तथापि मैं इस पत्रिका से इतनी प्रभावित हुई कि इसके बारे में अपने कुछ विचार लिखने चाहे। इसका अक्टूबर, 1978 का वार्षिक अंक विशेषतः मूल्यवान है। इस पत्रिका में मुझे कुछ विशेष बात लगी जो अन्य पत्रिकाओं में इतनी नहीं है। इसमें ग्रामीण जीवन के जो चित्र अंकित किए गए हैं, वे मन पर अत्यधिक प्रभाव छोड़ते हैं।

'प्रेरणा के स्रोत' कहानी पढ़ी, मुझे बहुत पसन्द आयी जिसमें अभावों से लड़ना मंगतू तथा जमींदार के बेटे में भी देश प्रेम दिखा कर युवा पाठकों की आंख खोली गई है। 'सोलह दूनी आठ रूपक' भी गांव वालों को प्रौढ़ शिक्षा की ओर अग्रसर करने में समर्थ है और इसे पढ़ कर मन अत्यन्त हर्षित हुआ कि सरकार इस ओर इतना ध्यान देकर देश की उन्नति का द्वार खोल रही है। 'मुर्गी पालन से पोषण भी और रोजगार के अवसर भी' बेरोजगारी को दूर करने के लिए एक नया लघु-उद्योग धन्धा है जिससे अनेक ग्रामीणों को रोजगार मिल सकता है। 'वेद में भूमि की वन्दना अर्थात् उसका महत्व' मुझे अच्छा लगा। इसने भूमि की पवित्रता और महानता का संदेश मानव को दिया है जैसे पृथ्वी व्यक्ति को सब कुछ देती है वही उदार भावना मानव में भी होनी चाहिए। राष्ट्र की 'ग्राम स्वास्थ्य योजना' ग्राम सुधार में कृषि का योग' 'राष्ट्र की धमनियां हमारी सड़कें—'पूर्ण ग्राम विकास का नया कार्यक्रम' 'बाल श्रमिकों के हितों की सुरक्षा आदि सभी लेख ज्ञान वर्द्धक एवं शिक्षा प्रद हैं जो ग्रामीण विकास के लिए रामबाण सिद्ध हो सकते हैं।

समग्र रूप में यह पत्रिका पाठकों को विस्तृत और बहुआयामी जानकारी देने में सक्षम है। मैं इस पत्रिका की प्रगति के लिए शुभकामनाएं करती हूं। ✱

—कु० राज रानी
1203, शोरा कोठी,
सब्जी मण्डी, दिल्ली-110007

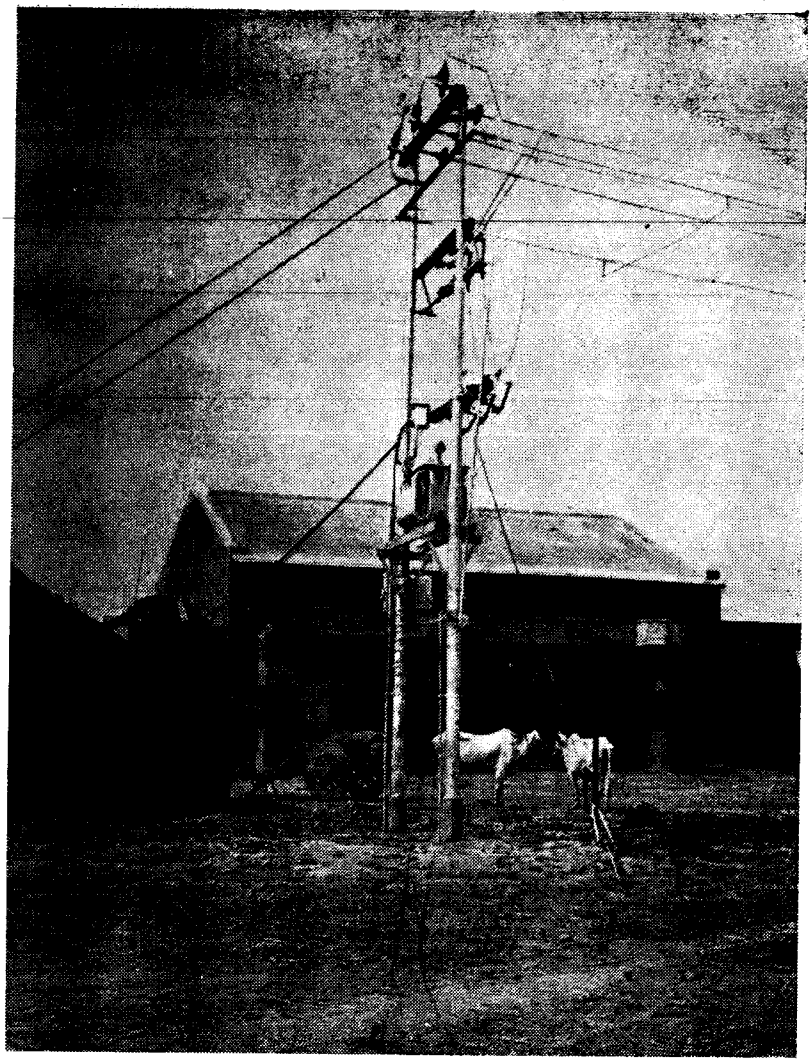

वैसे तो ग्रामीण विकास के प्रयास स्वतन्त्रता प्राप्ति से पहले भी किए गए परन्तु असली प्रयास स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद ही प्रारम्भ हुए । 2 अक्तूबर, 1952 को दिल्ली के निकट अलीपुर गांव में सामुदायिक विकास परियोजनाओं का शुभारम्भ करते हुए पं० जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यह आन्दोलन भारत में परिवर्तन का आन्दोलन है और इससे गांवों का कायापलट होगा । तब से अब तक ग्रामीण विकास के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है उससे यह तो नहीं कहा जा सकता कि हमारे गांव स्वर्ग बन गए हैं परन्तु हमारे प्रयासों से समन्वित ग्रामीण विकास के लिए एक ऐसा ढांचा तैयार हो गया है जिसके आधार पर हम अपने गांवों का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं ।

हमारी नई सरकार का ग्रामीण विकास पर विशेष जोर है और अब ग्रामीण विकास की योजनाओं में ग्रामीण विद्युतीकरण, सिंचाई, ग्रामीण ऋण तथा ग्रामीण संचार की योजनाओं को विशेष महत्व दिया जा रहा है क्योंकि ये ही गांवों के परिवर्तन के मुख्य कारक हो सकते हैं ।

ग्रामीण विद्युतीकरण

जहां तक गांवों में विद्युतीकरण की प्रगति का सम्बन्ध है, इसे सन्तोष-जनक नहीं कहा जा सकता परन्तु हाल के दशकों में इस दिशा में जो प्रयास किए गए उनके काफी अच्छे परिणाम निकले हैं । ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं में काफी धन लगाया गया है, हजारों-लाखों गांव भी इसके घेरे में आ चुके हैं और अब ये बिजली की रोशनी की जगमगाहट से दमक उठे हैं तथा नलकूपों की धारा से आप्लावित हो रहे हैं ।

पहली योजना में ग्रामीण विद्युतीकरण के विकास के लिए 8 करोड़ रु० की राशि लगाई गई थी जबकि पांचवीं योजना में यह राशि लगभग 11 करोड़ रु० थी । इसके परिणामस्वरूप विद्युतीकृत गांवों की संख्या में भी आशातीत वृद्धि हुई । पहली योजना के प्रारम्भ में विद्युतीकृत गांवों की संख्या केवल 35000 थी जबकि यह संख्या पांचवी योजना के प्रारम्भ में 1.56 लाख हो गई थी । पांचवीं योजना के अन्त में लक्ष्य 2.66 लाख गांवों को विद्युतीकृत करने का था ।

गांवों के विकास में ग्रामीण विद्युतीकरण का योग

—बी० के० वर्मा

गांवों में नलकूपों के लिए बिजली मुहैय्या करने के क्षेत्र में भी उपलब्धि बहुत उत्साहजनक रही है । पहली योजना के प्रारम्भ में लगभग 1900 नलकूपों को बिजली दी गई थी, जबकि पांचवीं योजना के शुरू में $24\frac{1}{2}$ लाख नल-कूपों को बिजली दी गई । आशा है कि 1978-79 के अन्त तक 40 लाख नलकूपों के लिए बिजली दी जा सकेगी । परन्तु हमें इतने से ही सन्तुष्ट नहीं हो जाना चाहिए क्योंकि अभी हमें लगभग 55 लाख नलकूपों के लिए बिजली उपलब्ध करने की व्यवस्था करनी होगी । इसके अलावा, इस क्षेत्र में विकास की अभी काफी गुंजाइश है ।

जहां एक ओर ग्रामीण विद्युतीकरण से सिंचाई के द्वारा काफी अधिक कृषि उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, वहां दूसरी ओर इससे कृषि उपज के विधायन उद्योग तथा छोटे-छोटे कुटीर उद्योग-धन्धों का जाल गांवों में बिछाया जा सकता है । इसका स्वाभाविक परिणाम यह होगा कि गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, लोगों को अच्छा पोषण प्राप्त होगा और अन्ततः उनका जीवन-स्तर ऊंचा उठेगा ।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने, जो 1969 के मध्य में स्थापित किया गया था और जिसका काम 1970 के मध्य में शुरू हुआ, उपर्युक्त परिणाम प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण योगदान किया है। निगम ने सितम्बर, 1978 के अन्त तक 2150 परियोजनाओं को स्वीकृति दी, जिनके लिए लगभग 844 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की गई। निगम द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के घेरे में 1.16 लाख नए गांव (अविद्युतीकृत) आते हैं, जबकि इनके अलावा, इनमें 9.73 लाख नलकूप और 1.44 लाख छोटे उद्योग शामिल हैं। इसके साथ-साथ इनमें 40 लाख घरेलू और वाणिज्यिक सेवाएं तथा गलियों के प्रकाश की व्यवस्था भी शामिल है।

निगम की वित्तीय सहायता से 91,285 गांवों को और 3.3 लाख नलकूपों को भी बिजली दी जा चुकी है। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में 34,000 उद्योगों के लिए भी बिजली देने की व्यवस्था की गई है जबकि 2.54 लाख किलोवाट की (एच० टी० और एल० टी०) और लाइनें गांवों में लगा दी गई हैं तथा 10 लाख से अधिक घरेलू तथा वाणिज्यिक कामों और गलियों के प्रकाश के लिए कनेक्शन दिए गए हैं।

इन उपलब्धियों के अलावा, एक बड़ा ठोस योग उन विद्युत् सहकारी समितियों का है जो 1969 में राज्य विद्युत् बोर्ड के अध्यक्षों के नवम्बर, 1965 के सम्मेलन की सिफारिशों और भारत सरकार द्वारा किए गए अन्तिम निर्णयों के आधार पर संगठित की गई थीं। पांच प्रायोगिक विद्युत् सहकारी समितियां, आन्ध्र प्रदेश के करीम नगर जिले में सरकिल्ला, गुजरात के अमरेली जिले में कोडिनार और महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में ममाधवाश, कर्नाटक के बेलगांव जिले में हुकीरी तथा उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में लखनऊ जुलाई 1969 से अक्तूबर, 1969 की अवधि में अपने-अपने राज्य सहकारी अधिनियमों के अन्तर्गत पंजीकृत की गई थीं। इन पांच प्रायोगिक सहकारी समितियों की उपलब्धि गांव के विद्युतीकरण और वितरण लाइनों के निर्माण तथा सर्विस कनेक्शनों के सन्दर्भ में बड़ी उत्साहप्रद रही है। इन समितियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य प्राप्त किए हैं।

अपने निर्माण कार्यों को पूरा करने के अलावा, ये समितियां अपने-अपने क्षेत्रों में मौजूद वित्तीय और अन्य विकास अभिकरणों से उपभोक्ता सदस्यों के लिए ऋण तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में काफी सहायक सिद्ध हो रही हैं। दूसरे शब्दों में, इन समितियों ने 'राज्य विद्युत् मंडलों' के समर्थन और राज्य सरकारों के संरक्षण से समन्वय और क्षेत्र विकास के साधन सूत्र के रूप में काम किया है। इन प्रायोगिक सहकारी समितियों में आन्ध्रप्रदेश की सरकिल्ला समिति ने अपनी विकास कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप सबसे अधिक गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त किया है।

इन सहकारी समितियों की उपलब्धियों से प्रोत्साहित होकर और अपने एक मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति के निमित्त, निगम ग्रामीण-विद्युत् सहकारी समितियों को बढ़ावा और वित्त सहायता दे रहा है। अब तक निगम द्वारा 14 ग्रामीण सहकारी विद्युत् परियोजनाएं (5 प्रायोगिक सहकारी समितियों सहित) स्वीकृत की गई है, जिनके लिए 25.91 करोड़ रु० की ऋण सहायता की व्यवस्था है। ये सहकारी समितियां 11 राज्यों में फैली हुई हैं जिनमें 3 आन्ध्र प्रदेश, 2 मध्य प्रदेश और एक-एक कर्नाटक महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा जम्मू और कश्मीर में है। इनमें 12 सहकारी समितियां तो कार्यशील हैं और शेष 2 अपना कार्य शीघ्र ही शुरू कर देंगी। अन्य राज्यों में भी इन समितियों को संगठित करने के प्रस्ताव पहले ही विचाराधीन हैं और छठी योजना की अवधि में लगभग 30 और सहकारी समितियां स्थापित की जा सकेंगी।

ग्रामीण विद्युत् सहकारी समितियों के सदस्यों की संख्या और हिस्सा पूंजी की रकम, जिनका कार्यक्षेत्र सम्भवतः एक तालुका से दो तालुका तक होता है, 1 जुलाई 1978 के अन्त तक क्रमशः लगभग 90 हजार और लगभग 90 लाख रु० है।

अनकापल्ली ग्रामीण विद्युत् सहकारी समिति, जिसका कार्य 1 नवम्बर, 1976 को शुरू हुआ, दो नई सहकारी समितियों में से एक है जो आंध्र प्रदेश में स्थापित की गई और जिसने अब तक अपने कामकाज के लगभग दो साल पूरे कर लिए हैं। संगठन सम्बन्धी तथा अन्य सम्बन्धित समस्याओं के बावजूद, समिति ग्रामीण-विद्युतीकरण के सम्बन्ध में अपना काम करने में बहुत सफल रही है और शेष लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जीतोड़ प्रयास कर रही है। अनकापल्ली समिति देश में स्थापित नई समितियों को न सिर्फ रास्ता ही दिखा सकी है बल्कि सरकिल्ला सहकारी समिति के रिकार्ड को भी बेहतर बना सकी है। इस प्रकार आंध्रप्रदेश के विद्युत् सहकारी क्षेत्र में चार चांद लग गए हैं। अपनी ओर से ग्रामीण विद्युतीकरण निगम हमेशा ही इस दिशा में आवश्यक सहायता उपलब्ध करने के लिए सजग तथा तत्पर है। ✳

बी० के० वर्मा,
14/10, ईस्ट पटेल नगर,
नई दिल्ली-110008

चका-चौंध का अंधेरा

राम प्रकाश राही
बी-58-पंडारा रोड,
नई दिल्ली-110003

अधिकारों की कई मशालें
हाथ में थामें
हम जीवन का कोना-कोना
अपने सुख की रोशनियों के सुगम
क्षेत्र में डाल रहे हैं।
रोशनियां ही रोशनियां हम देख रहे हैं
भाल रहे हैं।
वक्त की देन के मोह में आकर
वक्त की ओट में छुपे तकाजे टाल रहे हैं

अंधियारों से क्या निकले थे,
रोशनियों की चका चौंध में
धरती से आकाश की हद तक
दायें-बायें
आगे-पीछे
दिशा-दिशा में
कर्त्तव्य के फैले हुए
अस्तित्व को गोया
भूल गए हैं।

बीड़ी उद्योग में रोजगार के अवसर

सतीश कुमार जैन

सिगार [illegible] का, सिगरेट [illegible] बीड़ी ग्रामीणों एवं मजदूरों आदि का प्रिय धूम्रपान है। यद्यपि चिकित्सकों की राय के अनुसार धूम्रपान विशेषकर सिगरेट एवं बीड़ी हानिकारक होने के कारण वर्जित हैं क्योंकि इनसे दमा, कैंसर तथा श्वास की अनेक व्याधियां हो जाती हैं किन्तु फिर भी चाय से भी अधिक चलन अब सिगरेट एवं बीड़ी का है। जवानों की तो बात ही क्या, बूढ़े, महिलाएं तथा बच्चे भी दुर्भाग्य से इनके कशों का दब कर मजा उठाते हैं। इन सब को क्या मालूम कि यह सुलगता विष पैसे की बर्बादी के साथ-साथ उनके स्वास्थ्य का भी शत्रु है। इसमें विस्मय की बात नहीं कि सिगरेट व बीड़ी के विष होते हुए भी आज उनका उद्योग साल दर साल विकसित हो रहा है, सिगरेट का अधिक और बीड़ी का उसकी तुलना में कम। कल-कारखानों में कार्य करने वाले श्रमिक, तांगा-रिक्शा चलाने वाले साधारण मजदूर, खेतों पर काम करने वाले कृषक सभी तो उसके कश के नशे में अपने कठोर परिश्रम की थकावट को भूल जाना चाहते हैं। अब तो गांव, कस्बों और शहरों सभी में बीड़ी की मांग बराबर बढ़ रही है। इसका कड़क-कड़ुवा कश धूम्रपान व्यसनी रईसों को भी प्रिय होता जा रहा है।

बीड़ी उद्योग भारत में सन् 1882 में स्थापित हुआ। देश में इस समय सबसे बड़े बीड़ी निर्माता हैं गणेश छाप बीड़ी बनाने वाले मैं० बीड़ी वर्क्स मैसूर। इनकी 501 नम्बर की बीड़ी जो कर्नाटक में मंगलौर तथा उसके आसपास बनाई जाती है का प्रचलन लगभग समस्त भारत में है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्णाटक तथा उत्तर प्रदेश में बीड़ी निर्माण का कार्य अच्छे बड़े स्तर पर किया जाता है। मध्य प्रदेश में इसके मुख्य निर्माण केन्द्र हैं सागर, जबलपुर, दमोह-विलासपुर, रामपुर, नरसिंहपुर, भोपाल, इन्दौर, आदि जिले, महाराष्ट्र में गोंदिया, नागपुर, भंडारा आदि जिले, कर्नाटक में मंगलौर तथा उसके आसपास का उद्योग एवं उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, वाराणसी तथा कुछ अन्य पूर्वी जिले। गोंदिया में जो पहले मध्य प्रदेश में था बीड़ी का वहां सबसे बड़ा केन्द्र था। महाराष्ट्र के अन्तर्गत आ जाने के कारण वह अब वहां का सबसे बड़ा बीड़ी निर्माण केन्द्र है।

सागर में जो अब मध्य प्रदेश का प्रमुख बीड़ी निर्माता जिला है, वहां बीड़ियों का निर्माण लगभग 75 वर्ष पूर्व में मोहनदास हरगोविन्ददास द्वारा आरम्भ किया गया था। इनके निर्माण केन्द्र हैं मुख्यतः मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात तथा मुख्यालय इनका है जबलपुर में। ऐसा अनुमान किया जाता है कि लगभग 20 अरब बीड़ियों का वार्षिक निर्माण इनके द्वारा किया जाता है जिनका थोक में मूल्य 20—25 करोड़ रुपये होता है। सागर में बीड़ी का निर्माण सन् 1920 के लगभग आरम्भ किया गया और कालांतर में इस उद्योग को विकसित कर दिल्ली के विक्रय केन्द्र द्वारा इसकी बिक्री का देश व्यापी स्तर पर संचालन किया गया।

भारत में लगभग 250 करोड़ रुपयों की लागत तथा अकेले मध्य प्रदेश में 146 करोड़ रुपयों की बीड़ियों का निर्माण प्रतिवर्ष होता है। इससे आबकारी विभाग को लगभग 80 करोड़ रुपये की आय समस्त देश से तथा 50 करोड़ रुपये की केवल मध्य प्रदेश से ही होती है। इस प्रकार उत्पादन तथा राजस्व दोनों ही दृष्टियों से यह महत्वपूर्ण है।

बीड़ी का प्रयोग अब केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा है। मलेशिया, सिंगापुर, अफगानिस्तान, दुबई, बंगलादेश, तथा पूर्व के अन्य देशों में बीड़ी की मांग बनी हुई है और भारत द्वारा वहां के लिए काफी निर्यात होता है। अधिक विकसित और सुसंस्कृत देशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया, बेल्जियम, जर्मनी, नीदरलैंड, डेन्मार्क, नार्वे, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड को भी बीड़ियों का निर्यात आरम्भ हो गया है। बीड़ी-उद्योग इस प्रकार देश में बढ़ती मांग और बढ़ते हुए निर्यात के कारण और अधिक बढ़ रहा है।

बीड़ी बनती है तेन्दु के कोमल पत्ते से जिसके छोटे वृक्ष मध्यप्रदेश में विशेषकर तथा मध्य प्रदेश से लगने वाले उत्तरप्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा एवं महाराष्ट्र के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। एक दोष रहित पत्ते में उसके आकार के अनुसार एक से चार तक बीड़ियों का निर्माण हो जाता है। पत्ते को मोड़ कर उसमें हल्का सा तम्बाकू भरा जाता है जो केवल गुजरात से आता है। इसके पश्चात् उस पर हल्का सा धागा लपेट दिया जाता है और लीजिए बीड़ी तैयार है। बीड़ी निर्माता अपनी सुविधानुसार 10 से 25 बीड़ियों का बंडल बनवाते हैं। पूरे बंडल पर एक स्थान पर धागा लपेटने के पश्चात् उसे छपे हुए झिल्ली कागज के आवरण में बन्द कर दिया जाता है जिस पर निर्माता का नाम एवं उसका ट्रेड मार्क मुद्रित होता है। फिर अंत में लगाया जाता है लेबिल जो बाजार में उस नाम से बीड़ी को विख्यात करता है। आज देश में अनेक छाप की बीड़ियां बनती हैं जिनमें मुख्य हैं, 501 की गणेश छाप, शेर व पहलवान छाप, बालक छाप, 27 नम्बर, फौहारा व सितारा छाप, 22 नम्बर आदि।

बीड़ी उद्योग में श्रमिक दो प्रकार से कार्य करते हैं। एक वे हैं जो तेन्दु वृक्षों से पत्ता तोड़ कर लाते हैं तथा दूसरे वे जो इस पत्ते से बीड़ी बनाते हैं। पूर्व में बीड़ी निर्माता राज्यों के वन विभागों से ठेके लेकर श्रमिकों द्वारा उन पत्तों को पेड़ों से ही तुड़वाकर एकत्रित करवाते थे। उन वृक्षों की छंटाई ठेकेदारों

द्वारा ही अच्छे पत्ते प्राप्त करने के लिए की जाती थी। मध्य प्रदेश शासन द्वारा यह विचार किया जाने पर कि ठेकेदारी प्रथा से उनको बहुत कम राजस्व की प्राप्ति होती है तथा श्रमिकों को उचित पारिश्रमिक ठेकेदारों द्वारा नहीं मिल पाता है, सन् 1965 से वहां तेन्दु पत्ते का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। इसके अन्तर्गत शासन द्वारा 50 पत्तों वाली एक हजार गड्डियों के एक मानक बोरे को आधार मानकर निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। पत्ते तुड़वाने के लिए शासन द्वारा अभिकर्त्ता (एजेन्ट) नियुक्त किये जाते हैं जो पत्ते तोड़कर उन निर्माताओं को जिनके नाम निविदा स्वीकृत हुई, सौंप देते हैं। इस प्रकार पत्तों की खरीद शासन द्वारा नियुक्त अभिकर्त्ताओं के माध्यम से की जाती है। खरीदने वाला व्यापारी क्रेता कहलाता है। क्रेता से प्राप्त खरीद मूल्य में से श्रमिकों को पारिश्रमिक एवं अभिकर्त्ता को पारिश्रमिक तथा व्यय दिया जाता है। शासन द्वारा नियुक्त अभिकर्त्ता से क्रेता अर्थात् बीड़ी निर्माता को तेन्दु पत्तों की हरी गड्डियां दी जाती हैं। इनको सुखाने के पश्चात् जूट के बोरों में गिनकर तहवार रखा जाता है। दूर दराज तथा पहाड़ी इलाकों के गांव-गांव से एकत्रित तेन्दु पत्तों को इस प्रकार बीड़ी बनाने वाले बोरों में भरकर अपने संग्रहण एवं निर्माण केन्द्र में भेजते हैं। जिन राज्यों में तेन्दु पत्ते का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ है वहां पर बीड़ी पत्ता तोड़ने वाला श्रमिक अपने निवास से कुछ किलोमीटर तक के जंगलों में घूम-घूम कर पत्ते तोड़ता है, उन्हें इकट्ठा करता है और फिर गड्डी बनाकर बीड़ी पत्तों के टाल पर बेच आता है। कहीं कहीं पर बीड़ी निर्माता ठेके लेकर पारिश्रमिक पर श्रमिकों से पत्ते एकत्रित करवाते हैं।

बीड़ी के बड़े निर्माता इनको कारखानों में बनवाते हैं जिनमें कुछ मशीनों का प्रयोग होता है लेकिन अधिकतर बीड़ी उत्पादन एक घरेलू उद्योग है जिसमें निर्माता बीड़ी पत्ता, तम्बाकू व अन्य सामान बीड़ी बनाने वाले परिवारों को दे देते हैं और निश्चित की हुई राशि के अनुसार प्रति बंडल के हिसाब से उनको पारिश्रमिक अदा कर देते हैं। इस कार्य में बच्चे, महिलाएं और बूढ़े सभी कार्य करते हैं। महिलाएं दिन भर में 500 बीड़ियां बना लेती हैं। पुरुष अपेक्षाकृत कुछ अधिक बना लेते हैं। पुरुष अधिकतर बीड़ी निर्माताओं के यहां ही बैठकर यह कार्य करते हैं जबकि बच्चे और महिलाएं अधिकतर इस कार्य को अपने ही घर पर करते हैं। पुरुषों को इस कारण कहीं-कहीं महिलाओं एवं बच्चों की अपेक्षा कुछ अधिक पारिश्रमिक दिया जाता है। साधारणतया एक महिला 3-4 रुपए प्रतिदिन तथा एक पुरुष 5-6 रुपए प्रतिदिन बीड़ी बनाने में कमा लेते हैं। इस समय बीड़ी उद्योग में लगभग 50 हजार व्यक्ति रोजगार में लगे हुए हैं।

मध्य प्रदेश में प्रतिदिन लगभग 40 करोड़ बीड़ियों का निर्माण होता है जिनका थोक मूल्य 40 लाख रुपए प्रतिदिन अर्थात् 146 करोड़ रुपये वार्षिक है। राज्य के बीड़ी निर्माताओं ने प्रत्येक चार-छः गांवों के मध्य में एक केन्द्र स्थापित कर रखा है जिससे कि इस क्षेत्र की बीड़ियां बन कर एकत्रित हो सकें और यहां के मुख्यालय लाई जा सकें। इन निर्माताओं का विचार है कि शासन की ओर से कुछ सुविधाएं उनको इस प्रकार की मिलें जिससे वह इन बीड़ियों पर निर्माण-कर उस केन्द्र के स्थान पर अपने मुख्यालय से अथवा बीड़ी निर्माण रजिस्टर के आधार पर अदा कर सकें। उनके विचार में ऐसा होने पर खुली बीड़ी पर कर लगने के कारण शासकीय आय में वृद्धि होगी और जाली नाम से जिन प्रसिद्ध बीड़ियों का निर्माण नक्काल करते हैं और उस पर कर भी अदा नहीं करते वह भी रुक जाएगा।

बीड़ी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है किन्तु निर्धन व्यक्तियों के लिए यह उनको राहत देने का मुख्य सहारा बन चुकी है। इसके निर्माण में काफी व्यक्ति भी कार्य पर लगे हुए हैं। इस कारण इस उद्योग का समाप्त करना अब सम्भव प्रतीत नहीं होता। अतएव आवश्यकता इस बात की है कि बीड़ी निर्माता इस उद्योग में लगे श्रमिकों की आर्थिक स्थिति की ओर अधिक ध्यान दें एवं उनको उचित पारिश्रमिक भी दें। साथ ही साथ राज्य शासकों से भी बीड़ी निर्माताओं की यह अपेक्षा है कि वह कर निर्धारण, वसूली आदि में अनुभव हो रहे उनके कष्टों की ओर ध्यान दें। ✱

--13-ई, बेयर्ड रोड, नई दिल्ली-1

बरगद की छाया

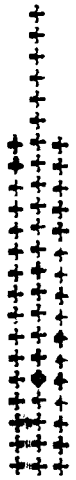

राजेन्द्र शर्मा

खेत-खेत में हो हरियाली,
घर-घर ग्रामों में खुशहाली।
जन-जन में सहयोग भावना।
सबके सुख की सबल कामना।।

अपने श्रम से आगे बढ़ कर
स्वयं भाग्य अपना ही गढ़ कर।
पिछड़ापन मिल दूर भगाएं।
दुखियों का सब दर्द मिटाएं।।

एक-एक मिल ग्यारह होते,
बूंद-बूंद मिल सागर होते
जीवन में यह पथ अपनाएं,
पहले दें, फिर ही कुछ पाएं।।

यों विकास का पथ अपना कर,
निर्बल को हम सबल बना कर,
सभी बनाएं उज्ज्वल गांव।
बरगद देता सबको छांव।।

1625, द्वारकापुरी,
दिल्ली-110032

[illegible] गांव : उठते गांव

शशि चावला की पंचायत प्रतिनिधियों से भेंटवार्ता

"हमारे पंचायती राज में न कोई दरिद्र होगा न कोई दुःखी। सब अनुशासन बद्ध होंगे। जिस दिन असली पंचायती राज आएगा उस दिन गर्भवती महिलाओं से लेकर बुजुर्गों तक और यहां तक कि श्मशान व्यवस्था की जिम्मेदारी भी पंचायत की होगी। अभी पंचायतों का काम बहुत पिछड़ा हुआ है। जब तक नगर निगम और नगर पालिकाएं पंचायती राज में नहीं आ पाएंगी तब तक ग्राम पंचायतों की व्यवस्था भी नहीं सुधरेगी। सब लोग उन्नति करें, कोई आदमी बेकार न रहे और किसी के ज्यादा संतान उत्पन्न न हो, सब बुद्धिमान हों और सब योग्य बन सकें, यह है हमारे पंचायती राज की परिकल्पना।" ये शब्द हैं मध्य प्रदेश की एक पंचायत के अध्यक्ष श्री रघुवंशी जी के जो उन्होंने मेरे साथ भेंट वार्ता में कहे।

दिल्ली में अखिल भारतीय पंचायत परिषद के नवम् राष्ट्रीय सम्मेलन में 19 दिसम्बर, 1978 को भारत के अनेक राज्यों के पंचायती राज प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

पंचायत परिषद् के अध्यक्ष श्री लाल सिंह त्यागी से जब अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट के बारे में उनकी राय मांगी गई तो उन्होंने कहा– "भारत गांवों का देश है। लगभग 82 प्रतिशत लोग इन गांवों में निवास करते हैं और शेष 18 प्रतिशत नगरों में रहते हैं। गांधी जी की समग्र विकास की, भावना को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ग्राम सभाएं इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए कृतसंकल्प हैं।"

अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज-संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने के बारे में जो सिफारिश की है वह बड़ी महत्वपूर्ण है। किन्तु यह स्पष्ट नहीं होता कि समिति ने किस दर्जे की बात कही है। पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारों के विकेन्द्रीकरण का संविधान में केन्द्र एवं राज्य सरकारों के अधिकारों की तरह स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए।

श्री त्यागी जी ने मेहता की रिपोर्ट के बारे में इसी प्रकार की और टिप्पणियां की किन्तु वे कमेटी की मूल भावना से सन्तुष्ट थे।

हरियाणा के एक सरपंच श्री मेघराज पुण्या से जब यह पूछा गया कि उनके गांव में क्या कोई बैंक व्यवस्था है तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि गांव में कोई बैंक व्यवस्था नहीं है और न कोई बैंक है। शहर में बैंक हैं जो वहां से 7 कि० मी० की दूरी पर हैं। उनसे हमें ऋण आसानी से नहीं मिलता। दो-दो, तीन-तीन महीने लग जाते हैं जिससे ऋण पाने वाला तंग आकर ऋण पाने के अपने प्रयास छोड़ देता है। ऋण पाने का दूसरा कोई साधन नहीं। यदि कोई अकेला व्यक्ति जाए तो पहली अड़चन जमानत के लिए लगाई जाती है। गरीब लोगों के लिए कोई जमींदार जमानत देने के लिए तैयार नहीं होता।

श्री पुण्या अपने गांव के लिए एक मिनी बैंक की मांग करते हैं। उन्होंने अपने गांव की उन्नति के बारे में बताया कि गांव में गलियां पक्की कर दी गई हैं, चौपाल बनवाई गई हैं, स्कूल की व्यवस्था की गई है और महिलाओं के लिए सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र खोल दिया गया है। किन्तु अन्त्योदय के बारे में कोई विशेष कार्य नहीं हुआ है।

मणिपुर पंचायत परिषद् के सचिव श्री दिनेश चन्द्र ने बताया कि उनके क्षेत्र में आदिवासी कल्याण का कार्य संतोषजनक रूप से हुआ है। लोग घर-घर में बुनाई आदि का काम करते हैं, उन्हें लघु उद्योगों में सफलता मिली है। उनके गांव में डाक्टर भी हैं और शिक्षा की भी अच्छी व्यवस्था है। उन्होंने अपने समाज की एक अच्छी परम्परा के बारे में बताया कि उनके यहां कोई दहेज प्रथा नहीं है। उन्होंने कुछ समस्याओं की ओर इशारा करते हुए कहा कि जो सुविधाएं उनको मिली हैं वे उनका सही रूप से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश के काकड़ा गांव की कुमारी-रजनी कान्ता ने इस बात पर सन्तोष प्रकट् किया कि उनके गांव में न केवल लड़कों का स्कूल है बल्कि लड़कियों के लिए एक मिडिल स्कूल की भी व्यवस्था है। उनके गांव में पोस्ट आफिस व बिजली भी है किन्तु न तो स्वास्थ्य रक्षा केन्द्र है और न ही कोई पशु अस्पताल है।

दिल्ली के बिजवासन गांव के प्रधान श्री खजान सिंह का कहना था कि उनके गांव में स्कूल, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र, पोस्ट-आफिस आदि सब हैं किन्तु अभी तक कोई पुस्तकालय या वाचनालय नहीं बन सका। उन्होंने बताया कि दिल्ली के गांव सम्भवतः अन्य प्रान्तों के गांवों से आगे हैं किन्तु अभी भी झगड़े जमीन के बारे में होते हैं। उन्होंने अपने गांव के लिए टेलीफोन की व्यवस्था कायम करने के बारे में इच्छा प्रकट् की।

हिमाचल प्रदेश के जोहड़ों गांव के श्री हंसराज ने बताया कि गांव में स्कूल व प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र, पशु अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, पोस्ट-आफिस आदि नहीं है, पर बिजली अवश्य है और पीने का पानी भी खूब मिलता है।

मेरठ में लुहारा सराय के श्री सुरेशचन्द्र गोयल का कहना था कि उनके गांव में स्कूल, पशु अस्पताल और बिजली है किन्तु बिजली कभी-कभी सारे दिन गायब रहती है।

हमारे इस संक्षिप्त सर्वेक्षण से भारत के गांवों की प्रगति और विकास की कहानी की एक झलक मिलती है। इससे पता चलता है कि हम कितनी दूरी तय कर आए हैं किन्तु यह कोई मील का अन्तिम पत्थर नहीं। हमें अभी बहुत आगे बढ़ना है। बहुत ऊपर उठना है और गांधी जी के रामराज्य की कल्पना को साकार करना है। ❋

छोटे किसानों की एक नहीं, तीन परिभाषाएं *

अवनीन्द्र कुमार विद्यालंकार

छोटे किसान को वित्तीय सहायता देने वाली विभिन्न संस्थाओं में मतैक्य नहीं। किसको छोटा माना जाए, इसका लक्षण या इसकी परिभाषा एक न होने से सहायता पाने के पात्र सहायता से वंचित रह जाते हैं। अम्बाला जिले का एक उदाहरण प्रस्तुत है।

छोटा किसान	परिभाषा
1. स्माल फारमर्स डेवलपमेंट एजेंसी (एस० एफ० डी० ए०)	2.5 एकड़ सिंचित जोत को जोतने वाला या
(यह संस्था सहकारी संस्थाओं के लिए ऋण पर सहायता देती है)	5 एकड़ असिंचित जोत को जोतने वाला।
2. रिजर्व बैंक आफ इंडिया	फार्म की आय 2400 रु० तक हो। 6.5 एकड़ जोत का मालिक।
(यह किसानों को कर्ज देने के लिए सहकारी समितियों को कर्ज देती है।)	
3. एग्रीकल्चर रुरल डेवलपमेंट अथार्टी	8.5 एक जोत का किसान छोटा किसान है।

इन तीन परिभाषाओं के कारण किसानों को मदद देने के काम में गड़बड़ी पैदा हो गई है। अम्बाला में कोआपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक है। यह किसानों को नलकूप लगाने के लिए धन देता है। यह 'ए०आर०डी०सी०' की ही परिभाषा मानता है और उसके अनुसार ही काम करता है। इसके विपरीत, स्माल फारमर्स डेवलपमेंट एजेंसी (लघु किसान विकास अभिकरण) ने अपना कार्यक्षेत्र अपनी परिभाषा की मर्यादा में सीमित रखा है। इसका परिणाम क्या हुआ? अम्बाला ब्लाक में ए० आर० डी० सी० की परिभाषा के अनुसार 50 प्रतिशत किसान लाभ उठाने वाले हैं। किन्तु स्माल फारमर्स डेवलपमेंट एजेंसी (लघु किसान विकास अभिकरण) के मुताबिक लाभ पाने के पात्र छोटे किसान 29 प्रतिशत हैं। स्माल फारमर्स डेवलपमेंट एजेंसी (लघु किसान विकास अभिकरण) की तैयार की गई सूची में भूमिहीन किसानों, बटाई पर जोतने वाले किसानों और पट्टे पर किसानी करने वाले किसानों के नाम नहीं क्योंकि इसने नाम सूची तैयार की है, 'लैंड रिकार्ड' से। यह रिकार्ड कभी पूरा नहीं किया गया। इस प्रकार 50 प्रतिशत किसान सहायता पाने के योग्य पात्र नहीं रहे।

स्माल फारमर्स डेवलपमेंट एजेंसी (लघु किसान विकास अभिकरण) की स्थापना (अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण समीक्षा समिति) 'आल इंडिया रुरल क्रेडिट रिव्यू कमेटी' की सिफारिश पर की गई थी। इस कमेटी ने किसानों को स्वामित्व के आधार पर नहीं बल्कि काश्त के आधार पर किसानों को चार वर्गों में बांटा था जैसे:

प्रथम वर्ग	7.50 एकड़ भूमि और इससे ऊपर
द्वितीय वर्ग	2.50 एकड़ से 7.49 एकड़ तक
तृतीय वर्ग	2.49 एकड़ भूमि।

1971 की जनगणना के अनुसार तृतीय वर्ग के किसानों में केवल 35 प्रतिशत भूस्वामी थे। ये अपनी जमीन जोतते थे। 54.2 प्रतिशत पट्टे पर ली जमीन जोतते थे। शेष मिली जुली कुछ अपनी और कुछ पट्टे की जमीन जोतने वाले थे। इस प्रकार छोटे किसानों की सूची तैयार करते हुए 50 प्रतिशत छोटे किसान छोड़ दिए गए। जिनके लिए यह संस्था स्थापित की गई थी वे लोग ही सहायता पाने से वंचित कर दिए गए।

छोटे किसान की एक परिभाषा होनी चाहिए। इसकी कसौटी तय होनी चाहिए। ए० आर० डी० ए० के बनाए सिद्धान्त के आधार पर कुछ अवश्य संशोधन के साथ सारे देश के लिए छोटे किसान की एक परिभाषा तय होनी चाहिए। क्या सम्पूर्ण भारत के किसानों को एक समुदाय मानना युक्तियुक्त होगा। ●

—इतिहास सदन
ए-239 पंडारा रोड
नई दिल्ली 110003

जीवन गीत

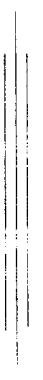

केदार नाथ कोमल

रामू भैया
जीवन का नया गीत गाओ।
हल के फल से इन्द्रधनुषी सपने
धरा पर उगाओ।

ऊबड़-खाबड़-रेतीले-पथरीले
सोए खेतों के
हृदय को जगाओ।

झूम-झूम-झूम उठ
मेंड़-मेंड़, खेत-खेत, गांव-गांव
कण-कण में विश्वास के ऐसे
बीज बो जाओ।

बैलों की घंटी की धुन पर
मेहनत का मतवाला गीत गाओ।

मौसम का हाथ थाम
चलते-चलो चलते-चलो,
धरती के ओर-छोर तक, पग-पग

हरियाली फैलाओ रामू भैया,
जीवन का नया गीत गाओ।

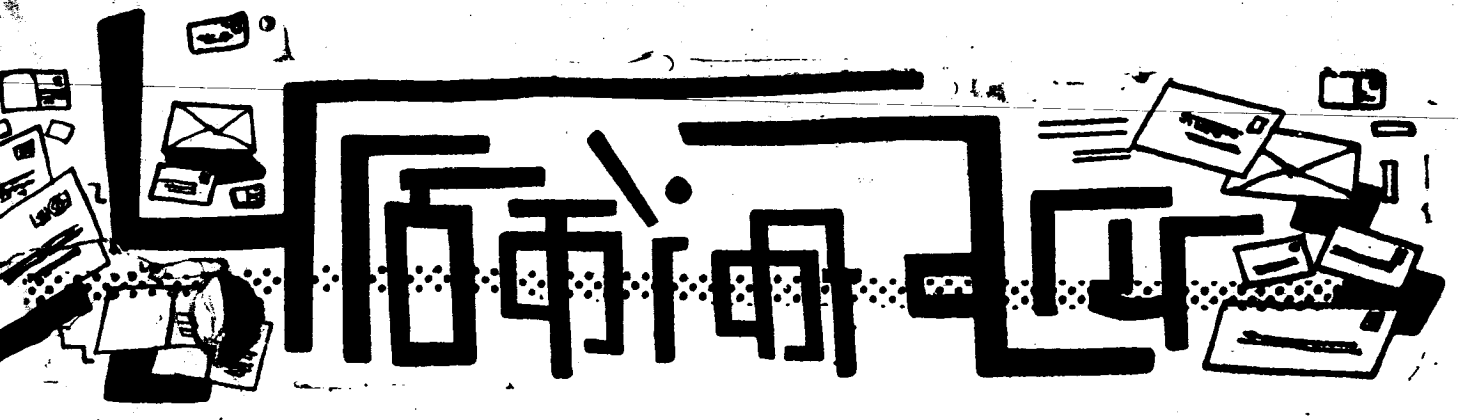

सम्पूर्ण ग्रामीण विकास कार्यक्रम से ही समस्याओं का हल

* मोहन लाल कक्कड़

हमारा देश मुख्यतया गांवों का देश है। इसी कारण इसकी जनसंख्या का 80 प्रतिशत भाग गांवों में निवास करता है। शहर कितने ही सुन्दर और भव्य क्यों न बन जाएं परन्तु यहां का जन-जीवन तब तक सुखी नहीं रह सकता, जब तक कि हमारे गांवों का विकास न हो। इसके लिए सरकार द्वारा 'सम्पूर्ण ग्रामीण विकास' कार्यक्रम को अधिक प्रोत्साहन देने का निर्णय एक अच्छा निर्णय है। लेकिन केवल सरकार द्वारा घोषित कार्यक्रम के द्वारा ही गांवों का विकास नहीं हो सकता जब तक कि वहां के नवयुवकों का वर्ग उसमें रुचि न ले।

आज हमारे गांवों में जो गरीबी और बेकारी बढ़ रही है उससे गांवों के नवयुवक शहरों की ओर भाग रहे हैं, लेकिन शहरों में भी उन्हें निराशा ही हाथ लगती है और थोड़ा बहुत रोजगार मिलता भी है तो उससे वहां उनका जीवन ठीक नहीं चल पाता। इससे शहरों का जीवन भी क्षुब्ध हो जाता है।

यह देखते हुए इन समस्याओं के समाधान के लिए एक ही उपाय है कि सरकार को गांवों का सम्पूर्ण विकास करना चाहिए। हमारे गांव केवल खेती पर ही आश्रित हैं, पर जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए गांवों के लिए खेती की वर्तमान स्थिति पर्याप्त नहीं है। अतः समस्या को सुलझाने के लिए केवल यही उपाय है कि 'गांवों' में खेती की गति को तेज किया जाएं तथा वहां पर उद्योग-धन्धों का तीव्र विकास किया जाए।

आज के आधुनिक युग में विज्ञान हमारे लिए वरदान है और उसका लाभ गांवों को मिलना ही चाहिए। विज्ञान की उन्नति के फलस्वरूप ही जापान तथा यूरोप जैसे छोटे-छोटे देश आर्थिक दृष्टि से स्वर्ग बन गए हैं। हमें भी इस विषय पर विचार करना चाहिए कि किस प्रकार गांवों में नई तकनीक और नई प्रौद्योगिकी का विकास कर वहां पर छोटे-छोटे उद्योग-धन्धों की स्थापना की जा सकती है। ये उद्योग ऐसे होने चाहिए कि स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार मिल सके, उनकी कार्यकुशलता बढ़ायी जा सके और स्थानीय कच्चे माल से सामान तैयार किया जा सके। इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के पश्चात् ग्रामों की आर्थिक दशा सुधरेगी, घर-घर को रोजगार मिल सकेगा तथा शहरों पर बेरोजगारों का दबाव भी कम होगा।

वैज्ञानिकों का कर्त्तव्य है कि अपने ध्यान को वे गांवों की ओर केन्द्रित करें जिससे वे गांवों में विकास के लिए सहायक सिद्ध हो सके। इसके साथ ही नवयुवकों को अधिक से अधिक संख्या में आगे आना चाहिए। जब तक नवयुवक इस कार्य में प्रभावी ढंग से रुचि नहीं लेंगे तब तक सफलता नहीं मिल सकती।

—बी-1/155, न्यू मोती नगर,
कर्मपुरा (मार्ग नं० 3)
नई दिल्ली-110015

व्यक्ति का नियामक समाज, समाज का नियंता राष्ट्र, राष्ट्र की नियामक व्यवस्था, और व्यवस्था का नियामक धर्म है। इसलिए धर्म से टकराने वाली व्यवस्था टूट जाती है, व्यवस्था से टकराने वाला राष्ट्र टूट जाता है, राष्ट्र से टकराने वाला समाज टूट जाता है और समाज से टकराने वाला व्यक्ति टूट जाता है।

मुनि रूपचंद्र

पहला सुख निरोगी काया

सर्दी के मौसम में बलवर्धक योग

वैद्य रघुनन्दन प्रसाद साहू

सर्दी के मौसम को डाक्टर, वैद्य और हकीम लोग स्वास्थ्य ऋतु अर्थात् 'हैल्दी सीजन' कह कर पुकारते हैं क्योंकि इन दिनों मौसम ऐसा होता है कि लोग बीमार कम होते हैं और उन्हें डाक्टरों, वैद्यों और हकीमों के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि लोग सर्दी से बचने के लिए अत्यधिक गर्म कपड़े पहनते हैं और अत्यधिक पुष्टिकारक भोजन तथा सूखे मेवे, दूध, घी, मांस, मछली अंडे और मक्खन खाते हैं। इन दिनों, दिन छोटे और रात्रि बड़ी होती हैं, अतः भोजन पचाने के लिए भी प्रकृति अधिक समय देती है जिससे शरीर भुक्त भोजन को समुचित रूप से आत्मसात कर लेता है। फलस्वरूप लोगों का स्वास्थ्य बेहतर होता जाता है। इसके साथ-साथ, यदि लोग नियमित रूप से कुछ स्वास्थ्य और बलवर्धक योगों का भी सेवन करें तो उनकी सेहत बहुत ही अच्छी हो सकती है। यहां पर ऐसे ही कुछ स्वास्थ्य और बलवर्धक योग दिए जाते हैं। यथा :—

1. यदि लोग सर्दी के मौसम में नित्यप्रति दूध में मिस्री और घी मिलाकर पिया करें तो उनका स्वास्थ्य दिनोंदिन बढ़ता जाएगा।

2. यदि नित्यप्रति एक बड़ी चम्मच मुलहटी के चूर्ण को गाय के घी और शहद में अच्छी तरह मिलाकर चाट लें और ऊपर से दूध पीयें तो उनका शरीर बल वर्ण, और कांति से युक्त हो जाता है।

3. यदि विदारीकन्द के चूर्ण का एक बड़ी चम्मच की मात्रा में घी और दूध के साथ सेवन किया जाए तो उससे बल-वीर्य की वृद्धि होती है।

4. विदारी कन्द का चूर्ण बनाकर उसमें पुनः विदारीकन्द के रस की ही भावना दें। इस प्रक्रिया को 10-15 बार करें। अब उस विदारीकन्द के [illegible] को नियमपूर्वक दूध और घी से नित्य सेवन करते रहें तो उन का बल दस गुना बढ़ जाता है।

5. शतावरी का चूर्ण बनाकर नियम पूर्वक दूध के साथ एक बड़ी चम्मच की मात्रा में खायें तो इससे भी बल-वर्ण की अत्यधिक वृद्धि होती है।

6. गडूची, आंवला और गोखरू का बराबर मात्रा में चूर्ण करके घी और चीनी के साथ सेवन करने से भी बल वीर्य की अत्यधिक वृद्धि होती है।

7. श्वेत गुंजा, कोंच के बीज और गोखरू के चूर्ण को बराबर मात्रा में चीनी मिलाकर आठ गुना मात्रा में दूध और दूध से चार गुना मात्रा में पानी मिलाकर चूल्हे पर चढ़ाकर पका लें। पकाते-पकाते जब पानी का अंश जल जाए तो उसे उतारकर स्वच्छ बर्तन में रख लें और नियम पूर्वक उसे सेवन करें तो इससे स्वास्थ्य में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। ✱

सूखी खुजली

वी० पी० मिश्र

आजकल के मौसम में खुजली की बीमारी लोगों को बहुत परेशान करती है। इस बीमारी में सबसे पहले हाथ की अंगुलियों के बीच छोटे-छोटे दाने निकल आते हैं, इनमें खुजली होती है फिर इनमें पानी सा भर जाता है। चेहरे और सिर को छोड़, धीरे धीरे सारे शरीर पर फैल जाती है। खुजलाने से नाखुन और गन्दे हाथों के लगने से घाव पक जाते हैं और इनमें कभी-कभी दर्द भी हो जाता है।

खाने की दवाइयां इसमें काफी लाभ देती हैं। कुछ दिन तक दवा का प्रयोग करने से बीमारी जड़ से चली जाती है। इसमें सफाई रखना और अपने वस्त्र, एवं व्यवहार में आने वाले तौलिये या रुमाल का अलग रखना जरूरी है। यह छूत की बीमारी है और इन्हीं चीजों के जरिए फैल जाती है। निम्नलिखित औषधियों का सेवन-लक्षण के अनुसार दिन में तीन दफा करें :

हेप्टिम क्रूड: 200—जहां खुजलाने-खुजलाते फुन्सियां पक गई हों। उनमें से मवाद निकल रहा हो। एक बार रोजाना लें।

ऐनथ्रेकोकली : 30—विचूर्ण—जहां पोते एवं हाथ पर अधिक दाने हों तथा जिनमें पानी भरा हुआ हो।

क्रोटनटग-6 :—पानी वाले या मवाद वाले दाने, इन्द्रिय पर दाने अधिक हो एवं बहुत खुजली हो। सवेरे और रात को खुजली अधिक हो।

सिपिया-200 :—खुजली के दाने चमड़े पर काला निशान छोड़ दें। एक खुराक रोज। सारे शरीर पर खारिश हो।

सल्फर-6—छोटे-छोटे बारीक दाने खुजलाने के बाद जलन। ठण्डक से खुजली में आराम। रोगी को गन्दे रहने की आदत, नहाने से बचता रहता है।

मर्कसौल:—30—खुजली रात को बिस्तर पर जाने के बाद बढ़े। रजाई की गर्मी से खुजलाहट अधिक हो।

सिफिलिनम : 30—खुजली-रात्रि के आरम्भ होते ही अधिक हो जाए। दिन में खारिश नहीं होती है। ✱

रूपक

जय जनतंत्र : जय सहकार

डा० योगेन्द्रनाथ शर्मा, 'अरुण'

अभिनेय एकांकी :--

पात्र परिचय

(1) अरुण बाबू : गांव का शिक्षित, राष्ट्रवादी एवं उत्साही युवा, (2) चौधरी जी : गांव के पूज्य एवं प्रौढ़ व्यक्ति, अरुण के पिता, (3) हरी राम : गांव का गरीब, ईमानदार हरिजन-मजदूर, (4) धनी राम : धनी, रौबीला काश्तकार, (5) पण्डित जी : गांव के पुरोहित ब्राह्मण, (6) बच्चू : गुण्डा, पेशेवर बदमाश, कुछ युवक किसान, प्रौढ़ तथा मजदूर

—प्रथम दृश्य—

स्थान -- चौधरी जी की चौपाल

समय -- दिए जले का समय, दिन ढल चुका है

चौपाल में दो चारपाइयां बिछी हुई हैं। तीन-चार मूढ़े रक्खे हुए हैं और एक कोने में हुक्का रक्खा है। एक चारपाई पर चौधरी साहब बैठे हुए एक दूसरा हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं। बीच-बीच में हुक्का छोड़ कर, छत की ओर देख कर, कुछ सोचने की सी मुद्रा बना लेते हैं। दरवाजे के पास लालटेन रक्खी है, जिसकी रोशनी चौपाल में फैल रही है।)

चौधरी जी--(हुक्का गुड़गुड़ा कर स्वगत कथन करते हुए) कितना भारी जुल्म अंग्रेजों ने किया था हमारी धरती पर, भगवान् का लाख-लाख शुक्र है कि आज हमारा भारत देश आजाद है और महात्मा गांधी का सपना साकार हुआ है। आज हम गुलाम नहीं हैं; हमारे अपने नेता हमारे देश का राज कर रहे हैं; सब को अपनी बात कहने का बराबर का हक मिल चुका है। (सन्तोष की मुद्रा में फिर हुक्का गुड़गुड़ा कर दूसरी ओर घुमा देते हैं) ..... पण्डित जी आज कहां रह गए भला ? आने का समय तो हो गया है।

(तभी पण्डित जी प्रवेश करते हैं। साधारण सा कुरता और धोती-चप्पल पहने हुए हैं। माथे पर तिलक लगा है और कंधे पर अंगोछा डाले हैं। चोटी में गांठ बांध रक्खी है तथा बगल में कुछ दबाए हैं।)

पण्डित जी--(जोर से बोलते हुए) राम राम चौधरी जी ! क्या हो रहा है ? घर में बाल बच्चे तो सब कुशल से हैं न ?

चौधरी जी--(उठकर अभिवादन करते हुए), आइए, आइए, पण्डित जी ! यहां पधारिए ! (खाट के सिरहाने बैठाते हैं) मैं तो अभी आप ही की राह देख रहा था ! (हुक्का देखकर जोर से आवाज देते हैं) अरे, कोई आना तो जरा; हुक्का ठण्डा हो गया है भाई, चिलम भर लाओ। (नेपथ्य से पुरुष स्वर –"आता हूं")

पण्डित जी--(कुछ उत्साहपूर्वक प्रसन्न मुद्रा में) चौधरी जी ! गांव का भाग्य जाग रहा है। सरकार ने गांव में पंचायत बना देने का फैसला किया है और जल्दी ही गांव-पंचायत का चुनाव होगा। आपका क्या विचार है इस बारे में, मैं तो यही जानने आया हूं।

चौधरी जी--(उत्साह भरे स्वर में) सच कहते हो पण्डित जी। स्वराज्य का सुनहरा सपना साकार होते देख रहा हूं, यह मेरा सौभाग्य ही तो है। गांवों का विकास भारत के विकास की पहली सीढ़ी है, इस बात को हमारे शासक समझ चुके हैं। सदियों से भारत का किसान शोषण की चक्की में पिसता रहा है और उसको मानवीय अधिकार तक नहीं मिल सके। (कुछ आशा और विश्वास के स्वर में) पण्डित जी ! देश की उन्नति और निर्माण ग्राम विकास के बिना अधूरा ही तो है। विकास की रोशनी गावों को देकर सरकार गांधी और नेहरू का सपना पूरा कर रही है।

पण्डित जी--(गम्भीर होकर चिन्ता के स्वर में) आपकी बात तो बिल्कुल सच है चौधरी जी, लेकिन प्रजातन्त्र की रोशनी को गरीबों तक पहुंचने से रोकने वालों की तो हमारे देश में कमी नहीं है। मैं तो बहुत गंभीर और चिन्ताजनक खबर सुनकर आपको बताने आया हूं।

चौधरी जी--(उत्तेजित और चिन्तित स्वर में) कहिए न पण्डित जी, जल्दी से बताइए क्या सुन कर आ रहे हैं आप !

पण्डित जी--(पहले सी गंभीर मुद्रा में) सुना है कि सेठ धनीराम जी पंचायत के चुनाव में कैसे भी जीतना चाहते हैं। जमींदारी छिन चुकी है न, बस, उसी का रोष विषैला सांप बनकर उनके दिल में बैठा है। सुना है कि धनीराम जी रुपए से छल-बल से, गुण्डागर्दी और बेईमानी तक हर तरह से कैसे भी गांव-पंचायत का प्रधान बनना ही चाहते हैं ताकि सब को मुट्ठी में रख सकें।

चौधरी जी--(गंभीर होकर) पण्डित जी, मैं धनीराम को खूब अच्छी तरह जानता हूं। वह तो चरित्र का भी गिरा हुआ है और जबान का भी! (तभी अरुण हुक्के की चिलम भर कर लाता है। सफेद कुरता, पाजामा और चप्पल पहने हुए है। चेहरे पर चमक और उत्साह-भाव है)

अरुण -- (पण्डित जी की ओर मुड़ कर) नमस्कार पण्डित जी! क्या पंचायत के चुनाव की बात कर रहे हैं आप लोग? बड़ा शोर है गांव में चारों तरफ सेठ धनीराम जी का? आप का क्या विचार है?

चौधरी जी--(हुक्का गुड़गुड़ा कर) हां, बेटा अरुण! पण्डित जी बता रहे हैं कि इस पंचायत चुनाव में सेठ धनी राम कैसे भी जीतना ही चाहता है। तुम्हारा क्या विचार है?

अरुण -- (विश्वास और दृढ़ता के स्वर में) बाबा! सच पूछिए तो मैं बस आपके आदेश का ही इन्तजार कर रहा हूं। मेरे सभी युवक मित्रों का निश्चय है कि गांव-पंचायत का प्रधान कोई शिक्षित और उत्साही युवक होना चाहिए और वे मुझे चुनाव में खड़ा कर रहे हैं। बाबा.....(संकोच में) आप.....यदि कहें.....तो मैं.....

पण्डित जी--(भौचक्के से होकर) क्या कह रहे हो अरुण बाबू! तुम सेठ धनीराम के खिलाफ चुनाव में खड़े हो रहे हो? कुछ सोच विचार भी है या .....

चौधरी जी--(गंभीर स्वर में) हां, बेटा! पण्डित जी ठीक कह रहे हैं। तुम जवान हो, पढ़े-लिखे हो, लेकिन धनीराम के पास रुपया और ताकत है। रहने दो बेटा, चुनाव का विचार छोड़ ही दो; क्यों झगड़ा लेते हो?

अरुण -- (शान्त, दृढ़ और कुछ उत्तेजित स्वर में) यह आप कह रहे हैं बाबा? मुझे सदा इंसाफ की राह पर चलने का उपदेश देने वाले आप ही आज अन्याय के सामने झुकने की बात कह रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि गांव की इज्जत और मान-मर्यादा चरित्र हीन धनीराम के हाथों नीलाम हो जाए गांव की बहन-बेटियों का घर से बाहर निकलना बन्द हो जाए? अगर यही बात थी तो मुझे आपने क्यों पढ़ाया-लिखाया और सम्मान से जीने-मरने का पाठ सिखाया?

चौधरी जी--(कुछ सोचकर, उत्साहपूर्वक) तुम ठीक कहते हो अरुण बेटा! न्याय के दीपक को जलाने के लिए अपने स्वार्थों की बलि देनी पड़ती है, मैं इस बात को मोह के वशीभूत होकर भूल गया था! तुम इस देश के उजले भविष्य की तस्वीर हो, यह मेरी बूढ़ी आंखें देख रही हैं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं बेटा, तुम्हारी विजय हो!

पंण्डित जी--(हर्ष के स्वर में) वाह, वाह, चौधरी जी! गीता का स्वाभिमान और आदर्श आज पुत्र में देख रहा हूं। अरुण बेटे, मेरा भी आशीर्वाद लो!

अरुण -- (दोनों के पांव छूता है) बाबा! मेरे साथ गांव की युवाशक्ति है। निर्माण का आकाश चूमने वाला उत्साह और सबसे बढ़कर आत्म-गौरव का विशाल धन मेरे पास है। आपके आशीर्वाद से मैं अपना लक्ष्य पा सकूं मेरा यही प्रयास है। कल से हमारा चुनाव अभियान आरंभ होगा! मैं अभी चलता हूं बाबा, मुझे तैयारी करनी है। (चला जाता है)

पण्डित जी--अच्छा, चौधरी जी! अब मैं भी चलता हूं। राम-राम! (पण्डितजी चले जाते हैं और मंच पर चौधरी जी अकेले हुक्का गुड़गुड़ाते रहते हैं)

चौधरी जी--(स्वागत) भला उफनते हुए उत्साह के सागर की लहरों को क्या कोई रोक पाया है? अरुण में नव निर्माण का जोश है और आशा तथा अजेय विश्वास का भण्डार है (आकाश की ओर देखते हुए) भगवान, अरुण का सपना साकार करना! (नेपथ्य से जलूस आने का शोर तथा नारों की आवाज आती है)

धीरे-धीरे पर्दा गिरता है

--द्वितीय दृश्य--

स्थान-- एक सजा हुआ कमरा

समय-- रात के लगभग ९ बजे हैं!

काफी सजा हुआ कमरा, जिसमें मेज-कुर्सी पड़े हैं। एक ओर मसनद है। सेठ धनीराम बैठे हैं (रोबीला चेहरा, मलमल का बढ़िया कुरता, सफेद धोती पहने हैं। कमरे में लैम्प की तेज रोशनी फैल रही है।)

धनीराम-- (कुछ तेज स्वर में) अबे ओ मंगू! कहां मर गया हरामखोर? उस हरी राम को बुलवाया था हमने, वो हरामी अब तक आया क्यों नहीं?

(नेपथ्य से आवाज--'हुजूर आ गया है हरीराम' और हरीराम का प्रवेश)

हरीराम-- (हाथ जोड़ कर बड़ी दयनीय मुद्रा में) पाय लागी मालिक हमका बुलावा हजूर! तोहार हुकुम सुनि कै हम भागत आय रहेन, मालिक! का हुकुम है सरकार? (जमीन पर बैठने लगता है)

धनीराम-- (बड़े प्यार से कोमल स्वर में) आओ भाई हरी-राम! अरे रे, वहां जमीन पर क्यों बैठते हो भाई, हमारे पास यहाँ कुर्सी पर बैठो! आओ!

हरीराम-- (उसी दयनीय मुद्रा में) ई ना हुइ सकत मालिक! हम तोहार परजा हुई हैं हजूर; सो तो बराबर मा बैठे की हिम्मत हमार का हुइ सकत है मालिक! हमार वास्ते हुकुम फरमाय देव हजूर!

धनीराम-- (बहुत मधुर स्वर में) बात यह है, भाई हरीराम कि इस बार गांव-पंचायत का चुनाव हम लड़ रहे हैं। वो कल का छोकरा अरुण हमारे मुकाबले खड़ा हो रहा है। हम चाहते हैं..... (कुछ रुक कर) कि तुम अपनी बिरादरी वालों के वोट हमें दिलवा दो।

हरीराम— (हाथ जोड़ कर) हजूर, ई हम जानत रहे कि हमका इसी खातर बुलावा गवा है। सच्च कहीं मालिक, गाम भरे मा अरुण बाबू का चरचा हुइ रहा है। का बताइ मालिक, मुदा हमउ मजबूर हुइ गए हैं। अब का करी, कछु समझै ना पाव!

धनीराम— (झुंझला कर) हाँ, हाँ, हम सब जानते हैं, लेकिन··· (रुपयों की थैली तकिए के नीचे से निकाल कर देता है) तुम पर हमें पक्का भरोसा है हरीराम! (फिर से कपड़े में लिपटी कोई चीज़ देता है) और हां, लो·····खास अंगरेजी माल है। पियो और खूब गला तर करो! तुम्हारे सब लोगों के लिए खास इन्तजाम करा दिया है हमने! हां·····तो अब बोलो, क्या कहते हो?

हरीराम— (थैली और बोतल पकड़े हुए पांव छूता है) मालिक, हमउ तोहार परजा आहीं! सच्च कही हजूर, तोहार बदे हम परान देइ सकत हैं। तौन कछु फिकर अब ना करौ मालिक; सब ठीक हुइ है। हम सब संभाल लइ हैं। (उठता हुआ) तौ अब हम का अग्या हुइ मालिक तो हम जाइके कछु उलटफेर का जुगाड़ करी।

धनीराम— (उत्साह से प्रसन्न होकर) ····· हाँ, हाँ, अब तुम जाओ और देखो, माल-पानी की जरा भी चिन्ता मत करना (रुककर) सारी वोटें हमें ही मिलनी चाहिए। समझे न? (हरीराम का प्रस्थान)

हरीराम— (स्वगत) बड़ा चला है मेरे खिलाफ चुनाव लड़न? उहं, कल का लौंडा मुझे हराएगा? अभी मेरी तिजोरी की चमक नहीं देखी (जोरों से हंसता है····· फिर आवाज लगाता है)·····बच्चू ····ओ बच्चू!

बच्चू — (प्रवेश करते हुए) जी हां, मालिक! क्या आज्ञा है?

धनीराम— (फुसफुसा कर बोलते हुए) तुम्हें जो काम सौंपा था, उसका क्या रहा? पूरा हुआ या·····

बच्चू — (सीना तान कर, मूछों पर ताव देता हुआ) बच्चू उस्ताद का दाव कभी खाली नहीं जाता, सेठ जी! वो जमा कर लट्ठ मारा है कि·····
(धनीराम रोकता है)

धनीराम— (घबरा कर) बस, बस! आहिस्ता बोल! कहीं मर तो नहीं गया है?
(तभी नेपथ्य से शोर आता है। जनता की आवाज तेज होती है। 'अन्याय का मुकाबला डट कर करेंगे' और कदम बढ़ा है, नहीं रुकेगा' जैसे नारे गूंजते हैं। धीरे-धीरे जलूस की आवाज दूर होती जाती है।)

धनीराम— (परेशान सा होकर) बाप रे, लगता है बहुत बड़ा जलूस था! तुम लोग आखिर क्या कर रह हो? देखते नहीं चौधरी के इस छोकरे की हिम्मत कितनी बढ़ रही है और तुम लोग·····

(तभी सर पर पट्टी बांधे रक्त रंजित कपड़ों में अरुण का अपने साथियों के साथ तेजी के साथ प्रवेश)

अरुण — (जोश के कारण ऊंचे स्वर में) जमींदार साहब। किराए के गुन्डों का सहारा लेकर आप मुझ मार सकते हैं, एक अरुण को मार सकते हैं, लेकिन भारत में जनतन्त्र की जो जागृति फैली है, उसे नहीं रोक सकते। मैं आपको बताने आया हूं कि मैं अगर मर भी गया तो मेरा आदर्श कभी नहीं मरेगा। लोकतन्त्र के तूफान को आप नहीं रोक पाएंगे।
(सब चिल्लाते हैं—'अरुण बाबू जिन्दाबाद'·····'अरुण बाबू की जय हो')

धनीराम— (घबरा कर) मैं·····मैं भला क्या कर सकता हूं? मेरा इससे कोई वास्ता नहीं! चले आओ यहां से·····

अरुण— (जोश में) चीखिए मत सेठ जी! आप का वास्ता है या नहीं, इस का फैसला तो पुलिस करेगी या कानून बताएगा। मैं जा रहा हूं लेकिन आप याद रखिए कि उगते सूरज की रोशनी को आपकी तिजोरी और गुण्डों की लाठियां कभी नहीं रोक पाएंगी!
(सब अरुण बाबू जिन्दाबाद' कहते हुए निकल जाते हैं और सेठ धनीराम माथे पर हाथ रख कर बैठा रहता है।)
—धीरे-धीरे परदा गिरता है—

तृतीय अंक

स्थान — जन-सभा
समय — तीसरा पहर
(एक बड़ी सी मेज पर सफेद चादर बिछी है। चौधरी जी, पण्डित जी, हरीराम और अरुण कुर्सियों पर बैठे हैं। अरुण के गले में मालाएं पड़ी हैं।)

अरुण — (हाथ जोड़ कर अभिवादन करता हुआ) आदरणीय ग्रामवासियों और मित्रों। आज आपने मुझे विजयी बना कर न्याय और लोकतंत्र को विजयी बनाया है। मैं अपने गाँव और देश के नव निर्माण का जो संकल्प लेकर चुनाव में कूदा था, उसे तन-मन-धन से पूरा करने की पवित्र शपथ आज लेता हूं।
(जनता में हर्ष ध्वनि होती है—'अरुण बाबू जिन्दाबाद, सुनिए, भाइयों! आज मैं अपने गाँव की शान के रूप में हरीराम जी का गर्व के साथ उल्लेख कर रहा हूं। आपको यह जानकर खुशी होगी कि उन्होंने धन और शराब के प्रलोभन को ठोकर मार कर लोकतंत्र की रक्षा की है। धनीराम से मिला हुआ धन और शराब पुलिस को सौंप कर इन्होंने कर्त्तव्य पालन का अनूठा उदाहरण रक्खा है।
(हरीराम को आदर पूर्वक मंच पर बुलाता है)

हरीराम — (हाथ जोड़ कर विनय पूर्वक) भाइयो। हमउ

तौ अनपढ़ गंवार ठहरे! तौन सेठ साहेब हमका रुपया देइके खरीद करे का सोचत रहेन ! पर महात्मा गांधी को सुराज मा मुदा हमका ईमान खोयके अपन जनम बिगार सकत हैं? हम ई सब माल पानी ले जाइके ऊ पुलिस मा दे दिए रहे। हमार पेट जरूर खाली रहा, मुदा हम गरीब हुइ हैं पर सच्च जानौ, हमार ईमान नाहीं मर सकत है ।

अरुण — (हरीराम को माला पहनाता है) धन्य है यह गांव और हमारा भारत देश, जहां हरीराम जैसे दृढ़ चरित्र के लोग पैदा होते हैं । कौन कहता है कि लोकतन्त्र इस धरती से मिट सकता है ? (जनता हर्ष से तालियां बजाती है) ..... भाइयो । गाँव की जागृति का सपना आज पूरा हो रहा है। सरकार ने सहकार का जो महान विकास-मंत्र हमें दिया है, आज उसी को हम अपना मूल-मंत्र बनाने की शपथ लेते हैं । इस गांव में सहकार पनपेगा; विकास और वृद्धि में सबका समान हिस्सा होगा ।

पंडित जी— (हर्ष के स्वर में) साथियो ! आज का दिन सचमुच गौरव का दिन है, जबकि हमारे भाई हरीराम ने धन-दौलत की गुलामी छोड़कर लोकतंत्र का मार्ग चुना है । (हरीराम के गले लगते हैं) सच मानिए, अरुण के रूप में आज हमें विकास का सूरज मिला है ।

चौधरी जी—(गर्व और हर्ष के स्वर में) भाइयो । आपने जिस संगठन और अटूट सहयोग का मार्ग चुनकर अरुण को विजयी बनाया है, उसी सहयोग और दृढ़ता से जनतंत्र के इस पौधे को सींच कर हरा भरा रखना है । पंचायत गांव के भविष्य का दर्पण कही जाती है, इसे सच बनाना होगा ! न्याय, समता और समृद्धि अब सबको मिले, यही हमारा परम उद्देश्य है । (सब 'अरुण बाबू की जय' कहते हैं) ..... आज आप लोग अरुण की जय कहते हैं, जरूर कहिए, लेकिन मेरा कहना यह है कि अरुण तो एक आदर्श है नव निर्माण का, इसीलिए हमें आज नया जयघोष करना होगा—
'जय जनतन्त्र- जय सहकार'

(जनता चीखती है—'जय जनतंत्र, जय सहकार')

—धीरे धीरे पर्दा गिरता है—

—रीडर एवं अध्यक्ष (हिन्दी विभाग)
बी० एस० एम० (पो० ग्रे०) कॉलेज,
रुड़की-247667

पहला

बच्चा

अभी नहीं

दो के बाद

कभी नहीं

नागरी आशुलिपि पत्रिका, (द्विमासिक) प्रकाशक—श्री एस एल गुप्ता, पता : बी-231, पश्चिमी पटेल नगर, नई दिल्ली-8. मूल्य रु. 2.50 प्रति अंक।

यह पत्रिका अब तक नागरी आशुलिपि पत्रिकाओं के प्रकाशनों की दिशा में सबसे ठोस प्रयास है। आशुलिपि चिह्नों के लिए प्रयास सराहनीय ह। पत्रिका में दो प्रमुख आशुलिपि प्रणालियों—मानक व ऋषि—के चिह्न देकर और अभ्यासों की 20, 25 तथा 30 शब्दों के बाद चिह्नांकित करके उसे अधिकाधिक आशुलिपिकों के लिए उपयोगी तथा विभिन्न गतियों पर डिक्टेशन लेने के योग्य बनाया गया है।

पत्रिका में अन्य उपयोगी सामग्री जैसे सामान्य ज्ञान व अंग्रेजी के वस्तुनिष्ठ अभ्यास, आशुलिपि टैस्ट—कुछ सावधानियां व निदश, हिन्दी आशुलिपिकों की मांगें और संघ-लोक-सेवा आयोग के आदर्श आशुलिपि प्रश्न-पत्र आदि भी दिए गए हैं किन्तु इसके द्विमासिक स्वरूप को देखते हुए अधिक डिक्टेशन सामग्री का दिया जाना उपयोगी रहता। आशुलिपि चिह्नों में और अधिक स्पष्टतता तथा संक्षिप्तता की तथा कागज के स्तर में सुधार की आवश्यकता है। कुल मिलाकर पत्रिका से हिन्दी आशुलिपिकों को उचित मार्गदर्शन लेने तथा उच्च गति बनाने में पर्याप्त सहायता मिलेगी।

—श्री जगन्नाथ

लो गुब्बारे : लेखक : श्री जय प्रकाश भारती, प्रकाशक : प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार, पटियाला हाऊस, नई दिल्ली-110001, मूल्य 4.00 रु०।

बाल साहित्य चाहे कविता में हो चाहे गद्य में, हास्य में हो अथवा निबन्धों में, कहानियों में हो अथवा लेखों के रूप में, अच्छा बाल साहित्य बच्चों के मनोविज्ञान को बड़ी बारीकी से रेखांकित करता है।

'लो गुब्बारे' नामक यह पुस्तक ऐसे ही बाल साहित्य की ज्ञान माला का एक मोती है। बाल साहित्य के सुप्रसिद्ध सम्पादक श्री जयप्रकाश भारती द्वारा रचित यह पुस्तक ग्यारह रोचक कहानियों से संजोयी गई है। भारत सरकार के प्रकाशन विभाग ने इसे प्रकाशित कर एक अच्छा प्रयास किया है। पुस्तक में ग्यारह कहानियां अपने-अपने स्तर की हैं और विकास तथा मनोरंजन के माध्यम से बालकों को अच्छा नागरिक बनने की प्रेरणा मिलती है।

पुस्तक की कथा-सूची में कहानियों के शीर्षक जन्म दिन, ढोल, चमक उठी तलवारें, रोटी का टुकड़ा, गुब्बारे, छोटा झोला बड़ा झोला, करामाती केतली, शीशे का महल, मस्त कलन्दर और लालची भाई, जान गंवाई आदि हैं।

इस पुस्तक का लेखक बाल साहित्य का एक विशेषज्ञ है। इसलिए इस पुस्तक की कहानियों का प्रस्तुतीकरण बहुत अच्छा है। प्रत्येक कहानी को प्रेरणादायी बनाने का लेखक ने सफल प्रयास किया है। यों तो अनेक नए पुराने लेखक बाल साहित्य की पुस्तकों की रचना पुरानी शैली में नयी कलम से निरन्तर करते जा रहे हैं, और अपने साधनों के बल पर धन बटोर रहे हैं, लेकिन श्री भारती की लेखन-शैली में विशेष प्रकार का पुट है जो कि पुस्तक के महत्व को चार चांद लगाता है।

कहानियों में छोटे-छोटे वाक्य तथा सरल शब्दों का उत्तम चयन एवं लेखन-संयोजन बहुत ही उपयोगी है। कहानियों में मम्मी-पापा, जादूगरनी, ढोल, पिटारी, समरकन्द, वैसाखी, ठक्-ठक्-ठक्, गर्ज़नतर्जन केतली, राजा-राक्षस, राजकुमार, धिग्धी, बेतहाशा, हीरे-जवाहरात आदि शब्दों के प्रयोग यह सिद्ध करते हैं कि लेखक ने वास्तविकता का ध्यान रखते हुए कहानियों की रचना में शब्दों का स्तर बाल साहित्य के अनुरुप ही रखा है।

प्रस्तुति के लिहाज से ये कहानियां एक बार बच्चा पढ़ ले तो उन्हें कभी भूलेगा नहीं। अनेक दृष्टि से यह पुस्तक अधिक उपयोगी है। स्वतन्त्र रूप से घरों में बालकों के पढ़ने के लिए तो उपयोगी है ही, साथ-साथ पुस्तकालयों के लिए भी संग्रहणीय हैं। इस पुस्तक से बच्चों के अलावा बड़े भी लाभान्वित हो सकेंगे, ऐसी आशा है।

लेखक ने कहानियों को अत्यन्त सुबोध एवं सरल भाषा में लिखा है। पुस्तक नव साक्षरों तथा बालकों के लिए विशेष उपयोगी है।

—मोहन लाल कक्कड़

फिर इस अन्दाज से बहार आई—लेखक, क्षितीश कुमार वेदालंकार, प्रकाशक : आर्य प्रकाशक मण्डल, गांधीनगर दिल्ली, पृष्ठ संख्या, 142, मूल्य: पन्द्रह रुपये।

समीक्ष्य पुस्तक 'फिर इस अन्दाज से बहार आई' ललित निबन्धों का एक संकलन है। ऐसे निबन्धों का गुलदस्ता जो दुरूह, बोझिल और किलिष्ट नहीं, बल्कि सरल एवं रोचक हैं।

ये सरल लेख दैनिक हिन्दुस्तान के रविवासरीय परिशिष्टों में प्रकाशित हुए हैं जैसा कि लेखक ने कहा है कि पाठकों के अनुरोध पर इनको पुस्तककार में प्रकाशित किया गया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि शैली एवं भाषा के कारण इन लेखों को सराहा गया है और बहुत से लोग सिर्फ इन्हीं लेखों की वजह से हिन्दुस्तान पढ़ने लगे।

समीक्ष्य पुस्तक म संकलित सभी लेख गैर-राजनीतिक विषयों पर हैं। लेखक के स्वकथ्य के अनुसार ये सारे लेख आपातस्थिति के दौरान लिखे गए हैं जब समाचार पत्रों पर सरकारी अंकुश था। चैत्र का महीना आया। वायु में वसन्त की गंध आई। लेखक की कलम से निकला—फिर इस अन्दाज से बहार आई।'

और फिर तो प्रति सप्ताह नए-नए रंग में यह बहार आती चली गई। यों दैनिक समाचार पत्र में कार्य करते हुए राजनीति से असंयुक्त रहना कठिन होता है, पर जब लेखनी पर अंकुश हो और राजनीति की चर्चा वर्जित हो तब स्वतंत्र चेतना व्यक्ति को साहित्य ही शरण देता है। वाग्देवी के विपुल भण्डार में राजनीति सम्बन्धी रत्नरानी तो नगण्य ही होगी।

अतः सभी लेख राजनीति से दूर मानव वृत्तियों-प्रवृत्तियों तथा अन्य विषयों पर हैं। लेखक की शैली एक सम्मोहक शैली है और उस पर लेखक का अध्ययन और प्रस्तुतीकरण—पाठक अभिभूत होता है। इसमें विषयों के प्रस्तुतीकरण में विभिन्न भाषाओं के मनीषियों को कथ्य की पुष्टि में उद्धृत किया गया है—अरबी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी इत्यादि जिनका विशद अध्ययन लेखक के ये लेख संकेतित करते हैं।

इस पुस्तक में इकतालीस लेखों के रूप में विभिन्न विषयों का सरस एवं मोहक प्रस्तुतीकरण किया गया है और सभी पाठक पर कलम का जादू सा चलाते हैं और पाठक सम्मोहित-अभिभूत होता जाता है। पुस्तककार में लेखों के इस प्रस्तुतीकरण के लिए लेखक और प्रकाशक दोनों को साधुवाद।

—दादा त्र्यम्बक
सम्पादक 'लोकमानस स्वतंत्र'
216, नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली

वीर वैरागी : लेखक-भाई परमानन्द, प्रकाशक : राजपाल एण्ड सन्ज, कश्मीरी गेट, दिल्ली, मूल्य 8.00 रु०, पृष्ठ संख्या: 118, पांचवा संस्करण 1978।

इस पुस्तक में लेखक ने वीर वैरागी, जो, बन्दा बैरागी के नाम से भी प्रसिद्ध है, जीवन-चरित ऐतिहासिक प्रमाणों सहित दिया है। इसके प्रथम 31 पृष्ठों में समस्त सिक्ख गुरुओं का संक्षिप्त किन्तु प्रभावपूर्ण विवरण दिया गया है। अगले पृष्ठों में वीर बैरागी का जीवन-चरित प्रस्तुत किया गया है। वीर बैरागी भी महर्षि बाल्मीकि के समान हृदय परिवर्तन के पश्चात ही बैरागी बने थे। गुरु गोबिन्द सिंह की प्रेरणा से उन्होंने धर्म रक्षा हेतु तलवार उठायी तथा तत्कालीन अत्याचारी शासकों के अन्याय के विरुद्ध संघर्ष किया और शहीद हो गए। 'इस तरह वह वीर एक समय शिकार खेलने वाला राजपूत था। दूसरी अवस्था में तपस्या करने वाला सन्यासी तीसरी हालत में विजेता, सेनापति तथा शासक और चौथी अवस्था में अत्यन्त भीषण आपदाओं का सामना करने वाला शहीद था।' (पृष्ठ 33)।

लेखक को घटनाओं की गहरी परख है। उसने सरस और चुटीली शैली में भारत के महान् सपूत बैरागी की जीवन गाथा प्रस्तुत की है। वास्तव में यह केवल जीवन चरित ही नहीं है अपितु इतिहास भी है।

परमानन्द ने पुस्तक के अन्त में चार परिशिष्टों में आलोचकों की प्रत्येक आपत्ति का स्पष्टीकरण दिया है तथा अपने कथन को प्रभावित करने हेतु, 'तारीख-गुरु-खालसा' एवं 'पन्थ-प्रकाश' आदि पुस्तकों का हवाला भी दिया है। छपाई, सफाई तथा प्रस्तुतीकरण अत्यन्ताकर्षक हैं। वस्तुतः भाई परमानन्द की यह पुस्तक भारतीय ही नहीं, अपितु विदेशी पाठकों के लिए भी बहुत उपयोगी हैं।

—डा० रामकृष्ण कौशिक
आई-8, पटेल मार्ग,
गाजियाबाद-201001

सूरदास पंचशती समारोह के अवसर पर

सूर युग-साहित्य के श्रृंगार थे
वात्सल्य के सागर-सरल-संसार थे
दृष्टि होकर भी नहीं हम देख पाते
सूर तुम तो आंख के अवतार थे !

श्यामसिंह 'शशि'

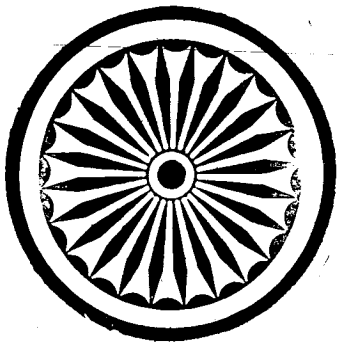

26 जनवरी

तीन वरदानों वालो—**यह पावन वर्षगांठ** आज के दिन, 49 वर्ष पहले, हमने पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने का संकल्प लिया। आज के ही दिन, 1950 में हमने भारत को एक गणराज्य घोषित किया और अपने लिए एक संविधान स्वीकार किया जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बन्धुता के आदर्शों को शामिल किया गया।

दो वर्ष पहले, लगभग इसी समय, हमने संविधान द्वारा गारंटी किए गए लोकतंत्र के रास्ते पर अपनी यात्रा फिर से प्रारम्भ की।

इस पावन वर्षगांठ के शुभ अवसर पर—

आइये! हम सब अपनी स्वतन्त्रता फिर से कायम करने के लिए भारत की जनता को धन्यवाद दें।

आइए! हम उन लोगों के सपनों को साकार करने का प्रयत्न करें, जिन्होंने स्वतन्त्रता और समानता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी।

आइए! हम सब पुनः संकल्प करें कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त करने के लिए तेजी से प्रयत्न करेंगे।

davp-78/394

निदेशक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित और प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित।

Regd. No. D(D)98

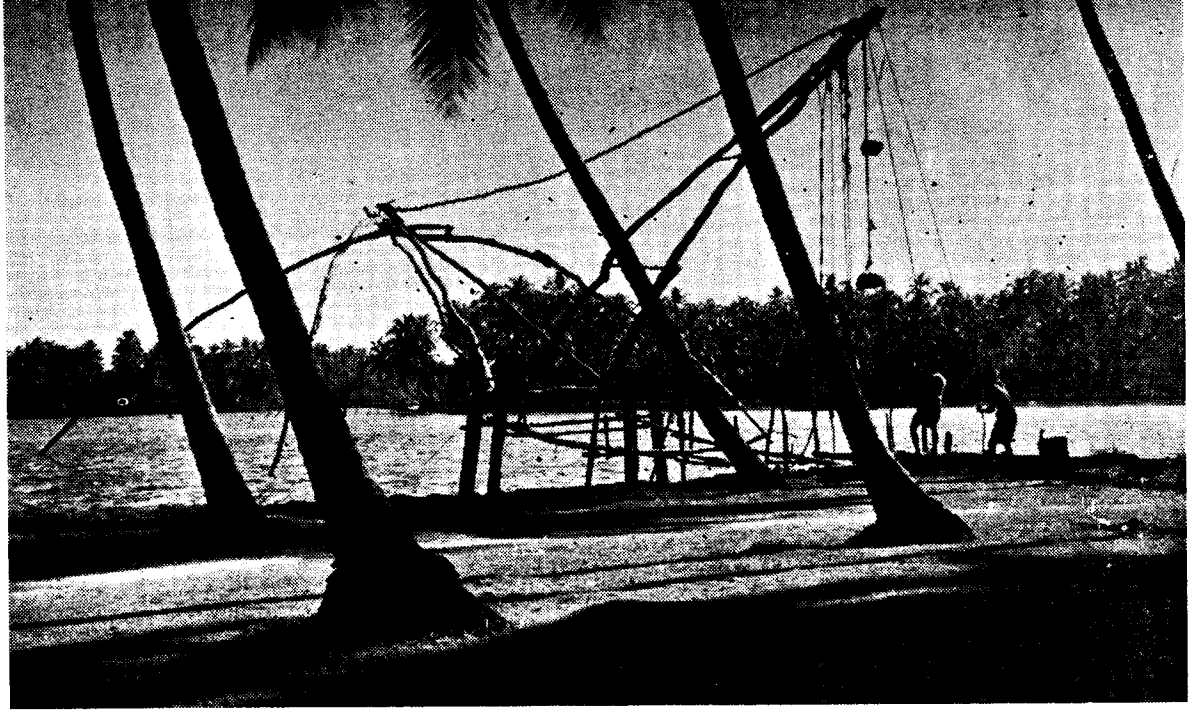

केरल के समुद्री किनारे पर मछली पकड़ने का एक जाल

मछली पालन विकास की ओर

मछली पकड़ कर ले जाते हुए

पकड़ी हुई प्रौन मछलियां

मछली पकड़ने का एक तरीका

चित्र : भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के सौजन्य से